

# भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956

(1956 का अधिनियम संख्यांक 102)<sup>1</sup>

[30 दिसम्बर, 1956]

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के पुनर्गठन का और भारत के लिए  
एक चिकित्सक रजिस्टर रखे जाने का तथा तत्सम्बद्ध  
विषयों का उपबन्ध करने के लिए  
अधिनियम

भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 है।

(2) इसका विस्तार 2\*\*\* सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख<sup>3</sup> को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अनुमोदित संस्था” से ऐसा अस्पताल, स्वास्थ्य-केंद्र या अन्य ऐसी संस्था अभिप्रेत है जिसे किसी विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें कोई व्यक्ति अपने को आयुर्विज्ञान अर्हता दिए जाने के पूर्व अपने पाठ्यक्रम द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, प्राप्त कर सकेगा ;

(ख) “परिषद्” से इस अधिनियम के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अभिप्रेत है ;

4\* \* \*

(घ) “भारतीय चिकित्सक रजिस्टर” से परिषद् द्वारा रखा गया चिकित्सक रजिस्टर अभिप्रेत है ;

(ङ) “आयुर्विज्ञान संस्था” से भारत के भीतर या बाहर की ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो आयुर्विज्ञान में उपाधियां, डिप्लोमे या अनुज्ञप्तियां अनुदत्त करती है ;

(च) “आयुर्विज्ञान” से आधुनिक आयुर्विज्ञान की समस्त शाखाएं अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत शल्यविज्ञान और प्रसूतिविज्ञान भी हैं, किन्तु इसके अंतर्गत पशु आयुर्विज्ञान और शल्यविज्ञान नहीं हैं ;

(छ) “विहित” से विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ज) “मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता” से अनुसूचियों में सम्मिलित आयुर्विज्ञान अर्हताओं में से कोई अर्हता अभिप्रेत है ;

(झ) “विनियम” से धारा 33 के अधीन बनाया गया विनियम अभिप्रेत है ;

(ञ) “राज्य आयुर्विज्ञान परिषद्” से कोई ऐसी आयुर्विज्ञान परिषद् अभिप्रेत है जो चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण का विनियमन करने वाली, किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त, किसी विधि के अधीन गठित की गई है ;

(ट) “राज्य चिकित्सक रजिस्टर” से ऐसा रजिस्टर अभिप्रेत है जो चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण का विनियमन करने वाली, किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त, किसी विधि के अधीन रखा जाता है ;

(ठ) “विश्वविद्यालय” से भारत में का ऐसा विश्वविद्यालय अभिप्रेत है जो विधि द्वारा स्थापित किया गया हो और जिसमें कोई आयुर्विज्ञान संकाय हो।

3. परिषद् का गठन और उसकी संरचना—(1) केन्द्रीय सरकार एक परिषद् का गठन करवाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

<sup>1</sup> 1963 के विनियम सं० 7 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा उपान्तरणों सहित (1-10-1963 से) पांडिचेरी पर, 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली पर, और 1963 के विनियम सं० 11 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव पर इस अधिनियम का विस्तार किया गया।

<sup>2</sup> 1964 के अधिनियम सं० 24 की धारा 2 द्वारा “जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय” शब्दों का लोप किया गया।

<sup>3</sup> 1 नवम्बर, 1958, देखिए अधिसूचना सं० का०आ० 2254, तारीख 28 अक्टूबर, 1958, भारत का राजपत्र, 1958 (अंग्रेजी), भाग 2, खंड 3 (ii), पृ० 2080।

<sup>4</sup> 1964 के अधिनियम सं० 24 की धारा 3 द्वारा खंड (ग) को लोप किया गया।

(क) संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न प्रत्येक राज्य से एक सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, सम्बद्ध राज्य सरकार के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(ख) प्रत्येक विश्वविद्यालय से एक सदस्य, जो विश्वविद्यालय की सिनेट के सदस्यों द्वारा, अथवा यदि किसी विश्वविद्यालय में सिनेट नहीं है तो सभा (कोर्ट) के सदस्यों द्वारा, विश्वविद्यालय के आयुर्विज्ञान संकाय के सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा ;

(ग) प्रत्येक ऐसे राज्य से, जिसमें राज्य चिकित्सक रजिस्टर रखा गया है, एक सदस्य, जो उस रजिस्टर में प्रविष्ट व्यक्तियों द्वारा, जिनके पास प्रथम या द्वितीय अनुसूची में या तृतीय अनुसूची के भाग 2 में दी गई आयुर्विज्ञान अर्हताएं हों, अपने में से, निर्वाचित किया जाएगा ;

(घ) सात सदस्य, जो किसी राज्य चिकित्सक रजिस्टर में प्रविष्ट व्यक्तियों द्वारा, जिनके पास तृतीय अनुसूची के भाग 1 में दी गई आयुर्विज्ञान अर्हताएं हों, अपने में से, निर्वाचित किए जाएंगे ;

(ङ) आठ सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

(2) परिषद् के सभापति और उपसभापति उस परिषद् के सदस्यों द्वारा, अपने में से, निर्वाचित किए जाएंगे ।

(3) परिषद् द्वारा किया गया कोई कार्य केवल इसी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि परिषद् में कोई रिक्ति थी अथवा उसके गठन में कोई त्रुटि थी ।

1[3क. केन्द्रीय सरकार की परिषद् को अतिष्ठित करने और शासी बोर्ड का गठन करने की शक्ति—(1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्रारंभ की तारीख से ही परिषद् अतिष्ठित हो जाएगी और परिषद् का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य अपने पद रिक्त कर देंगे तथा उनका किसी भी प्रकार के किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं होगा ।

(2) परिषद् का पुनर्गठन, उपधारा (1) के अधीन परिषद् के अतिष्ठित किए जाने की तारीख से 3[तीन वर्ष] की अवधि के भीतर, धारा 3 के उपबंधों के अनुसार, किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन परिषद् के अतिष्ठित किए जाने पर और धारा 3 के अनुसार, एक नई परिषद् का गठन किए जाने तक, उपधारा (4) के अधीन गठित शासी बोर्ड इस अधिनियम के अधीन परिषद् की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, शासी बोर्ड का गठन करेगी, जो उसके सदस्यों के रूप में सात से अनधिक ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, जो औषध और आयुर्विज्ञान शिक्षा के क्षेत्रों में विख्यात और अनाधिकेपणीय सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे और जो या तो नामनिर्दिष्ट सदस्य या पदेन सदस्य हो सकेंगे, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिनमें से एक सदस्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा शासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा ।

(5) अध्यक्ष और पदेन सदस्यों से भिन्न अन्य सदस्य ऐसी बैठक फीस और यात्रा तथा अन्य भत्तों के लिए हकदार होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं ।

(6) शासी बोर्ड ऐसे समय और स्थानों पर बैठके करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में ऐसे प्रक्रिया नियमों का अनुपालन करेगा, जो परिषद् को लागू होते हैं ।

(7) शासी बोर्ड की बैठकों के लिए गणपूर्ति उसके दो-तिहाई सदस्यों से मिलकर होगी ।

(8) शासी बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाहियां केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होंगी कि,—

(क) शासी बोर्ड में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) शासी बोर्ड की प्रक्रिया में मामले के गुणागुण को प्रभावित न करने वाली कोई अनियमितता है ।

(9) ऐसा कोई सदस्य, जिसका शासी बोर्ड के समक्ष विनिश्चय के लिए आने वाले किसी मामले में कोई वित्तीय या अन्य हित है, मामले में अपने हित को प्रकट करेगा, यदि शासी बोर्ड द्वारा अनुज्ञात किया जाता है तो वह ऐसी कार्यवाहियों में भाग लेने से पूर्व उस मामले में अपने हित को प्रकट कर सकेगा ।

(10) शासी बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य सदस्य, केन्द्रीय सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे ।

**3ख. अधिनियम के कतिपय उपांतरण—**उस अवधि के दौरान, जब परिषद् अतिष्ठित हो जाती है,—

(क) इस अधिनियम के उपबंधों का यह अर्थ लगाया जाएगा मानो “परिषद्” शब्द के स्थान पर, “शासी बोर्ड” शब्द रखे गए हों ;

(ख) शासी बोर्ड,—

<sup>1</sup> 2010 के अधिनियम सं० 32 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>2</sup> 2012 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(i) इस अधिनियम के अधीन परिषद् की शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा और इस प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के उपबंध ऐसे उपांतरण के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे कि उसमें परिषद् के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह शासी बोर्ड के प्रति निर्देश हैं ;

(ii) नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना करने या धारा 10क में निर्दिष्ट कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण आरंभ करने या किसी नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में प्रवेश क्षमता बढ़ाने या संबद्ध व्यक्ति या महाविद्यालय को धारा 10क के अधीन केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना उस धारा के अधीन यथा उपबंधित सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के लिए स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करेगा, जिसके अंतर्गत उसे अंतिम रूप से अनुमोदित या अननुमोदित करने की शक्ति भी है ;

(iii) धारा 10क के अधीन केंद्रीय सरकार के पास लंबित मामलों का, उससे उनकी प्राप्ति पर निपटारा करेगा ।

**3ग. केंद्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति—**(1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शासी बोर्ड या परिषद् उसके पुनर्गठन के पश्चात्, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में और अपने कृत्यों के पालन में, तकनीकी और प्रशासनिक विषयों से संबंधित प्रश्नों से भिन्न नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा, जो केंद्रीय सरकार, उसे समय-समय पर लिखित रूप में दे :

परंतु शासी बोर्ड या परिषद् को, उसके पुनर्गठन के पश्चात्, इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने से पूर्व अपने विचार व्यक्त करने का यथासाध्य अवसर दिया जाएगा ।

(2) क्या कोई प्रश्न नीतिगत है या नहीं इस संबंध में केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।]

**4. निर्वाचन का ढंग—**(1) धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख), खंड (ग) या खंड (घ) के अधीन निर्वाचन केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे नियमों के अनुसार किया जाएगा जो उसके द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, और इस प्रकार बनाए गए नियमों में यह उपबंध किया जा सकेगा कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भारतीय चिकित्सक रजिस्टर तैयार हो जाने तक, धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट सदस्य, उसके उपबंधों के अनुसार निर्वाचित किए जाने के बजाय, केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे ।

(2) जहां परिषद् के लिए निर्वाचन के बारे में कोई विवाद उठे वहां वह केंद्रीय सरकार को निर्देशित किया जाएगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

**5. नामनिर्देशन और सदस्यता पर निर्बंधन—**(1) कोई व्यक्ति धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन नामनिर्देशन के लिए पात्र तभी होगा जब उसके पास प्रथम और द्वितीय अनुसूचियों में सम्मिलित आयुर्विज्ञान अर्हताओं में से कोई अर्हता है, वह संबद्ध राज्य में निवास करता है, और, जहां उस राज्य में राज्य चिकित्सक रजिस्टर रखा जाता है वहां, उस रजिस्टर में प्रविष्ट है ।

(2) कोई व्यक्ति एक ही समय पर एक से अधिक हैसियत में सदस्य के रूप में काम नहीं करेगा ।

**6. परिषद् का निगमन—**इस प्रकार गठित परिषद्, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् नामक एक निगमित निकाय होगी, उसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी तथा उसे जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन और धारण करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद लाएगी और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

**7. सभापति, उपसभापति और सदस्यों की पदावधि—**(1) परिषद् का सभापति या उपसभापति पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह अवधि परिषद् के सदस्य के रूप में उसकी अवधि के अवसान के बाद नहीं रहेगी ।

(2) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सदस्य अपने नामनिर्देशन या निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए, या जब तक उसका उत्तराधिकारी सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित न हो जाए तब तक, जो भी अवधि दीर्घतर हो, पद धारण करेगा ।

(3) किसी निर्वाचित अथवा नामनिर्दिष्ट सदस्य के बारे में यह तब समझा जाएगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है जब वह ऐसे प्रतिहेतु के बिना, जो परिषद् की राय में पर्याप्त हो, परिषद् के तीन क्रमवर्ती मामूली अधिवेशनों से अनुपस्थित रहे, अथवा धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्वाचित सदस्य की दशा में, जब वह संबद्ध विश्वविद्यालय के आयुर्विज्ञान संकाय का सदस्य न रह जाए, अथवा उस उपधारा के खंड (ग) या खंड (घ) के अधीन निर्वाचित सदस्य की दशा में, जब वह संबद्ध राज्य चिकित्सक रजिस्टर में प्रविष्ट व्यक्ति न रह जाए ।

(4) परिषद् में की आकस्मिक रिक्ति, यथास्थिति, नामनिर्देशन या निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी और उस रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित व्यक्ति उस अवधि के अवशिष्ट भाग के लिए पद धारण करेगा जिसके लिए वह सदस्य, जिसका स्थान वह ले, नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित किया गया था ।

(5) परिषद् के सदस्य पुनः नामनिर्देशन या पुनः निर्वाचन के पात्र होंगे ।

(6) जब पांच वर्ष की उक्त अवधि का किसी सदस्य के बारे में अवसान होने वाला है तब उत्तराधिकारी उक्त अवधि के अवसान के पूर्व तीन मास के भीतर किसी भी समय नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित किया जा सकेगा किन्तु वह तब तक पद ग्रहण न करेगा जब तक उक्त अवधि का अवसान न हो जाए।

**8. परिषद् के अधिवेशन—**(1) परिषद् का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और ऐसे समय तथा स्थान पर होगा जो परिषद् द्वारा नियत किया जाए।

(2) जब तक विनियमों द्वारा अन्यथा उपबंध न किया जाए, गणपूर्ति परिषद् के पन्द्रह सदस्यों से होगी और परिषद् के सब कार्यों का विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की बहुसंख्या द्वारा होगा।

**9. परिषद् के अधिकारी, उनकी समितियां तथा सेवक—**परिषद्—

(1) अपने सदस्यों में से एक कार्यकारिणी समिति तथा अन्य ऐसी समितियों का साधारण या विशेष प्रयोजनों के लिए गठन करेगा, जैसी भी वह परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे ;

(2) एक रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी जो सचिव के रूप में कार्य करेगा और यदि समीचीन समझा जाए तो कोषपाल के रूप में भी कार्य कर सकेगा ;

(3) अन्य ऐसे व्यक्तियों को नियोजित करेगी जिन्हें परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे ;

(4) रजिस्ट्रार से या किसी अन्य कर्मचारी से, उसके कर्तव्यों के सम्यक् पालन के लिए, उतनी प्रतिभूति की अपेक्षा करेगी, और लेगी, जितनी परिषद् आवश्यक समझे, और

(5) अपने सभापति, उपसभापति और सदस्यों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक और भत्ते, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, नियत करेगी और अपने कर्मचारियों की सेवा की शर्तें अवधारित करेगी।

**10. कार्यकारिणी समिति—**(1) कार्यकारिणी समिति में जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है, सभापति और उपसभापति, जो पदेन सदस्य होंगे, और सात से अन्यून और दस से अनधिक अन्य सदस्य होंगे, जो परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किए जाएंगे।

(2) सभापति और उपसभापति समिति के क्रमशः सभापति और उपसभापति होंगे।

(3) समिति इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के अतिरिक्त उन शक्तियों का प्रयोग और उन कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, जिन्हें परिषद् किन्हीं विनियमों द्वारा, जो इस निमित्त बनाए जाएं, उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित करे।

**11. नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना, नए पाठ्यक्रमों, आदि के लिए अनुज्ञा—**(1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबंधों के अनुसार अभिप्राप्त केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना,—

(क) कोई व्यक्ति किसी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना नहीं करेगा, या

(ख) कोई आयुर्विज्ञान महाविद्यालय,—

(i) कोई ऐसा नया या उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण (जिसके अन्तर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण है) आरंभ नहीं करेगा जो ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के किसी छात्र को कोई मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता प्रदान किए जाने के लिए अर्हित होने के लिए समर्थ बनाए ; या

(ii) किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण की (जिसके अंतर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण है) अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि नहीं करेगा।

**स्पष्टीकरण 1—**इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “व्यक्ति” के अंतर्गत कोई विश्वविद्यालय या न्यास है किंतु इसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार नहीं है।

**स्पष्टीकरण 2—**इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के संबंध में (जिसके अन्तर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण है), “प्रवेश क्षमता” से छात्रों की वह अधिकतम संख्या अभिप्रेत है जो परिषद् द्वारा ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में प्रवेश दिए जाने के लिए समय-समय पर नियत की जाए।

(2) (क) प्रत्येक व्यक्ति या आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार को खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार एक स्कीम प्रस्तुत करेगा और केन्द्रीय सरकार यह स्कीम परिषद् को, उसकी सिफारिश के लिए निर्देशित करेगी।

<sup>1</sup> 1993 के अधिनियम सं० 31 की धारा 2 द्वारा (27-8-1992 से) अंतःस्थापित।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट स्कीम ऐसे प्ररूप में होगी और उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी और वह ऐसी रीति से प्रस्तुत की जाएंगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाए।

(3) परिषद्, उपधारा (2) के अधीन स्कीम की प्राप्ति पर, संबंधित व्यक्ति या आयुर्विज्ञान महाविद्यालय से ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो वह आवश्यक समझे अभिप्राप्त कर सकेगी और तत्पश्चात् वह,—

(क) यदि स्कीम त्रुटिपूर्ण है और उसमें कोई आवश्यक विशिष्टियां नहीं हैं, तो संबंधित व्यक्ति या महाविद्यालय को लिखित अभ्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर सकेगी और ऐसे व्यक्ति या आयुर्विज्ञान महाविद्यालय को परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट त्रुटियों का, यदि कोई हों, परिशोधन करने की छूट होगी ;

(ख) उपधारा (7) में निर्दिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए, स्कीम पर विचार कर सकेगी और स्कीम को, उस पर अपनी सिफारिशों सहित, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर सकेगी।

(4) केंद्रीय सरकार, स्कीम पर और उपधारा (3) के अधीन परिषद् की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् और जहां आवश्यक हो वहां ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो वह आवश्यक समझे, संबंधित व्यक्ति या महाविद्यालय से अभिप्राप्त करने के पश्चात् तथा उपधारा (7) में निर्दिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए, स्कीम का अनुमोदन (ऐसी शर्तों सहित, यदि कोई हों, जो वह आवश्यक समझे) या अनुमोदन कर सकेगी और कोई ऐसा अनुमोदन उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा होगी :

परन्तु कोई स्कीम संबंधित व्यक्ति या महाविद्यालय को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ही केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएगी, अन्यथा नहीं :

परन्तु यह और कि इस उपधारा की कोई बात, किसी ऐसे व्यक्ति या आयुर्विज्ञान महाविद्यालय को, जिसको स्कीम केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं की गई है, कोई स्कीम प्रस्तुत करने से निवारित नहीं करेगी और इस धारा के उपबंध ऐसी स्कीम को ऐसे लागू होंगे मानो ऐसी स्कीम उपधारा (1) के अधीन पहली बार प्रस्तुत की गई हो।

(5) जहां उपधारा (2) के अधीन केंद्रीय सरकार को स्कीम के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार द्वारा पारित किसी आदेश की, स्कीम प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या महाविद्यालय को संसूचना नहीं दी गई है वहां ऐसी स्कीम के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका केंद्रीय सरकार द्वारा उसी रूप में अनुमोदन कर दिया गया है जिसमें वह प्रस्तुत की गई थी और तदनुसार उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित केंद्रीय सरकार की अनुज्ञा के बारे में भी यह समझा जाएगा कि वह दे दी गई है।

(6) उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा की संगणना करने में परिषद् या केंद्रीय सरकार द्वारा मांगी गई किन्हीं विशिष्टियों को देने में स्कीम प्रस्तुत करने वाले संबंधित व्यक्ति या महाविद्यालय द्वारा लिया गया समय अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(7) परिषद्, उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन अपनी सिफारिशें करते समय और केंद्रीय सरकार, उपधारा (4) के अधीन स्कीम का अनुमोदन या अननुमोदन करने वाला आदेश पारित करते समय निम्नलिखित बातों का सम्यक् ध्यान रखेगी, अर्थात् :—

(क) क्या प्रस्तावित आयुर्विज्ञान महाविद्यालय या विद्यमान आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जो नया या उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण आरम्भ करना चाहता है, यथास्थिति, धारा 19 के अधीन या स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा की दशा में धारा 20 के अधीन परिषद् द्वारा विहित आयुर्विज्ञान शिक्षा का न्यूनतम स्तर प्रदान करने की स्थिति में होगा ;

(ख) क्या उस व्यक्ति के पास, जो किसी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना करना चाहता है या उस विद्यमान आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के पास, जो नया या उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण आरम्भ करना चाहता है, या अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना चाहता है, पर्याप्त वित्तीय साधन हैं ;

(ग) क्या आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए या नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण संचालित करने के लिए या बढ़ाई गई प्रवेश क्षमता के अनुरूप कर्मचारिवृंद, उपस्कर, वाससुविधा, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं की बाबत आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है या स्कीम में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर कर दी जाएगी ;

(घ) क्या ऐसे छात्रों को, जिनके ऐसे आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अथवा पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में उपस्थित होने की संभावना है, संख्या को ध्यान में रखते हुए या बढ़ाई गई प्रवेश क्षमता के परिणामस्वरूप पर्याप्त अस्पताल सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है, या स्कीम में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर कर दी जाएगी ;

(ङ) क्या ऐसे छात्रों को, जिनके ऐसे आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अथवा पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में उपस्थित होने की संभावना है ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिनके पास मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं हैं, उचित प्रशिक्षण देने के लिए कोई इंतजाम किया गया है या कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ;

(च) चिकित्सा व्यवसाय के क्षेत्र में जनशक्ति की अपेक्षा ; और

(छ) कोई अन्य बात, जो विहित की जाए।

(8) जहां केंद्रीय सरकार इस धारा के अधीन स्कीम का अनुमोदन या अननुमोदन करने वाला कोई आदेश पारित करती है वहां उस आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति या महाविद्यालय को संसूचित की जाएगी।

**10ख. कतिपय दशाओं में आयुर्विज्ञान अर्हताओं की अमान्यता—**(1) जहां कोई आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, धारा 10क के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना स्थापित किया जाता है वहां ऐसे आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के किसी छात्र को अनुदत्त कोई भी आयुर्विज्ञान अर्हता इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता नहीं होगी।

(2) जहां कोई आयुर्विज्ञान महाविद्यालय धारा 10क के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण (जिसके अंतर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण है) आरम्भ करता है वहां ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के आधार पर ऐसे आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के किसी छात्र को अनुदत्त कोई भी आयुर्विज्ञान अर्हता इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता नहीं होगी।

(3) जहां कोई आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, धारा 10क के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण की अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि करता है वहां अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि के आधार पर ऐसे आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के किसी छात्र को अनुदत्त कोई भी आयुर्विज्ञान अर्हता इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण—**इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे छात्र का, जिसे प्रवेश क्षमता में ऐसी वृद्धि के आधार पर कोई आयुर्विज्ञान अर्हता अनुदत्त की गई है, पता लगाने का मानदंड वह होगा जो विहित किया जाए।

**10ग. कतिपय विद्यमान आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों, आदि के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए समय—**(1) यदि 1 जून, 1992 के पश्चात् और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1993 के प्रारम्भ को और उसके पूर्व किसी व्यक्ति ने कोई आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, स्थापित किया गया है अथवा किसी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय ने कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण आरम्भ किया है अथवा अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि की है तो, यथास्थिति, ऐसा व्यक्ति या आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1993 के प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के भीतर धारा 10क के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सरकार की अनुज्ञा प्राप्त करेगा।

(2) यदि, यथास्थिति, कोई व्यक्ति या आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने में असफल रहता है तो धारा 10ख के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसे लागू होंगे मानो धारा 10क के अधीन केंद्रीय सरकार की अनुज्ञा नामंजूर कर दी गई हो।]

**10घ. स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर स्तर के लिए समान प्रवेश परीक्षा—**स्नातक पूर्व स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर सभी आयुर्विज्ञान शैक्षिक संस्थाओं के लिए ऐसे अभिहित प्राधिकारी के माध्यम से हिन्दी, अंग्रेजी और ऐसी अन्य भाषाओं में तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक समान प्रवेश परीक्षा संचालित की जाएगी तथा अभिहित प्राधिकारी पूर्वोक्त रीति में समान प्रवेश परीक्षा का संचालन सुनिश्चित करेगा:

परंतु किसी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश के होते हुए भी, इस धारा के उपबंध, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार संचालित शैक्षणिक वर्ष 2016-17 के लिए स्नातक पूर्व स्तर पर समान प्रवेश परीक्षा के संबंध में राज्य सरकार के स्थानों की बाबत (चाहे वह सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में हो या प्राइवेट आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में), जहां ऐसे राज्य ने ऐसी परीक्षा का विकल्प नहीं दिया है, लागू नहीं होंगे।]

**11. भारत में के विश्वविद्यालयों या आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अनुदत्त आयुर्विज्ञान अर्हताओं को मान्यता—**(1) भारत में के किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा अनुदत्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं, जो प्रथम अनुसूची में सम्मिलित हैं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी।

(2) भारत में का कोई विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था, जो ऐसी आयुर्विज्ञान अर्हता अनुदत्त करती है, जो प्रथम अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, ऐसी अर्हता की मान्यता के लिए केंद्रीय सरकार को आवेदन कर सकेगी, और केंद्रीय सरकार, परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रथम अनुसूची को इस प्रकार संशोधित कर सकेगी कि उसमें ऐसी अर्हता सम्मिलित हो जाए, और ऐसी किसी अधिसूचना में यह भी आदेश दिया जा सकेगा कि प्रथम अनुसूची के अन्तिम स्तम्भ में ऐसी आयुर्विज्ञान अर्हता के सामने यह घोषित करते हुए एक प्रविष्टि की जाएगी कि वह मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता तभी होगी जब वह किसी विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् अनुदत्त की जाए।

**12. उन देशों में की, जिनके साथ व्यतिकर की स्कीम है, आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अनुदत्त आयुर्विज्ञान अर्हताओं को मान्यता—**(1) भारत के बाहर की आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अनुदत्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं, जो द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हैं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी।

<sup>1</sup> 2016 के अधिनियम सं० 39 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

(2) परिषद् 1\*\*\* भारत के बाहर के किसी देश में किसी प्राधिकारी के साथ, जिसे उस 1\*\*\* देश की विधि द्वारा चिकित्सा व्यवसायियों का रजिस्टर रखने का कार्य सौंपा गया है, आयुर्विज्ञान अर्हताओं की मान्यता के लिए व्यतिकर की स्कीम तय करने के लिए बातचीत कर सकेगी, तथा ऐसी किसी स्कीम के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, द्वितीय अनुसूची इस प्रकार संशोधित कर सकेगी कि उसमें ऐसी आयुर्विज्ञान अर्हता सम्मिलित हो जाए जिसके लिए परिषद् ने यह विनिश्चय किया है कि वह मान्यताप्राप्त होनी चाहिए, और ऐसी किसी अधिसूचना में यह भी निदेश दिया जा सकेगा कि द्वितीय अनुसूची के अंतिम स्तम्भ में ऐसी आयुर्विज्ञान अर्हता के सामने यह घोषित करते हुए एक प्रविष्टि की जाएगी कि वह मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता तभी होगी जब वह किसी विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् अनुदत्त की जाए।

(3) केंद्रीय सरकार, परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, द्वितीय अनुसूची को यह निदेश देते हुए संशोधित कर सकेगी कि उसमें किसी आयुर्विज्ञान अर्हता के संबंध में यह घोषित करते हुए एक प्रविष्टि की जाएगी कि वह मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता तभी होगी जब वह किसी विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व अनुदत्त की जाए।

(4) जहां परिषद् ने ऐसी किसी आयुर्विज्ञान अर्हता की सिफारिश करने से इंकार कर दिया है, जिसकी मान्यता के लिए प्रस्ताव उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा किया गया है, और वह प्राधिकारी इस निमित्त केंद्रीय सरकार से आवेदन करता है, वहां, केंद्रीय सरकार ऐसे आवेदन पर विचार करने के पश्चात् और ऐसे किसी इंकार के कारणों के बारे में रिपोर्ट, यदि कोई हो, परिषद् से प्राप्त करने के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, द्वितीय अनुसूची को इस प्रकार संशोधित कर सकेगी कि उसमें ऐसी अर्हता सम्मिलित हो जाए, और ऐसी अधिसूचना को उपधारा (2) के उपबंध लागू होंगे।

**13. कुछ ऐसी आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा, जिनकी अर्हताएं, प्रथम या द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित नहीं हैं, अनुदत्त आयुर्विज्ञान अर्हताओं को मान्यता—**(1) भारत में की आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अनुदत्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं भी, जो प्रथम अनुसूची में सम्मिलित नहीं हैं किंतु तृतीय अनुसूची के भाग 1 में सम्मिलित हैं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी।

(2) वे आयुर्विज्ञान अर्हताएं भी, जो भारत के किसी नागरिक को—

(क) अगस्त, 1947 के पन्द्रहवें दिन के पूर्व, उन राज्यक्षेत्रों में की आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा, जो अब पाकिस्तान के भाग हैं, और

(ख) अप्रैल, 1937 के पहले दिन के पूर्व, उन राज्यक्षेत्रों में की आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा, जो अब बर्मा के भाग हैं,

अनुदत्त की गई हैं और जो तृतीय अनुसूची के भाग 1 में सम्मिलित हैं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी।

(3) भारत के बाहर की आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अनुदत्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं भी, जो तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित हैं [ऐसी तारीख से पूर्व, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे] इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति, जो ऐसी कोई अर्हता रखता है, किसी राज्य चिकित्सक रजिस्टर में प्रविष्टि किए जाने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो और उसने वह अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् ऐसा व्यावहारिक प्रशिक्षण न लिया हो जो अर्हता अनुदत्त करने वाले 3\*\*\* देश में प्रवृत्त नियमों या विनियमों द्वारा अपेक्षित हो, अथवा, यदि उसने उस देश में, 3\*\*\* कोई व्यावहारिक प्रशिक्षण नहीं लिया है तो, जब तक कि उसने ऐसा व्यावहारिक प्रशिक्षण न लिया हो जो विहित किया जाए।

(4) केंद्रीय सरकार, परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, तृतीय अनुसूची के भाग 2 को इस प्रकार संशोधित कर सकेगी कि उसमें भारत के बाहर की किसी आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा अनुदत्त ऐसी कोई अर्हता सम्मिलित हो जाए जो द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित नहीं है :

<sup>2</sup>[परन्तु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2001 के प्रारंभ के पश्चात् भारत के बाहर की किसी आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा अनुदत्त किसी प्रारंभिक आयुर्विज्ञान अर्हता को सम्मिलित करने के लिए तीसरी अनुसूची के भाग 2 में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि पहले परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका नाम भारतीय चिकित्सक रजिस्टर में प्रविष्टि किया गया है, भारत के बाहर की किसी आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा अनुदत्त किसी प्रारंभिक आयुर्विज्ञान अर्हता के तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित किए जाने को लागू नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण—**इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “प्रारंभिक आयुर्विज्ञान अर्हता” से ऐसी न्यूनतम अर्हता अभिप्रेत है जो किसी राज्य चिकित्सक रजिस्टर में नामांकन के लिए या भारतीय चिकित्सक रजिस्टर में नाम प्रविष्टि कराने के लिए पर्याप्त हो।]

<sup>1</sup> 1964 के अधिनियम सं० 24 की धारा 4 द्वारा “किसी राज्य या” शब्दों का लोप किया गया।

<sup>2</sup> 2001 के अधिनियम सं० 34 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>3</sup> 1964 के अधिनियम सं० 24 की धारा 5 द्वारा “राज्य या” शब्दों का लोप किया गया।

1[(4क) ऐसा कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है और उसने, ऐसी तारीख के पश्चात् जो उपधारा (3) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, भारत के बाहर के किसी देश में किसी आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा अनुदत्त ऐसी कोई आयुर्विज्ञान अर्हता अभिप्राप्त कर ली है, जो उस देश में आयुर्विज्ञान व्यवसायी के रूप में नामांकन के लिए मान्यताप्राप्त है, किसी राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा रखे गए चिकित्सक रजिस्टर में नामांकित कराने या भारतीय चिकित्सक रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट कराने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह भारत में ऐसे प्रयोजन के लिए विहित जांच परीक्षण में अर्हता प्राप्त नहीं कर लेता है और ऐसे व्यक्ति के जांच परीक्षण में अर्हित हो जाने के पश्चात् उस व्यक्ति के लिए ऐसी विदेशी आयुर्विज्ञान अर्हता इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता समझी जाएगी।

(4ख) ऐसा व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है, ऐसी तारीख के पश्चात् जो उपधारा (3) के अधीन केंद्रीय सरकार, द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, परिषद् द्वारा उसे जारी किया गया पात्रता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना, विदेश में किसी आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा अनुदत्त आयुर्विज्ञान अर्हता अभिप्राप्त करने के लिए प्रवेश लेने का पात्र नहीं होगा और यदि कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा पात्रता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना, ऐसी अर्हता अभिप्राप्त करता है तो वह उपधारा (4क) में निर्दिष्ट जांच परीक्षण में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा :

परन्तु ऐसे भारतीय नागरिक से, जिसने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2001 के प्रारंभ से पूर्व, विदेशी आयुर्विज्ञान संस्था से आयुर्विज्ञान अर्हता अर्जित कर ली है या विदेशी आयुर्विज्ञान संस्था में प्रवेश प्राप्त कर लिया है, इस उपधारा के अधीन पात्रता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना अपेक्षित नहीं होगा, परन्तु यदि वह भारत में किसी आयुर्विज्ञान संस्था में मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता के लिए किसी आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्हित है तो, उसे किसी राज्य चिकित्सक रजिस्टर में नामांकन के लिए या भारतीय चिकित्सक रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट कराने के लिए केवल विहित जांच परीक्षण में अर्हता प्राप्त करनी होगी।

(4ग) उपधारा (4क) और उपधारा (4ख) में अंतर्विष्ट कोई बात धारा 14 के प्रयोजनों के लिए उस धारा में निर्दिष्ट आयुर्विज्ञान अर्हताओं को लागू नहीं होगी।]

(5) भारत में की ऐसी कोई आयुर्विज्ञान संस्था, जो अपने द्वारा अनुदत्त आयुर्विज्ञान अर्हता को तृतीय अनुसूची के भाग 1 में सम्मिलित कराना चाहती है, ऐसी अर्हता की मान्यता के लिए केंद्रीय सरकार को आवेदन कर सकेगी, और केंद्रीय सरकार, परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, तृतीय अनुसूची के भाग 1 का इस प्रकार संशोधन कर सकेगी कि उसमें ऐसी अर्हता सम्मिलित हो जाए, और ऐसी किसी अधिसूचना में यह भी निदेश दिया जा सकेगा कि तृतीय अनुसूची के भाग 1 के अंतिम स्तंभ में ऐसी आयुर्विज्ञान अर्हता के सामने यह घोषित करते हुए एक प्रविष्टि की जाएगी कि वह मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता तभी होगी जब वह किसी विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् अनुदत्त की जाए।

**14. उन देशों में की, जिनके साथ व्यतिकर की कोई स्कीम नहीं है, आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अनुदत्त आयुर्विज्ञान अर्हताओं को मान्यता के लिए कुछ मामलों में विशेष उपबंध—**(1) केंद्रीय सरकार, परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि 2\*\*\* भारत के बाहर के किसी देश में, जिसकी बाबत आयुर्विज्ञान अर्हताओं को मान्यता के लिए व्यतिकर की कोई स्कीम प्रवृत्त नहीं है, आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अनुदत्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी, अथवा वे ऐसी अर्हताएं तभी होंगी जब वे किसी विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् अनुदत्त की जाएं :

<sup>3</sup>[परन्तु उन व्यक्तियों को, जो ऐसी अर्हताएं रखते हों, चिकित्सा व्यवसाय—

(क) के लिए तभी अनुज्ञात किया जाएगा जब ऐसे व्यक्तियों को, चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण का विनियमन करने वाली उस देश में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार चिकित्सा व्यवसायियों के रूप में प्रविष्ट किया गया है,

(ख) उस संस्था तक ही सीमित रहेगा जिसके साथ वे अध्यापन, अनुसंधान या पूर्ण कार्य के प्रयोजनों के लिए तत्समय संलग्न हैं, और

(ग) उस अवधि तक ही किया जाएगा, जिसे केंद्रीय सरकार ने, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया है।]

(2) ऐसी किसी आयुर्विज्ञान अर्हता के संबंध में, केंद्रीय सरकार, परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि वह मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता तभी होगी जब वह किसी विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व अनुदत्त की गई हो।

**15. अनुसूचियों में सम्मिलित अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों के प्रविष्ट किए जाने के अधिकार—**<sup>4</sup>[(1)] इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनुसूचियों में सम्मिलित आयुर्विज्ञान अर्हताएं किसी राज्य चिकित्सक रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाने के लिए पर्याप्त अर्हता होगी।

<sup>1</sup> 2001 के अधिनियम सं० 34 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> 1964 के अधिनियम सं० 24 की धारा 6 द्वारा “किसी राज्य या” शब्दों का लोप किया गया।

<sup>3</sup> 1964 के अधिनियम सं० 24 की धारा 6 द्वारा पूर्ववर्ती परंतुक के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>4</sup> 1964 के अधिनियम सं० 24 की धारा 7 द्वारा धारा 15 को उस धारा की उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया।



1[(2) धारा 25 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, ऐसे चिकित्सा व्यवसायी से, जो राज्य चिकित्सक रजिस्टर में प्रविष्ट हो, भिन्न कोई व्यक्ति—

(क) सरकार में या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी द्वारा घोषित किसी संस्था में किसी कार्य-चिकित्सक या शल्य-चिकित्सक के रूप में कोई पद या (किसी भी नाम से ज्ञात) कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा ;

(ख) किसी राज्य में चिकित्सा व्यवसाय नहीं करेगा ;

(ग) चिकित्सीय या आरोग्यता प्रमाणपत्र या कोई अन्य प्रमाणपत्र, जो सम्यक् रूप से अर्हित चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित किए जाने के लिए किसी विधि द्वारा अपेक्षित है, हस्ताक्षरित या अधिप्रमाणित करने का हकदार न होगा ;

(घ) किसी मृत्यु-समीक्षा पर या किसी न्यायालय में आयुर्विज्ञान से संबंधित किसी विषय पर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 45 के अधीन विशेषज्ञ के रूप में साक्ष्य देने का हकदार न होगा ।

(3) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (2) के किसी उपबंध के उल्लंघन के कार्य करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।]

**16. पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के संबंध में जानकारी की अपेक्षा करने की शक्ति—**भारत में का प्रत्येक विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था, जो मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता देती है, ऐसी अर्हता प्राप्त करने के लिए पूरे किए जाने वाले पाठ्यक्रमों और दी जाने वाली परीक्षाओं के बारे में, उस आयु के बारे में, जिसमें ऐसे पाठ्यक्रमों का पूरा किया जाना और परीक्षाओं का दिया जाना है, और ऐसी अर्हता का प्रदान किया जाना अपेक्षित है ; और साधारणतया ऐसी अर्हता प्राप्त करने के लिए अपेक्षाओं के बारे में ऐसी जानकारी देगी जिसकी परिषद् समय-समय पर, अपेक्षा करे ।

**17. परीक्षाओं का निरीक्षण—**<sup>2</sup>[(1) समिति, किसी आयुर्विज्ञान संस्था, महाविद्यालय, अस्पताल या अन्य संस्था के, जहां आयुर्विज्ञान की शिक्षा दी जाती है, निरीक्षण के लिए, या किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में, उस विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा अनुदत्त की जाने वाली आयुर्विज्ञान अर्हताओं की मान्यता के लिए केंद्रीय सरकार से सिफारिश करने के प्रयोजन से उपस्थित होने के लिए, उतने चिकित्सीय निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी जितने वह आवश्यक समझे ।

(2) चिकित्सीय निरीक्षक किसी प्रशिक्षण या परीक्षा के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किन्तु आयुर्विज्ञान शिक्षा के स्तरों की पर्याप्तता पर, जिनके अन्तर्गत कर्मचारिवृन्द, उपस्कर, वास-सुविधा, प्रशिक्षण या आयुर्विज्ञान की शिक्षा देने के लिए विहित अन्य सुविधाएं भी हैं अथवा प्रत्येक परीक्षा की, जिसमें वे उपस्थित रहें, पर्याप्तता पर समिति को रिपोर्ट देंगे ।]

(3) समिति ऐसी किसी रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था को भेजेगी और उस पर उस विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्थान के टिप्पणों सहित, एक प्रति केंद्रीय सरकार को भेजेगी ।

**18. परीक्षाओं में परिदर्शक—**<sup>3</sup>[(1) परिषद् किसी आयुर्विज्ञान संस्था, अस्पताल या अन्य संस्था के, जहां आयुर्विज्ञान की शिक्षा दी जाती है, निरीक्षण के लिए या मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं देने के प्रयोजन के लिए किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था ली जाने वाली किसी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उतने परिदर्शक नियुक्त कर सकेगी जितने वह आवश्यक समझे ।]

(2) कोई व्यक्ति, चाहे वह परिषद् का सदस्य हो या न हो, इस धारा के अधीन परिदर्शक नियुक्त किया जा सकेगा, किन्तु ऐसे व्यक्ति को, जिसे किसी <sup>4</sup>[निरीक्षण या परीक्षा] के लिए या धारा 17 के अधीन निरीक्षक नियुक्त किया गया है, उसी <sup>4</sup>[निरीक्षण या परीक्षा] के लिए परिदर्शक नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

<sup>5</sup>[(3) परिदर्शक किसी प्रशिक्षण या परीक्षा में संचालन के हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किन्तु आयुर्विज्ञान शिक्षा के स्तरों की पर्याप्तता पर, जिनके अंतर्गत कर्मचारिवृन्द, उपस्कर, वास-सुविधा, प्रशिक्षण तथा आयुर्विज्ञान की शिक्षा देने के लिए विहित अन्य सुविधाएं भी हैं, अथवा प्रत्येक परीक्षा की, जिसमें वे उपस्थित रहें, पर्याप्तता पर परिषद् के सभापति को रिपोर्ट देंगे ।]

(4) जब तक किसी विशिष्ट मामले में परिषद् का सभापति अन्यथा निदेश न दे, परिदर्शक रिपोर्ट गोपनीय मानी जाएगी : परन्तु यदि केंद्रीय सरकार परिदर्शक की रिपोर्ट की प्रति की अपेक्षा करे तो परिषद् उसे प्रस्तुत करेगी ।

**19. मान्यता का वापस लिया जाना—**<sup>6</sup>[(1) जब समिति या परिदर्शक की रिपोर्ट पर परिषद् को यह प्रतीत होता है कि—

(क) किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था में पूरे किए जाने वाले पाठ्यक्रम और दी जाने वाली परीक्षा अथवा उसके द्वारा ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों से अपेक्षित प्रवीणता, अथवा

<sup>1</sup> 1964 के अधिनियम सं० 24 की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>2</sup> 1964 के अधिनियम सं० 24 की धारा 8 द्वारा उपधारा (1) और (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> 1964 के अधिनियम सं० 24 की धारा 9 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>4</sup> 1964 के अधिनियम सं० 24 की धारा 9 द्वारा "परीक्षा" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>5</sup> 1964 के अधिनियम सं० 24 की धारा 9 द्वारा उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>6</sup> 1964 के अधिनियम सं० 24 की धारा 10 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ख) ऐसे विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था में या उस विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी महाविद्यालय या अन्य संस्था में कर्मचारिवृद्ध, उपस्कर, वास-सुविधा, प्रशिक्षण तथा उसमें दिए जाने वाले शिक्षण और प्रशिक्षण की अन्य सुविधाएं,

परिषद् द्वारा विहित स्तरों के अनुरूप नहीं है तब परिषद् उस आशय का अभ्यावेदन केंद्रीय सरकार को करेगी।]

(2) ऐसे अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, केंद्रीय सरकार उसे उस राज्य की सरकार को भेज सकेगी जिसमें वह विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था स्थित है और वह राज्य सरकार उसे ऐसे टिप्पणों सहित, जो वह दे, उस विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था को, उस कालावधि की प्रज्ञापना सहित भेजेगी जिसके भीतर वह विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था राज्य सरकार को अपना स्पष्टीकरण दे सकेगी।

(3) स्पष्टीकरण की प्राप्ति पर या जहां नियत कालावधि के भीतर कोई स्पष्टीकरण न दिया जाए वहां उस कालावधि के अवसान पर, राज्य सरकार केंद्रीय सरकार से अपनी सिफारिश करेगी।

(4) केंद्रीय सरकार ऐसी अतिरिक्त जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जो वह ठीक समझे, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि समुचित अनुसूची में उक्त आयुर्विज्ञान अर्हता के सामने यह घोषित करते हुए एक प्रविष्टि की जाएगी कि, यथास्थिति, वह मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता तभी होगी जब वह किसी विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व दी जाए। [अथवा, यदि उक्त आयुर्विज्ञान अर्हता किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी विनिर्दिष्ट महाविद्यालय या संस्था के विद्यार्थियों को दी जाए तो वह मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता तभी होगी जब वह किसी विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व दी जाए, या किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी विनिर्दिष्ट महाविद्यालय या संस्था में उक्त आयुर्विज्ञान अर्हता मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता तभी होगी जब वह किसी विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् दी जाए।]

**2[19क. आयुर्विज्ञान शिक्षा के न्यूनतम स्तर—**(1) परिषद्, भारत में के विश्वविद्यालयों या आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा (स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान अर्हताओं से भिन्न) मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताओं के दिए जाने के लिए अपेक्षित आयुर्विज्ञान शिक्षा के न्यूनतम स्तर विहित कर सकेगी।

(2) प्रारूप, किन्हीं विनियमों और उनके सभी पश्चात्पूर्वी संशोधनों की प्रतियां परिषद् द्वारा सभी राज्य सरकारों को दी जाएंगी, और परिषद्, यथास्थिति, विनियमों या उनके किसी संशोधनों को केंद्रीय सरकार को मंजूरी के लिए भेजने के पूर्व, किसी राज्य सरकार की उन टिप्पणियों पर विचार करेगी जो यथापूर्वोक्त प्रतियों के दिए जाने से तीन मास के भीतर प्राप्त हों।

(3) समिति, समय-समय पर, विनियमों की प्रभावकारित पर परिषद् को रिपोर्ट देगी और उनके ऐसे संशोधनों की परिषद् से सिफारिश कर सकेगी, जिन्हें वह ठीक समझे।]

**20. स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा संबंधी मामलों में परिषद् की सहायता के लिए स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा समिति—**(1) परिषद्, विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन के लिए स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा के स्तर विहित कर सकेगी और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए सारे भारत में एक से स्तर सुनिश्चित करने के विषय में विश्वविद्यालयों को सलाह दे सकेगी, और इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार, परिषद् के सदस्यों में से एक स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्नातकोत्तर समिति कहा गया है) का गठन कर सकेगी।

(2) स्नातकोत्तर समिति में नौ सदस्य होंगे और सभी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी और आयुर्विज्ञान के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को पढ़ाने अथवा उनकी परीक्षा लेने का अनुभव होगा।

(3) स्नातकोत्तर समिति के सदस्यों में से छह सदस्य, केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और शेष तीन सदस्य परिषद् द्वारा, अपने सदस्यों में से, निर्वाचित किए जाएंगे।

(4) किसी विषय में स्नातकोत्तर अध्ययन पर विचार करने के प्रयोजन के लिए, स्नातकोत्तर समिति, उस विषय में उसकी सहायता करने के लिए अर्हित एक या अधिक सदस्यों को, जब कभी आवश्यक हो, सहयोजित कर सकेगी।

(5) सभी मामलों पर स्नातकोत्तर समिति के विचार और सिफारिशें परिषद् के समक्ष रखी जाएंगी; और यदि परिषद्, किसी मामले पर स्नातकोत्तर समिति द्वारा अभिव्यक्त विचारों या की गई सिफारिशों से सहमत नहीं है तो परिषद् उन्हें अपने संप्रेक्षणों के साथ विनिश्चय के लिए केंद्रीय सरकार को भेज देगी।

**3[20क. वृत्तिक आचरण—**(1) परिषद् चिकित्सा व्यवसायियों के लिए वृत्तिके आचरण और शिष्टाचार के स्तर और आचार संहिता विहित कर सकेगी।

(2) परिषद् द्वारा उपधारा (1) के अधीन बनाया गए विनियम यह विनिर्दिष्ट कर सकेंगे कि उनका कौन सा अतिक्रमण वृत्तिके संबंध में गर्हित आचरण अर्थात् वृत्तिक अवचार गठित करता है, और किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा उपबंध प्रभावी होगा।]

<sup>1</sup> 1964 के अधिनियम सं० 24 की धारा 10 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> 1964 के अधिनियम सं० 24 की धारा 11 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>3</sup> 1964 के अधिनियम सं० 24 की धारा 12 द्वारा अंतःस्थापित।

**21. भारतीय चिकित्सक रजिस्टर—**(1) परिषद् चिकित्सा व्यवसायियों का एक रजिस्टर विहित रीति से रखवाएगी जो भारतीय चिकित्सक रजिस्टर कहलाएगा और जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम होंगे जो तत्समय किसी राज्य चिकित्सक रजिस्टर में प्रविष्ट हों और जो मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताओं में से कोई अर्हता रखते हों।

(2) परिषद् के रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के और परिषद् द्वारा किए गए किन्हीं आदेशों के उपबंधों के अनुसार भारतीय चिकित्सक रजिस्टर रखे और समय-समय पर रजिस्टर का पुनरीक्षण करे और उसे भारत के राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से, जो विहित की जाए, प्रकाशित करे।

(3) ऐसा रजिस्टर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के अर्थ में लोक दस्तावेज समझा जाएगा और भारत के राजपत्र में प्रकाशित प्रति द्वारा साबित किया जा सकेगा।

**22. राज्य चिकित्सक रजिस्ट्रारों की प्रतियों का दिया जाना—** प्रत्येक राज्य आयुर्विज्ञान परिषद्, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् और तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र परिषद् को राज्य चिकित्सक रजिस्टर की [छह] मुद्रित प्रतियां देगी और राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् का प्रत्येक रजिस्ट्रार राज्य चिकित्सक रजिस्टर में समय-समय पर किए गए सभी परिवर्धनों और अन्य संशोधनों की इत्तिला परिषद् को अविलंब देगा।

**23. भारतीय चिकित्सक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण—**परिषद् का रजिस्ट्रार किसी राज्य चिकित्सक रजिस्टर में किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण की रिपोर्ट की प्राप्ति पर अथवा विहित रीति से ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन पर उसका नाम भारतीय चिकित्सक रजिस्टर में प्रविष्ट कर सकेगा :

परंतु यह तब जब रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाए कि संबंधित व्यक्ति मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता रखता है।

**24. भारतीय चिकित्सक रजिस्टर से नामों का हटाया जाना—**(1) यदि राज्य चिकित्सक रजिस्टर में प्रविष्ट किसी व्यक्ति का नाम उस रजिस्टर में से, किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में, हटा दिया जाता है तो परिषद् भारतीय चिकित्सक रजिस्टर में से ऐसे व्यक्ति का नाम हटाए जाने का निदेश देगी।

(2) जहां राज्य चिकित्सक रजिस्टर से किसी व्यक्ति का नाम [वृत्तिक अवचार के आधार पर या उसके पास अपेक्षित आयुर्विज्ञान अर्हताएं न होने के आधार से भिन्न किसी आधार पर] हटा दिया जाता है अथवा जहां अपना नाम राज्य चिकित्सक रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट किए जाने के लिए उक्त व्यक्ति द्वारा किया गया आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है वहां वह विहित रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों में दी जाए, और जिनके अन्तर्गत फीस के संदाय की शर्तों भी हैं, केंद्रीय सरकार को अपील कर सकेगा, जिसका विनिश्चय, जो परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् दिया जाएगा, राज्य सरकार तथा राज्य चिकित्सक रजिस्टर की तैयारी से संबंधित प्राधिकारियों पर बाध्यकर होगा।

**25. अनंतिम रजिस्ट्रीकरण—**(1) भारत का कोई नागरिक, जो भारत से बाहर की किसी आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा अनुदत्त कोई ऐसी आयुर्विज्ञान अर्हता रखता है, जो तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित है और जिससे धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन विहित व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना अपेक्षित है, इस बात का समुचित साक्ष्य पेश करने पर कि उसे किसी अनुमोदित संस्था में ऐसे व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए चुन लिया गया है, इस बात का हकदार होगा कि राज्य चिकित्सक रजिस्टर में उसका अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकरण किया जाए और इस बात का हकदार होगा कि अनुमोदित संस्था में वह ऐसे प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए ही, न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए, चिकित्सा व्यवसाय करे।

(2) कोई व्यक्ति, जिसने कोई मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता अनुदत्त किए जाने के लिए भारत में किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था की कोई अर्हक परीक्षा पास कर ली है, अपने को इस बात के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजनों के लिए ही वह किसी अनुमोदित संस्था को, या संघ के सशस्त्र बलों की चिकित्सा सेवा में, निवासी चिकित्सक की हैसियत में नियोजन में लग सके, न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए, इस बात का समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर कि उसे उस नियोजन के लिए चुन लिया गया है, इस बात का हकदार होगा कि राज्य चिकित्सक रजिस्टर में उसका अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकरण किया जाए।

(3) किसी राज्य चिकित्सक रजिस्टर में उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत सभी व्यक्तियों के नाम उसमें रजिस्ट्रीकृत अन्य व्यक्तियों के नामों से अलग प्रविष्ट किए जाएंगे।

(4) यथापूर्वोक्त अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति, जिसने उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, अथवा जो, यथास्थिति, किसी अनुमोदित संस्था में, या संघ के सशस्त्र बलों की चिकित्सा सेवा में निवासी चिकित्सक की हैसियत में विहित अवधि के लिए नियोजन में लग गया है, धारा 15 के अधीन राज्य चिकित्सक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा।]

<sup>1</sup> 1964 के अधिनियम सं० 24 की धारा 13 द्वारा "तीन" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> 1964 के अधिनियम सं० 24 की धारा 14 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 1964 के अधिनियम सं० 24 की धारा 15 द्वारा धारा 25 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

**26. अतिरिक्त अर्हताओं का रजिस्ट्रीकरण**—(1) यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम भारतीय चिकित्सक रजिस्टर में प्रविष्ट है, स्वच्छता विज्ञान, सार्वजनिक स्वास्थ्य या आयुर्विज्ञान में प्रवीणता के लिए कोई ऐसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अर्हता प्राप्त कर लेता है, जो मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता है तो, वह विहित रीति से इस निमित्त किए गए आवेदन पर, इस बात का हकदार होगा कि वह ऐसी अन्य उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अर्हता व्यक्त करने वाली प्रविष्टि भारतीय चिकित्सक रजिस्टर में अपने नाम के सामने, या तो पहले की गई किसी प्रविष्टि के स्थान पर या उसके अतिरिक्त करा ले।

(2) राज्य चिकित्सक रजिस्टर में ऐसे किसी व्यक्ति की बाबत प्रविष्टियां भारतीय चिकित्सक रजिस्टर में किए गए परिवर्तनों के अनुसार परिवर्तित की जाएंगी।

**27. उन व्यक्तियों के विशेषाधिकार जो भारतीय चिकित्सक रजिस्टर में प्रविष्ट हैं**—उन शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जिन्हें कुछ मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा व्यवसाय के संबंध में इस अधिनियम में दिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम भारतीय चिकित्सक रजिस्टर में तत्समय है, अपने अर्हताओं के अनुसार, भारत के किसी भाग में, चिकित्सा व्यवसायी के रूप में व्यवसाय करने का तथा ओषधियों या अन्य साधनों की बाबत प्रभार, कोई व्यय या कोई फीस, जिसका वह हकदार हो, ऐसे व्यवसाय की बाबत विधि के सम्यक् अनुक्रम में वसूल करने का हकदार होगा।

**28. भारतीय चिकित्सक रजिस्टर में प्रविष्ट व्यक्तियों द्वारा निवास तथा चिकित्सा व्यवसाय के स्थान में परिवर्तन का सूचित किया जाना**—भारतीय चिकित्सक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति, अपने निवास या चिकित्सा व्यवसाय के स्थान का अंतरण, परिषद् को और संबंधित राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् को, ऐसे अंतरण के तीस दिन के भीतर सूचित करे, और ऐसा करने में असफल होने पर परिषद् या राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेने का उसका अधिकार, केंद्रीय सरकार के आदेश द्वारा, या तो स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, समपहृत किया जा सकेगा।

**29. परिषद् द्वारा दी जाने वाली जानकारी और उसका प्रकाशन**—(1) परिषद् केंद्रीय सरकार को ऐसी रिपोर्टों, अपने कार्यवृत्त की प्रतियां, अपने लेखाओं की संक्षिप्तियां और ऐसी अन्य जानकारी देगी जिसकी वह सरकार अपेक्षा करे।

(2) केंद्रीय सरकार इस धारा अथवा धारा 17 और धारा 18 के अधीन अपने को दी गई कोई रिपोर्ट, प्रति, संक्षिप्त या अन्य जानकारी ऐसी रीति से प्रकाशित कर सकेगी जैसी वह ठीक समझे।

**30. जांच आयोग**—(1) जब कभी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत कराया जाए कि परिषद् इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी का अनुपालन नहीं कर रही है तब केंद्रीय सरकार उस शिकायत की विशिष्टियां एक जांच आयोग को निर्देशित कर सकेगी, जो तीन व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, जिनमें से दो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, जिनमें से एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा तथा एक परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और यह आयोग संक्षिप्त रीति से जांच करने के लिए तथा शिकायत में आरोपित बातों की सत्यता के बारे में केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट देने के लिए अग्रसर होगा, और यदि आयोग द्वारा यह पाया जाए कि व्यक्तिक्रम या अनुचित कार्रवाई का कोई आरोप सिद्ध कर दिया गया है तो आयोग उन उपचारों की, यदि कोई हों, सिफारिश करेगा जो उसकी राय में आवश्यक हैं।

(2) केंद्रीय सरकार परिषद् से अपेक्षा कर सकेगी कि वह उन उपचारों को जिनकी इस प्रकार सिफारिश की गई है, ऐसे समय के भीतर अपनाए जिसे वह, आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, ठीक समझे, और यदि परिषद् ऐसी किसी अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहती है तो केंद्रीय सरकार परिषद् के विनियमों को संशोधित कर सकेगी या ऐसा उपबंध या आदेश कर सकेगी या ऐसे अन्य कदम उठा सकेगी जो आयोग की सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

(3) जांच आयोग को अपने द्वारा की जाने वाली जांच के प्रयोजन के लिए शपथ दिलाने, साक्षियों को हाजिर कराने तथा दस्तावेजों को पेश कराने की शक्ति तथा ऐसी अन्य सभी आवश्यक शक्तियां होंगी जैसी सिविल न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन प्रयुक्त की जाती हैं।

**31. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण**—कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई किसी भी ऐसी बात के लिए जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है, सरकार, परिषद् या राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् या उसकी किसी समिति या सरकार या पूर्वोक्त परिषदों के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध न होगी।

**32. नियम बनाने की शक्ति**—(1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

<sup>1</sup>(2) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि उस

<sup>1</sup> 2005 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]

**33. विनियम बनाने की शक्ति**—परिषद् साधारणतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यन्वित करने के लिए विनियम, केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, बना सकेगी और इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे :—

(क) परिषद् की सम्पत्ति का प्रबंध तथा उसके लेखाओं का रखा जाना और लेखा परीक्षा ;

(ख) परिषद् के अधिवेशन बुलाना और करना, वे समय जब और वे स्थान जहां ऐसे अधिवेशन किए जाने हैं, उनमें कार्य किया जाना और गणपूर्ति गठित करने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या ;

(ग) परिषद् के सदस्यों का त्यागपत्र ;

(घ) उपसभापति और सभापति की शक्तियां और कर्तव्य ;

(ङ) कार्यकारिणी समिति तथा अन्य समितियों की नियुक्ति का ढंग, ऐसी समितियों के अधिवेशन बुलाना और करना तथा उनमें कार्य किया जाना ;

(च) रजिस्ट्रार की तथा परिषद् के अन्य अधिकारियों और सेवकों की पदावधि तथा उनकी शक्तियां और कर्तव्य ;

<sup>1</sup>[(चक) धारा 10क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन स्कीम का प्ररूप, ऐसी स्कीम में दी जाने वाली विशिष्टियां, वह रीति जिससे स्कीम प्रस्तुत की जानी है और स्कीम के साथ संदेय फीस ;

(चख) धारा 10क की उपधारा (7) के खंड (छ) के अधीन कोई अन्य बात ;

(चग) किसी ऐसे छात्र का पता लगाने के लिए मानदंड, जिसे धारा 10ख की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट कोई आयुर्विज्ञान अर्हता अनुदत्त की गई है ;]

(छ) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदनों में दी जाने वाली विशिष्टियां और अर्हताओं के लिए दिया जाने वाला सबूत ;

(ज) इस अधिनियम के अधीन आवेदनों तथा अपीलों पर दी जाने वाली फीसें ;

(झ) चिकित्सा निरीक्षकों और परिदर्शकों की नियुक्तियां, शक्तियां, कर्तव्य और प्रक्रिया ;<sup>2\*\*\*</sup>

<sup>3</sup>[(ज) विश्वविद्यालयों या आयुर्विज्ञान संस्थाओं में, मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता के अनुदान के लिए किए जाने वाले अध्ययन और व्यावहारिक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम और उनकी अवधि, परीक्षा के विषय और उनमें प्राप्त की जाने वाली प्रवीणता के स्तर ;

(ट) आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए कर्मचारिवृंद, उपस्कर, आवास-सुविधा, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं के स्तर ;

(ठ) वृत्तिक परीक्षाओं का संचालन, परीक्षकों की अर्हताएं तथा ऐसी परीक्षाओं में प्रवेश की शर्तें ;

(ड) चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा अनुपालन के लिए वृत्तिक आचरण और शिष्टाचार के स्तर तथा आचार संहिता ;]

<sup>4</sup>[(डग) उपधारा (4क) के अधीन और उपधारा (4ख) के परंतुक के अधीन जांच परीक्षण संचालित करने और धारा 13 की उपधारा (4ख) के अधीन प्रात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पद्धतियां ;]

<sup>5</sup>[(डख) स्नातक पूर्व स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर सभी आयुर्विज्ञान शैक्षिक संस्थाओं में समान प्रवेश परीक्षा के संचालन के लिए अभिहित प्राधिकारी, अन्य भाषाएं और रीति ;]

<sup>6</sup>[(ड) कोई अन्य विषय जिसके लिए विनियमों द्वारा उपबंध इस अधिनियम के अधीन किया जा सकता है।]

<sup>7</sup>[34. 1933 के अधिनियम सं० 27 का निरसन—(1) इण्डियन मेडिकल कौंसिल ऐक्ट, 1933 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

<sup>1</sup> 1993 के अधिनियम सं० 31 की धारा 3 द्वारा (27-8-1992 से) अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> 1964 के अधिनियम सं० 24 की धारा 16 द्वारा “और” शब्द का लोप किया गया।

<sup>3</sup> 1964 के अधिनियम सं० 24 की धारा 16 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>4</sup> 2001 के अधिनियम सं० 34 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>5</sup> 2016 के अधिनियम सं० 39 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>6</sup> 1964 के अधिनियम सं० 24 की धारा 16 द्वारा खंड (ज) को खंड (ड) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया गया।

<sup>7</sup> 1958 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) धारा 34 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, और जब तक इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिषद् का गठन नहीं हो जाता—

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक इण्डियन मेडिकल कौंसिल ऐक्ट, 1933 के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार द्वारा, उन व्यक्तियों में से, जो किसी राज्य चिकित्सक रजिस्टर में प्रविष्ट हैं और जो ऐसी आयुर्विज्ञान अर्हताएं रखते हैं जो इस अधिनियम की तृतीय अनुसूची के भाग 1 में दी गई आयुर्विज्ञान अर्हताएं हैं उसमें नामनिर्दिष्ट सात व्यक्तियों सहित (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आयुर्विज्ञान परिषद् कहा गया है) इस अधिनियम के अधीन गठित परिषद् समझी जाएगी और वह परिषद् को प्रदत्त शक्तियों में से किसी का प्रयोग या उस पर आरोपित कर्तव्यों में से किसी का निर्वहन कर सकेगी ; और उक्त आयुर्विज्ञान परिषद् में होने वाली कोई रिक्ति ऐसी रीति से भरी जा सकेगी, जिसे केंद्रीय सरकार ठीक समझे ;

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व गठित उक्त आयुर्विज्ञान परिषद् की कार्यकारिणी समिति तथा अन्य समितियां इस अधिनियम के अधीन गठित कार्यकारिणी समिति तथा अन्य समितियां समझी जाएंगी ।]

प्रथम अनुसूची<sup>1</sup>

(धारा 11 देखिए)

भारत में विश्वविद्यालयों या आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अनुदत्त मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
<b>इलाहाबाद विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामान्य आयुर्विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (समा० निरो० आ०)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (ने० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एस० (सामान्य शल्य विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृति वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (श०क्रि० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (श०र०वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषज गुण विज्ञान)	एम० डी० (भे०गु०वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बाल चिकित्सा विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० एस० (प्र०वि० और स्त्री रोग विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्र०वि० और रोग विज्ञान)
डिप्लोमा इन ओटो-रिनो-लारिंगोलोजी	डी०एल०ओ०
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विकलांग विद्या)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (सं०वि०)
डिप्लोमा इन अनेस्थिसीयोलॉजी	डी०ए०
मास्टर आफ सर्जरी (क०ना०कं०)	एम० एस० (क०ना०कं०)
<b>अमरावती विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एंड बैचलर आफ सर्जरी	एम०बी०बी०एस

<sup>1</sup> अनुसूची समय-समय पर संशोधित की गई है और उपरोक्त रूप में उद्धृत है ।

## अन्नामलै विश्वविद्यालय

बैचलर और मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी एम० बी० बी० एस०

## आन्ध्र विश्वविद्यालय

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन	एम०डी०
मास्टर आफ सर्जरी	एम०एस०
लाइसेंसिएट इन मेडिसिन एण्ड सर्जरी	एल०एम०एस०
डिप्लोमा इन लारिंगलोजी एण्ड ओटोलोजी	डी०एल०ओ०
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एस० (सामान्य शल्य वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विक० विद्या०)
डिप्लोमा इन विनिरियल डिजीजेज	डी०वी०डी०
डिप्लोमा इन आफथैलमालोजी	डी०ओ० (ने० वि०)
डिप्लोमा इन गाइनिकालौजी एण्ड आब्स्टेट्रिक्स	डी०जी०ओ०
डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान)	एम०डी० (आयुर्विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान और जीवाणु विज्ञान)	एम०डी० (विकृति वि० और जीवाणु वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम०डी० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषज गुण विज्ञान)	एम०डी० (भे०गु०वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान और जीवाणु विज्ञान)	एम०डी० (विकृति वि० सहित जीवाणु वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (क०ना०कं०)	एम०एस० (क०ना०कं०)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम०एस० (ने०वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम०एस० (शरीर रचना वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (जीवाणु विज्ञान सहित विकृति विज्ञान)	एम०डी० (जीवाणु वि० सहित वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (त्वचा जीवाणु)	एम०डी० (त्वचा वि०)
डिप्लोमा इन अनेस्थिसियोलोजी	डी०ए०
डिप्लोमा इन टुबरकुलोसिस डिजीजेज	टी०डी०डी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा)	एम०डी० (बाल चिकित्सा)
डिप्लोमा इन चाइल्ड हैल्थ	डी०सी०एच०
डाक्टर आफ मेडिसिन (जीव रसायन)	एम०डी० (जीव रसायन)
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलोजी डायग्नोसिस	डी०एम०आर०डी०
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलोजी थेरापी	डी०एम०आर०डी०
डिप्लोमा इन टुबरकुलोसिस एंड चेस्ट डिजीजेज	डी०टी०सी०डी०
डिप्लोमा इन डर्मेटोलोजी	डी०डी०

## आगरा विश्वविद्यालय

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी एम०बी० बी० एस०

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान)	एम०डी० (आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम०डी० (विकृ० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषज गुण विज्ञान)	एम०डी० (भे०गु०वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम०एस० (ने०वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शल्य विज्ञान)	एम०एस० (श०वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम०एस० (प्र०वि० और स्त्री रोग वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम०डी० (श०क्रि०वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम०एस० (श०र०वि०)
डिप्लोमा इन आफथैलसिन मेडिसिन एण्ड सर्जरी	डी०ओ०एम०एस०
डिप्लोमा इन चाइल्ड हैल्थ	डी०सी०एच०
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलोजी एण्ड इलेक्ट्रोलोजी	डी०एम०आर०ई०
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम०डी० (बाल चिकित्सा वि०)
डिप्लोमा इन अनैस्थीसियोलोजी	डी०ए०
डिप्लोमा इन टुबरकुलोसिस एण्ड चैस्ट डिसीजेज	डी०टी०सी०डी०
डिप्लोमा इन आब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनिकालोजी	डी०जी०ओ०
डिप्लोमा इन आर्थोपेडिक्स	डी०आर्थ०
डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथालाजी	डी०सी०पी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (मनोविज्ञानीय आयुर्विज्ञान)	एम०डी० (मनोविज्ञानीय आयुर्विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम०डी० (सामा० और निरो० आ०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (न्याय संबंधी आयुर्विज्ञान)	एम०डी० (न्याय संबंधी आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकिरण विज्ञान)	एम०डी० (विकिरण वि०) यह अर्हता केवल शैक्षणिक वर्ष 1984-85 तक मान्यता प्राप्त अर्हता होगी ।
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम०डी० (संवेदनाहरण वि०) यह अर्हता जब 1-6-1978 को या उसके पश्चात् प्रदत्त की जाती है तो मान्यता प्राप्त अर्हता होगी ।
<b>अलीगढ़ विश्वविद्यालय</b>	
डिप्लोमा इन आफथैलमालोजी	डी०ओ० (नेत्र विज्ञान में डिप्लोमा) इस अनुसूची के अंतर्गत यह अर्हता मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता तभी होगी जब यह इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अन्य आयुर्विज्ञान अर्हता रखने वाले व्यक्ति के पास हो ।
<b>अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम०बी०बी०एस०, अलीगढ़
डिप्लोमा इन आफथैलमिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	डी०ओ०एम०एस०
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियो-डायग्नोसिस	डी०एम०आर०डी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम०डी० (सामा० आयु०)



मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम०डी० (विकृति वि०)
डाक्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम०एस० (सा० शल्य० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकिरण निदान)	एम०डी० (विकि० निदान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम०डी० (बाल चिकित्सा विज्ञान)
डिप्लोमा इन चाइल्ड हैल्थ	डी०सी०एच०
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम०एस० (विक० विद्या०)
डिप्लोमा इन आर्थोपेडिक्स	डी०आर्थो०
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषज विज्ञान)	एम०डी० (भेषजगुण विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम०डी० (सामा० और निरो० आ०)
मास्टर आफ सर्जरी (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम०एस० (संवे० विज्ञान) यह अर्हता तभी मान्यताप्राप्त अर्हता होगी जब वह 23-11-1984 को या उसके पूर्व प्रदत्त की गई हो।
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम०डी० (संवे० वि०) यह अर्हता तभी मान्यताप्राप्त अर्हता होगी जब वह 24-11-1984 को या उसके पश्चात् प्रदान की जाती है।
डाक्टर आफ मेडिसिन (समुदाय आयुर्विज्ञान)	एम०डी० (समु०आयु०) यह अर्हता तभी मान्यताप्राप्त अर्हता होगी जब वह 31-3-1987 को या उसके पश्चात् प्रदान की जाती है।
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम०एस० (शरीर रचना विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम०एस० (नेत्र वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सूक्ष्म जीव विज्ञान)	एम०डी० (सूक्ष्मजीव विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम०डी० (प्र० वि० और स्त्री रो० वि०)
डिप्लोमा इन गाइनिकालोजी एंड आब्स्टेट्रिक्स	डी०जी०ओ०
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम०डी० (श०क्रि०वि०)

### अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के संबंध में सभी पूर्वतर सूचनाओं और अधिसूचनाओं को अधिकांत करते हुए इसके द्वारा सर्व साधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त संस्थान निम्नलिखित डिग्रियां और डिप्लोमा प्रदान किए जाने के लिए पाठ्यक्रम संचालित करता है—

डिग्रियां—

1. एम०बी०बी०एस०
2. एम०डी० (संवेदनाहरण विज्ञान)
3. एम०डी० (जीव रसायन)
4. एम०डी० (जीव भौतिकी)
5. एम०डी० (त्वचा विज्ञान और रतिजरोग विज्ञान)

6. एम०डी० (न्याय संबंधी आयुर्विज्ञान)
7. एम०डी० (आयुर्विज्ञान)
8. एम०डी० (सूक्ष्म जीव विज्ञान)
9. एम०डी० (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)
10. एम०डी० (नेत्र विज्ञान)
11. एम०डी० (बाल चिकित्सा विज्ञान)
12. एम०डी० (मनोविकार चिकित्सा)
13. एम० डी० (निवारक और सामाजिक आयुर्विज्ञान)
14. एम०डी० (विकृति विज्ञान)
15. एम०डी० (भेषज गुण विज्ञान)
16. एम०डी० (शरीर क्रिया विज्ञान)
17. एम०डी० (एक्स रे निदान)
18. एम०डी० (विकिरण चिकित्सा विज्ञान)
19. एम०डी० (शरीर रचना विज्ञान)
20. एम०एस० (कर्ण नासा० कण्ठ विज्ञान)
21. एम०एस० (शल्य विज्ञान)
22. एम०डी० (विकलांग विज्ञान)
23. एम०सी०एच० (तंत्रिका शल्य विज्ञान)
24. एम०सी०एच० (मूत्र मार्ग विज्ञान)
25. एम०सी०एच० (हृदय, वक्ष और वाहिका शल्य विज्ञान)
26. एम०सी०एच० (बाल चिकित्सा शल्य विज्ञान)
27. डी०एम० (तंत्रिका विज्ञान)
28. डी०एम० (हृदय रोग विज्ञान)
29. डी०एम० (जठरांत्ररोग विज्ञान)
30. \*पी०एच०डी० (शरीर रचना विज्ञान)
31. \*पी०एच०डी० (जीव रसायन)
32. \*पी०एच०डी० (जीव भौतिकी)
33. \*पी०एच०डी० (सूक्ष्मजीव विज्ञान)
34. \*पी०एच०डी० (विकृति विज्ञान)
35. \*पी०एच०डी० (शरीर क्रिया विज्ञान)
36. \*पी०एच०डी० (भेषजगुण विज्ञान)
37. \*पी०एच०डी० (जनन जीव विज्ञान)
38. पी०एच०डी० (प्रयोगात्मक विज्ञान)
39. पी०एच०डी० (जैव आयुर्विज्ञान इंजीनियरी)
40. मास्टर आफ हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन (एम०एच०ए०)

**टिप्पणी :** \*उपदर्शित करता है कि ये आयुर्विज्ञान उपाधियां (डिग्रियां) मानी जाती हैं परंतु तब जब इन्हें ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 के अधीन मान्यताप्राप्त अर्हता धारण करते हैं।

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह भी अधिसूचित किया जाता है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 23 के अनुसार उक्त संस्थान द्वारा अनुदत्त उपाधियां और डिप्लोमा भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हता होगी।

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
<b>ए० पी० सिंह विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम०बी०बी०एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम०डी० (सामान्य आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम०डी० (सा० और निरोधक आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषज गुण विज्ञान)	एम०डी० (भेष० आयुर्विज्ञान)
डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलोजी	डी०सी०पी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम०डी० (विकृति विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम०डी० (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम०एस० (नेत्र विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम०एस० (शरीर रचना विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम०डी० (शरीर क्रिया विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम०एस० (सामान्य शल्य विज्ञान)
<b>आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम०बी०बी०एस०
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियो थेरापी	डी०एम०आर०टी०
डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलोजी	डी०सी०पी०
डिप्लोमा इन लारिंगोलोजी एंड आस्टोलोजी	डी०एल०ओ०
डिप्लोमा इन विनिरियोलाजी एंड डर्माटोलोजी	डी०वी०डी०
डिप्लोमा इन आर्थ्रोमोलोजी	डी०ओ०
डिप्लोमा इन गाइनोकोलोजी एंड आब्स्टेट्रिक्स	डी०जी०ओ०
डिप्लोमा इन विनिरियोलाजी	डी०वी०
डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया	डी०ए०
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियो डायग्नोसिस	डी०एम०आर०डी०
डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ	डी०सी०एच०
डिप्लोमा इन इन टूबरकुलोसिस एंड चैस्ट डिजीजेज	डी०टी०सी०डी०
डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ	डी०पी०एच०
डिप्लोमा इन डर्माटोलोजी	डी०डी०
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम०एस० (सामा० शल्य विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम०एस० (विकलांग विद्या)

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम०डी० (सामा० आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम०डी० (विकृति विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषजगुण विज्ञान)	एम०डी० (भेषजगुण विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (क०ना०क०)	एम०एस० (क०ना०क०)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम०एस० (नेत्र विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम०एस० (शरीर रचना वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (त्वचा विज्ञान)	एम०डी० (त्वचा विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम०डी० (बाल चि० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (जीव रसायन)	एम०डी० (जीव रसायन)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम०डी० (संवे० विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकिरण चिकित्सा)	एम०डी० (वि० चिकित्सा)
मास्टर आफ सर्जरी (बाल चिकित्सा शल्य विज्ञान)	एम०एस० (बाल चि० श० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (तंत्रिका श० विज्ञान)	एम०एस० (तं० श० विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान/ सामुदायिक आयुर्विज्ञान)	एम०डी० (सामा० और निरो० आयु०/ सामु० आयुर्विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सूक्ष्म जीव विज्ञान)	एम०डी० (सूक्ष्म जीव विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम०डी० (शरीर क्रिया विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (न्याय संबंधी आयुर्विज्ञान)	एम०डी० (न्या० संबंधी आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम०डी० (प्रसू०वि० और स्त्री रोग विज्ञान)
मास्टर आफ साइंस (शरीर रचना विज्ञान)	एम०एस० (शरीर रचना विज्ञान)
मास्टर आफ साइंस (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम०एस० (शरीर क्रिया विज्ञान)
डिप्लोमा इन फोरेंसिक मेडिसिन	एम०एस०एम०

**टिप्पणी :**—उपर्युक्त अर्हताएं तभी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी जब वे उनमें से प्रत्येक के सामने लिखी तारीख के पश्चात् प्रदान की गई हैं।

एम०बी०बी०एस०—31 मई, 1993 से  
स्नातकोत्तर डिप्लोमा—31 जनवरी, 1989 से  
स्नातकोत्तर डिग्रियां—31 मार्च, 1990 से

#### मुम्बई विश्वविद्यालय

लाइसेंसिएट इन मेडिसिन एण्ड सर्जरी	एल०एम०एस०
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम०बी०बी०एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन	एम०डी०
मास्टर आफ सर्जरी	एम०एस०
डिप्लोमा इन अनेस्थीसिया	डी०ए०
डाक्टर आफ मेडिसिन (यक्ष्मा)	एम०डी० (यक्ष्मा)

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
मास्टर आफ साइंस (विकृति विज्ञान)	एम०एस०सी० (विकृति विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति-विद्या)	एम०डी० (प्रसू०)
मास्टर आफ सर्जरी (कर्ण, नासा, कंठ विज्ञान)	एम०एस० (क०ना०कं०वि०)
डिप्लोमा इन आफथैलमालोजी	डी०ओ०
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम०एस० (नेत्र विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बाल चि० विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृति विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विक० विद्या)
डिप्लोमा आफ मेडिकल रेडियोलोजी डायग्नोसिस	डी०एम०आर०डी० यह अर्हता तभी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान संस्था होगी जब 30 अप्रैल, 1979 को या उसके पूर्व प्रदान की गई हो।
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषजगुण विज्ञान)	एम०डी० (भेषजगुण विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (तंत्रिका विज्ञान)	एम०डी० (तंत्रिका विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (प्रसूति शल्य विज्ञान)	एम०डी० (प्रसू०श० विज्ञान)
डिप्लोमा इन रेडिएशन मेडिसिन	डी०आर०एम०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सूक्ष्मजीव विज्ञान)	एम० डी० (सूक्ष्म जीव विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० विज्ञान)
*डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० और निरो० आयुर्विज्ञान) यह अर्हता तभी मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता होगी जब 30 अप्रैल, 1981 को या उससे पूर्व प्रदान की गई है।
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम०एस० (सामा० श० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम०एस० (श०र०वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (प्लास्टिक शल्य विज्ञान)	एम०एस० (प्ला०श०वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (प्लास्टिक शल्य विज्ञान)	एम०सी०एच० (प्ला०श०वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (वक्ष शल्य विज्ञान)	एम०एस० (वक्ष श०वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (वक्ष शल्य विज्ञान)	एम०सी०एच० (वक्ष०श०वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (तंत्रिका विज्ञान)	डी०एम० (तंत्रिका विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (बाल चिकित्सा शल्य विज्ञान)	एम०सी०एच० (बाल चिकि०श०विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान और जीवाणु विज्ञान)	एम० डी० (विकृति वि० और जीवाणु विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (तंत्रिका शल्य विज्ञान)	एम०सी०एच० (तंत्रिका शल्य विज्ञान) यह अर्हता तभी मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हता होगी जब मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा (1) ग्रांट चिकित्सा महाविद्यालय, मुंबई (2) सेठ जी०एस० चिकित्सा महाविद्यालय, मुंबई (3) टी०एन० चिकित्सा महाविद्यालय, मुंबई और (4) एल०टी०एम० चिकित्सा महाविद्यालय, सियोन मुंबई, में प्रशिक्षित छात्रों को 31 दिसंबर, 1988 को या उसके पूर्व प्रदान की गई है।

## बिहार विश्वविद्यालय

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम०बी०बी०एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम०डी० (विकृति विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम०एस० (शरीर रचना वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान)	एम०डी० (आयु०)
मास्टर आफ सर्जरी (शल्य विज्ञान)	एम०एस० (शल्य वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (प्रसूति विद्यान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम०एस० (प्र०वि० और स्त्री रोग वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विद्यान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम०डी० (प्र०वि० और स्त्री रोग वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषजगुण विज्ञान)	एम०डी० (भे०गु०वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम०डी० (शरीर क्रिया विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (मनोविज्ञानीय आयुर्विज्ञान)	एम०डी० (मनोविज्ञानीय आयुर्विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम०एस० (संवे०वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम०एस० (प्रस०वि० और स्त्री रोग विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (क०ना०क०)	एम०एस० (क०ना०क०)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम०एस० (नेत्र विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (न्याय संबंधी आयुर्विज्ञान)	एम०डी० (न्याय सं० आयु०)

## एम०एस० विश्वविद्यालय, बडौदा

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम०बी०बी०एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन	एम०डी० (आयुर्विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी	एम०एस० (शल्य विज्ञान)
मास्टर आफ साइंस इन फिजियालाजी	एम०एससी० (शरीर क्रिया विज्ञान)
डिप्लोमा इन अनेस्थीसिया	डी०ए०
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम०डी० (विकृ०वि०)
डिप्लोमा इन ओटो-रिनो-लारिंगोलाजी	डी०एल०ओ०
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषजगुण विज्ञान)	एम०डी० (भे०गु०वि०)
मास्टर आफ साइंस (शरीर रचना विज्ञान)	एम०एससी० (शरीर रचना वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम०डी० (प्र०वि० और स्त्री रोग वि०)
डिप्लोमा इन गाइनिकालोजी एण्ड आब्स्टेट्रिक्स	डी०जी०ओ०
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम०एस० (विकलांग विद्या)
डिप्लोमा इन पीडियाट्रिक्स	डी०पीडि०
डिप्लोमा इन डर्माटोलोजी एण्ड विनिरियोलाजी	डी०वी०एण्ड डी०
डिप्लोमा इन टुबरकुलोसिस डिजीजेज	टी०डी०डी०
डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथालोजी	डी०सी०पी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डिप्लोमा इन आप्थैलमालोजी	डी०ओ०
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम०डी० (बा०चि०वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (क०ना०क०)	एम०एस० (क०ना०क०)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम०एस० (श०र०वि०)
डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ	डी०सी०एच०
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकिरण निदान)	एम०डी० (विकिरण निदान)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम०एस० (नेत्र विज्ञान)
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस	डी०एम०आर०डी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम०डी० (शरीर क्रिया वि०)
मास्टर आफ साइंस (चिकित्सीय जीव रसायन)	एम०एससी० (चिकि० जीव रसायन) (केवल अध्यापन नियुक्ति के लिए अनुमोदित)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम०डी० (संवे० विज्ञान)
डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ	डी०पी०एच०

#### काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम०बी०बी०एस०
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम०एस० (सामा०शल्य वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (कर्ण नासा कंठ विज्ञान)	एम०एस० (कर्ण नासा कंठ विज्ञान)
डिप्लोमा इन ओटो-रिनो-लारिंगोलॉजी	डी०एल०ओ०
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम०एस० (श०र०वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (जीव रसायन)	एम०डी० (जीव रसायन)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषजगुण विज्ञान)	एम०डी० (भे०गु०वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम०डी० (सामा० और नि० आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम०डी० (विकृ०वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम०डी० (बा०चि०वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे०वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान)	एम०डी० (आयु०)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम०एस० (नेत्र विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम०एस० (विकलांग विद्या)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम०डी० (शरीर क्रिया वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम०एस० (प्र०वि० और स्त्री रोग विज्ञान)
मास्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम०डी० (प्र०वि० और स्त्री रोग विज्ञान)
डिप्लोमा इन अनेस्थीसियोलॉजी	डी०ए०
डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ	डी०सी०एच०
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी डायग्नोसिस	डी०एम०आर०डी०
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी थीरेपी	डी०एम०आर०टी०

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकिरण निदान)	एम०डी० (विकिरण निदान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (जीव भौतिकी)	एम०डी० (जीव भौतिकी)
डाक्टर आफ मेडिसिन (न्याय संबंधी आयुर्विज्ञान)	एम०डी० (न्या० सं० आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (एक्सरे चिकित्सा)	एम०डी० (एक्सरे चिकित्सा)
डाक्टर आफ मेडिसिन (त्वचा विज्ञान और रतिज रोग विज्ञान)	एम०डी० (त्वचा वि० और र० रोग वि०) यह अर्हता तभी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता होगी जब अगस्त, 1982, को या उसके पश्चात् प्रदान की गई है।
डाक्टर आफ मेडिसिन (सूक्ष्म जीव विज्ञान)	एम०डी० (सूक्ष्म जीव विज्ञान)
<b>बंगलौर विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम०बी०बी०एस०
डिप्लोमा इन साइकोलाजिकल मेडिसिन	डी०पी०एम०
मास्टर आफ सर्जरी (तंत्रिका शल्य विज्ञान)	एम०एस० (तंत्रिका श० विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (तंत्रिका विज्ञान)	एम०डी० (तंत्रिका विज्ञान)
डिप्लोमा इन एविएशन मेडिसिन	डिप०एवि०मेड०
डाक्टर आफ मेडिसिन (मनोवैज्ञानिक आयुर्विज्ञान)	एम०डी० (मनो० आयुर्विज्ञान)
डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ	डी०सी०एच०
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम०एस० (सा० श० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम०डी० (सा० आयु०)
मास्टर आफ सर्जरी (कर्ण नासा कंठ विज्ञान)	एम०एस० (क० ना० कं० वि०)
डिप्लोमा इन लारिंगोलाजी एंड ओटोलाजी	डी०एल०ओ०
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम०एस० (नेत्र वि०)
डिप्लोमा इन अफ्थलमोलाजी	डी०ओ०
डिप्लोमा इन एनेस्थिसीओलाजी	डी०ए०
डिप्लोमा इन अर्थोपेडिक्स	डी०अर्थ०
डिप्लोमा इन आप्थेल्मिक मेडिसिन एंड सर्जरी	डी०ओ०एम०एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर रचना विज्ञान)	एम०डी० (श० क्रि० वि०)
डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलाजी	डी०सी०पी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (विमानन आयुर्विज्ञान)	एम०डी० (विमानन आयुर्विज्ञान)
<b>बरहामपुर विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम०बी०बी०एस०
डिप्लोमा इन अर्थोपेडिक्स	डी०अर्थ०
डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ	डी०सी०एच०
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम०डी० (श० क्रि० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम०एस० (विकलांग विद्या)



मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम०डी० (बाल चिकित्सा विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम०एस० (सा० श० श० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम०डी० (सा० आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषजगुण विज्ञान)	एम०डी० (भेषजगुण विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम०डी० (विकृति विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम०एस० (श० र० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (क० ना० कं०)	एम०एस० (क० ना० कं०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (न्याय संबंधी आयुर्विज्ञान और विष विज्ञान)	एम०डी० (न्याय सं० आयु० और विष विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम०एस० (नेत्र विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम०डी० (सामा० और निरो० आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम०डी० (संवे० वि०)
<b>भोपाल विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम०बी०बी०एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम०डी० (श० क्रि० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषज गुण विज्ञान)	एम०डी० (भेषजगुण विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान)	एम०डी० (आयु०)
मास्टर आफ सर्जरी (शल्य विज्ञान)	एम०एस० (शल्य विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम०एस० (नेत्र विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम०एस० (विक० विद्या)
डिप्लोमा इन आफथैल्मिक मेडिसिन एंड सर्जरी	डी०ओ०एम०एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकिरण)	एम०डी० (विकिरण)
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलोजी एण्ड इलैक्ट्रोलाजी	डी०एम०आर०ई०
डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलोजी	डी०सी०पी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम०डी० (विकृति विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम०एस० (श० र० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम०एस० (प्र० वि० और स्त्री रोग विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम०डी० (प्र० वि० और स्त्री रोग विज्ञान)
डिप्लोमा इन आर्थोपेडिक्स	डी०आर्थ०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० और निरो० आयु०) यह अर्हता तभी मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता होगी जब 30 अप्रैल, 1981 को या उसके बाद प्रदान की गई है।
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम०डी० (बाल चिकित्सा विज्ञान)
डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ	डी०सी०एच०
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम०डी० (संवेदनाहरण विज्ञान)

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डिप्लोमा इन एनेस्थिसियोलॉजी	डी०ए०
डिप्लोमा इन फॉरेंसिक मेडिसिन	डी०एफ०एम०
डाक्टर आफ मेडिसिन (न्याय संबंधी आयुर्विज्ञान)	एम०डी० (न्याय संबंधी आयुर्विज्ञान)
<b>बी० एन० चक्रवर्ती विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम०बी०बी०एस०
डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ	डी०सी०एच०
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम०एस० (विकलांग विद्या)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम०डी० (बाल चिकित्सा विज्ञान) यह अर्हता मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता तभी होगी जब 2 अप्रैल, 1976 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई है।
डाक्टर आफ मेडिसिन (त्वचा विज्ञान जिसके अंतर्गत रति रोग और कुष्ठ हैं।)	एम०डी० (त्वचा विज्ञान जिसके अंतर्गत रति रोग और कुष्ठ हैं।)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम०एस० (नेत्र विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम०डी० (बा० चि० वि० और स्त्री रोग विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (क०ना०कं०)	एम०एस० (क० ना० कं०)
डिप्लोमा इन एनेस्थिसियोलॉजी	डी०ए०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम०डी० (सामा० और निरो० आयु०)
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम०एस० (सा० श० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम०डी० (विकृति विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान)	एम०डी० (आयु०)
<b>बुंदेलखंड विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम०बी०बी०एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम०डी० (संवे० वि०)
डिप्लोमा इन एनेस्थिसियोलॉजी	डी०ए०
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम०एस० (सामा० श० वि०)
<b>भागलपुर विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम०बी०बी०एस० यह अर्हता मान्यताप्राप्त अर्हता तभी होगी जब भागलपुर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय; भागलपुर में प्रशिक्षित किए जा रहे छात्रों की बाबत भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई है
<b>बर्दवान विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम०बी०बी०एस०
<b>भारतीदासन विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम०बी०बी०एस०
डिप्लोमा इन साइकोलाजिकल मेडिसिन	डी०पी०एम०

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता

रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर

डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)

एम०डी० (विकृति वि०)

**भारतीयार विश्वविद्यालय**

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी

एम०बी०बी०एस०

**कलकत्ता विश्वविद्यालय**

लाइसेंसिएट इन मेडिसिन एण्ड सर्जरी

एल०एम०एस०

बैचलर आफ मेडिसिन

एम०बी०

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी

एम०बी०बी०एस०

डाक्टर आफ मेडिसिन

एम०डी०

मास्टर आफ सर्जरी

एम०एस०

मास्टर आफ आबस्टेट्रिक्स

एम०ओ०

डिप्लोमा इन आपथैलमिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी

डी०ओ०एम०एस०

डिप्लोमा इन गाइनिकालोजी एण्ड आबस्ट्रेटिक्स

डी०जी०ओ०

डिप्लोमा इन मेटरनिटी एण्ड चाइल्ड वेलफेयर

डी०एम०सी०डब्ल्यू०

डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ

डी०पी०एच०

डिप्लोमा इन टुबरकुलोसिस डिजीजेज

टी० डी० डी०

डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलोजी एण्ड इलेक्ट्रोलोजी

डी०एम०आर०ई०

डिप्लोमा इन बेसिक मेडिकल साइंसेस (शरीर रचना विज्ञान)

डिप०बी०एम०एस०सी० (श०र०वि०)

डिप्लोमा इन बेसिक मेडिकल साइंसेस (शरीर क्रिया विज्ञान)

डिप०बी०एम०एस०सी० (श०क्रि०वि०)

डिप्लोमा इन बेसिक मेडिकल साइंसेस (भेषज गुण विज्ञान)

डिप०बी०एम०एस०सी० (भे०गु०वि०)

डिप्लोमा इन बेसिक मेडिकल साइंसेस (विकृति विज्ञान)

डिप०बी०एम०एस०सी० (विकृति वि०)

डिप्लोमा इन कार्डियोलोजी

डिप०कार्ड०

डिप्लोमा इन साइकोलाजिकल मेडिसिन

डी०पी०एम०

डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ

डी०सी०एच०

डिप्लोमा इन इन्डस्ट्रियल हेल्थ

डी०आई०एच०

डिप्लोमा इन डर्माटोलोजी

डी०डी०

डिप्लोमा इन आर्थोपाएडिक्स

डी०आर्थो०

डिप्लोमा इन अनेस्थिसियोलोजी

डी०ए०

मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)

एम०एस० (सामा०श०वि०)

डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)

एम०डी० (सामा०आयु०)

डाक्टर आफ मेडिसिन (त्वचा विज्ञान)

एम०डी० (त्वचा विज्ञान)

मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)

एम०एस० (विक० विद्या)

डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलोजी एंड डायग्नोसिस

डी०एम०आर०डी०

डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलोजी एंड थेरापी

डी०एम०आर०टी०

मास्टर आफ सर्जरी (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)

एम०एस० (प्र०वि० और स्त्री रोग विज्ञान)

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम०डी० (प्र० वि० और स्त्री रोग विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम०एस० (ने० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (मनोविकार चिकित्सा)	एम०डी० (मनो० चि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम०डी० (सामा० और नि० आयु०)
मास्टर आफ सर्जरी (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम०एस० (संवे० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम०डी० (संवे० वि०)
मास्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम०डी० (श० क्रि० वि०)
डिप्लोमा इन आप्थेल्मोलाजी	डी०ओ०
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम०डी० (बा० चि० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम०एस० (श० र० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (तंत्रिका शल्य विज्ञान)	एम०एस० (तं० श० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (हृदय रोग विज्ञान)	डी०एम० (हृ० रो० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकिरण निदान)	एम०डी० (विक० नि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सूक्ष्मजीव विज्ञान)	एम०डी० (सूक्ष्मजीव विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषज गुण विज्ञान)	एम०डी० (भेष० गु० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (प्लास्टिक शल्य विज्ञान)	एम०एस० (प्ला० श० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शारीरिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास)	एम०डी० (शा० आयु० और पुन०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (उष्ण कटिबंध आयुर्विज्ञान)	एम०डी० (उष्ण क० आयु०)
<b>कालेज आफ फिजीशियन्स एण्ड सर्जन्स, मुम्बई</b>	
मेम्बरशिप आफ कालेज आफ फिजीशियन्स एण्ड सर्जन्स, मुम्बई	एम०सी०पी०एस० यह मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता तभी होगी जब 30 अप्रैल, 1944 के पश्चात् दी गई हो।
आयुर्विज्ञान विकृति विज्ञान, शल्य विज्ञान या त्वचा विज्ञान में फेलोशिप आफ कालेज आफ फिजीशियन्स एण्ड सर्जन्स, मुम्बई	एफ०सी०पी०एस० (आयु०) एफ०सी०पी०एस० (विकृति वि०) एफ०सी०पी०एस० (शल्य वि०) एफ०सी०पी०एस० (त्वचा वि०) ये अर्हताएं मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं तभी होंगी जब ये 1 अप्रैल, 1954 के पश्चात् दी गई हों।
प्रसूति विद्या और स्त्री रोग विज्ञान, नेत्र विज्ञान में फेलोशिप आफ दी कालेज आफ फिजीशियन्स एण्ड सर्जन्स, मुम्बई, तथा विकृति विज्ञान और जीवाणु विज्ञान, स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान और बाल स्वास्थ्य में उक्त कालेज के डिप्लोमे।	एफ०सी०पी०एस० (प्र०वि० और स्त्री रोग वि०) एफ०सी०पी०एस० (ने०वि०) डी०पी०बी० (विकृ०वि० और जी०वि० में डिप०) डी०जी०ओ० (स्त्री रो०वि० और प्र०वि० में डिप०) डी०सी०एच० (बाल स्वास्थ्य में डिप०) इस अनुसूची के अंतर्गत ये अर्हताएं मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं तभी होंगी जब वे इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अन्य आयुर्विज्ञान अर्हता रखने वाले व्यक्तियों के पास हों।
<b>कालीकट विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम०बी०बी०एस०

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान)	एम०डी० (आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम०डी० (प्र० वि० और स्त्री रो०वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम०एस० (सामा० शल्य वि०)
मास्टर आफ मेडिसीन (सूक्ष्मजीव विज्ञान)	एम०डी० (सू० जीव वि०)
डिप्लोमा इन विनिरियोलाजी एंड डर्माटोलाजी	डी०वी०डी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (श० क्रि० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषजगुण आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (भे० गु० आयु०)
डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ	डी० सी० एच०
डिप्लोमा इन लारिंगोलाजी एंड आटोलाजी	डी० एल० ओ०
डिप्लोमा इन गाइनिकालोजी एण्ड आब्स्टेट्रिक्स	डी० जी० ओ०
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (ने० वि०)
डिप्लोमा इन आफथैलमोलाजी	डी० ओ०
डाक्टर आफ मेडिसिन (त्वचा विज्ञान और रतिरोग विज्ञान)	एम० डी० (त्वचा वि० और र० रो० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विक० वि०)
डिप्लोमा इन आर्थोपैडिक्स	डी० ओ०
डिप्लोमा इन अनेस्थिसियोलाजी	डी० ए०
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृ० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (जनन मूत्र शल्य विज्ञान)	एम० एस० (ज० मू० श० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (बाल चिकित्सा शल्य विज्ञान)	एम० सी० एच० (बा० चि० श० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (प्लास्टिक शल्य विज्ञान)	एम० सी० एच० (प्ला० श० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (वक्ष शल्य विज्ञान)	एम० सी० एच० (व० श० वि०)
<b>दिल्ली विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डिप्लोमा इन टुबरकुलोसिस डिजीजेज	डी० टी० डी०
मास्टर आफ साइंस (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस०० एम० एस००सी० (शरीर रचना वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान)	एम० एस०० डी० (आयु०)
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एस०० एम० एस०० (सामा० शल्य वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० एस०० डी० (एम० एस०० वि० और स्त्री रोग वि०)
डिप्लोमा इन इ टुबरकुलोसिस एण्ड च्हेस्ट डिजीजेज	डी० टी० एम० एस०० डी०
डिप्लोमा इन आफथैलमालोजी	डी० ओ०
डिप्लोमा इन अनेस्थीसिया	डी० एम० एस००
डिप्लोमा इन गाइनिकालोजी एण्ड आब्स्टेट्रिक्स	डी० जी० ओ०
मास्टर आफ साइंस (आयुर्विज्ञान जीवरसायन)	एम० एस०० एम० एस००सी० (आयु० जीवरसायन)

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डाक्टर आफ मेडिसिन (जीवरसायन)	एम० डी० (जीवरसायन)
मास्टर आफ साइंस (भेषज गुण विज्ञान)	एम० एस०सी० (भे० गु० वि०)
डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ	डी० सी० एच०
मास्टर साइंस सर्जरी (आयुर्विज्ञानीय जीवाणु विज्ञान)	एम० एस०सी० (आयु० जी० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञानीय सूक्ष्मजीव विज्ञान)	एम० डी० (आयु० सूक्ष्म० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (ब० चि० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० और निरो० आयु०)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (ने० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (क० ना० कं०)	एम० एस० (क० ना० कं०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकिरण निदान)	एम० डी० (विकि० नि०)
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विक० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (श० र० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृ० वि०)
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी डायग्नोसिस	डी० एम० आर० डी०
डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी थीरेपी	डी० एम० आर० टी०
डिप्लोमा इन रेडिएशन मेडिसिन	डी० आर० एम०
मास्टर आफ सर्जरी (प्लास्टिक शल्य विज्ञान)	एम० एस० (प्ला० श० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषजगुण विज्ञान)	एम० डी० (भेष० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (समुदाय स्वास्थ्य प्रशासन)	एम० डी० (स० स्वा० प्र०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (त्वचा विज्ञान जिसके अंतर्गत कुष्ठ और रतितरोग हैं।)	एम० डी० (त्वचा वि० जिसके अंतर्गत कुष्ठ और रतितरोग हैं)
डिप्लोमा इन वीनीरियोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी	डी० वी० डी०
डिप्लोमा इन आटो-रिनो लारिंगोलॉजी	डी० एल० ओ०
	यह अर्हता मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता तभी होगी जब 30 अप्रैल, 1979 को या उसके पूर्व प्रदान की गई है।
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (श० क्रि० वि०)
डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेशन	डी० एच० ई० (जब केवल आयुर्विज्ञान स्नातक द्वारा धारित किया जाए।)
डाक्टर आफ मेडिसिन (यक्ष्मा और श्वसन रोग)	एम० डी० (य० और श्वसन रोग)
डिप्लोमा इन डर्माटोलॉजी	डी० डी०
मास्टर आफ सर्जरी (हृदय वक्ष शल्य विज्ञान)	एम० सी० एच० (हृ० व० श० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (न्याय संबंधी आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (न्या० आयु०)
डाक्टर आफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन	डी० पी० एम० आर०

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
मास्टर आफ सर्जरी (तंत्रिका शल्य विज्ञान)	एम० सी० एच० (तं० श० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (तंत्रिका विज्ञान)	एम० डी० (तं० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (जठरांत्ररोग विज्ञान)	एम० डी० (जठ० रो० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकिरण चिकित्सा)	एम० डी० (विकि० चि०) (1-3-1985 से)

#### डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एस० (सामा० शल्य वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र विज्ञान)
डिप्लोमा इन आप्थैलमालोजी	डी० ओ०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० आयु०)
मास्टर आफ आबस्टेट्रिक्स	एम० ओ०
डिप्लोमा इन आटो-रिनो लारिंगोलाजी	डी० एल० ओ०
डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया	डी० ए०
डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथालाजी	डी० सी० पी०
डिप्लोमा इन आबस्टेट्रिक्स	डी० जी० ओ० एंड गाइनाकालोजी
डिप्लोमा इन चाइल्ड हैल्थ	डी० सी० एच०
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (श० र० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (श० क्रि० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृ० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषजगुण विज्ञान)	एम० डी० (भे० गु० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (जीव रसायन)	एम० डी० (जीव० र०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकिरण विज्ञान)	एम० डी० (विकि० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बाल० चि० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (क० ना० कं०)	एम० एस० (क० ना० कं०)
डिप्लोमा इन मेडीकल रेडियोलोजी डायग्नोसिस	डी० एम० आर० डी०

#### पूर्वी पंजाब विश्वविद्यालय

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
---------------------------------------	-----------------

#### पूर्वी पंजाब राज्य आयुर्विज्ञान संकाय

लाइसेंसिएट इन मेडिसिन एण्ड सर्जरी	एल० एम० एस० यह अर्हता मान्यताप्राप्त अर्हता तभी होगी जब यह 15 अगस्त, 1947 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई हो, परंतु यह तब जब इसके धारण करने वाले व्यक्ति आयुर्विज्ञान अध्ययन आरम्भ करने के पूर्व एफ० एस० सी० की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हों।
-----------------------------------	--

## पंजाब राज्य आयुर्विज्ञान संकाय

लाइसेंसिएट इन मेडिसिन एण्ड सर्जरी

एल० एम० एस०

यह अर्हता मान्यताप्राप्त अर्हता होगी, परंतु यह तब जब इसके धारण करने वाले व्यक्ति आयुर्विज्ञान अध्ययन आरम्भ करने के पूर्व एम० एफ० सी० की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हों।

## गौहाटी विश्वविद्यालय

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी

एम० बी० बी० एस०

मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)

एम० एस० (सामान्य शल्य विज्ञान)

मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)

एम० एस० (नेत्र विज्ञान)

डिप्लोमा इन आप्थैलमालोजी

डी० ओ०

डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)

एम० डी० (श० क्रि० वि०)

डाक्टर आफ मेडिसिन (जीव रसायन)

एम० डी० (जी० र०)

एम० एस० (क० ना० कं०)

एम० एस० (क० ना० कं०)

डिप्लोमा इन आटोरिनो लारिंगोलोजी

डी० एल० ओ०

डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)

एम० डी० (सा० आयु०)

डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)

एम० डी० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)

डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषज गुण विज्ञान)

एम० डी० (भे० गु० वि०)

डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान और सूक्ष्मजीव विज्ञान)

एम० डी० (वि० वि० और सू० जी० वि०)

डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथालोजी

डी० सी० पी०

डिप्लोमा इन गाइनाकालोजी एंड आब्स्टेट्रिक्स

डी० जी० ओ०

मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)

एम० एस० (श० र० वि०)

डिप्लोमा इन फोरेन्सिक मेडिसिन

डी० एफ० एम०

डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)

एम० डी० (बा० चि० वि०)

डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ

डी० सी० एच०

डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)

एम० डी० (संवे० वि०)

डिप्लोमा इन अनेस्थीसियोलोजी

डी० ए०

डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)

एम० डी० (सा० और नि० आ०)

डाक्टर आफ मेडिसिन (न्याय संबंधी आयुर्विज्ञान)

एम० डी० (न्या० आयु०)

## गुजरात विश्वविद्यालय

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी

एम० बी० बी० एस०

मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)

एम० एस० (सामा० शल्य वि०)

डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान और चिकित्साशास्त्र)

एम० डी० (आयुर्विज्ञान और चिकित्साशास्त्र)

डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)

एम० डी० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)

डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)

एम० डी० (विकृति विज्ञान)

डिप्लोमा इन अनेस्थीसीया

डी० ए०



मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डिप्लोमा इन आप्थैलमिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	डी० ओ० एम० एस०
डिप्लोमा इन गाइनाकालोजी एण्ड आब्स्टेट्रिक्स	डी० जी० ओ०
डिप्लोमा इन पीडियाट्रिक्स	डी० पीडि०
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बाल चिकित्सा विज्ञान)
मास्टर आफ साइंस (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस०सी० (शरीर रचना विज्ञान)
मास्टर आफ साइंस (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० एस०सी० (शरीर क्रिया विज्ञान)
डिप्लोमा इन टुबरकुलोसिस डिजीजेज	डी० टी० डी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण)	एम० डी० (संवेदनाहरण)
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विकलांग विद्या)
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलोजी एण्ड इलेक्ट्रोलोजी	डी० एम० आर० ई०
डिप्लोमा इन वीनिरियोलोजी एण्ड डर्मेटोलोजी	डी० वी० डी०
डिप्लोमा इन आप्थैलमालोजी	डी० ओ०
डाक्टर आफ मेडिसिन (यक्ष्मा)	एम० डी० (यक्ष्मा)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकिरण निदान)	एम० डी० (विकि० नि०)
मास्टर आफ सर्जरी (क० ना० कं०)	एम० एस० (क० ना० कं०)
डिप्लोमा इन ओटोरिनो लारिंगोलोजी	डी० एल० ओ०
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषज गुण विज्ञान)	एम० डी० (भे० गु० वि०)
डिप्लोमा इन साइकोलजिकल मेडिसिन	डी० सी० एम०
डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथालोजी	डी० सी० पी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सा० और नि० आयु०)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (श० र० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (त्वचा विज्ञान)	एम० डी० (त्व० वि०)
<b>गुरु नानक विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृ० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (श० क्रि० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (ने० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शल्य विज्ञान)	एम० एस० (श० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (श० र० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्र० वि० और स्त्री रो० वि०)
डिप्लोमा इन आप्थैलमिक मेडिसिन एंड सर्जरी	डी० ओ० एम० एस०
मास्टर आफ सर्जरी (भेषज गुण विज्ञान)	एम० एस० (भे० गु० वि०)

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
मास्टर आफ सर्जरी (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० एस० (संवे० वि०)
डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया	डी० ए०
डिप्लोमा इन टुबरकुलोसिस डिजीजेज	डी० टी० डी०
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विक० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (त्वचा विज्ञान और रति रोग विज्ञान)	एम० डी० (त्व० वि० और रति रो० वि०) यह अर्हताएं तभी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी जब 20 अगस्त, 1975 को या उससे पूर्व प्रदान की गई हैं।

#### गुरु नानक देव विश्वविद्यालय

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृ० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (श० क्रि० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शल्य विज्ञान)	एम० एस० (श० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (श० र० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्र० वि० और स्त्री रो० वि०)
डिप्लोमा इन आपथैल्मिक मेडिसिन एंड सर्जरी	डी० ओ० एम० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषज गुण विज्ञान)	एम० डी० (भे० गु० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० एस० (संवे० वि०)
डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया	डी० ए०
डिप्लोमा इन टुबरकुलोसिस डिजीजेज	डी० टी० डी०
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विक० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (त्वचा विज्ञान और रति रोग विज्ञान)	एम० डी० (त्व० वि० और रति रो० वि०) ये अर्हताएं तभी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी जब 20 अगस्त, 1975 के पश्चात् प्रदान की गई हैं।
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
डिप्लोमा इन टुबरकुलोसिस एंड चेस्ट डिजीजेज	डी० टी० सी० डी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० और नि० आ०)
डिप्लोमा इन गाइनोकालोजी एंड आब्स्टेट्रिक्स	डी० जी० ओ०
डाक्टर आफ मेडिसिन (यक्ष्मा और श्वसन रोग)	एम० डी० (यक्ष्मा और श्वसन रोग)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सूक्ष्मजीव विज्ञान)	एम० डी० (सू० जी० वि०)

#### गोरखपुर विश्वविद्यालय

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
---------------------------------------	-----------------

#### गुलबर्गा विश्वविद्यालय

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
---------------------------------------	-----------------

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सा० आयु०)
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एस० (सा० श० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (क० ना० कं०)	एम० एस० (क० ना० कं०)
डिप्लोमा इन आटो लारिंगोलोजी	डी० एल० ओ०
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विक० वि०) यह अर्हता तभी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता होगी जब 31-3-1986 के पश्चात् प्रदान की गई है।
डिप्लोमा इन आर्थोपीडिक्स	डी० आर्थो० यह अर्हता तभी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता होगी जब 30-9-1984 के पश्चात् प्रदान की गई है।
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
डिप्लोमा इन अनेस्थीसियोलोजी	डी० ए०
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्र० वि० और स्त्री रो० वि०)
डिप्लोमा इन आबस्टेट्रिक्स एंड गाइनाकालोजी	डी० जी० ओ०
मास्टर आफ मेडिसिन (भेषज गुण विज्ञान)	एम० डी० (भे० गु० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विक० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बा० चि० वि०)
डिप्लोमा इन चाइल्ड हैल्थ	डी० सी० एच०
<b>गांधीजी विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
डिप्लोमा इन अनेस्थीसियोलोजी	डी० ए०
(तभी मान्यताप्राप्त है जब 27-01-1988 को या उसके पूर्व प्रदान की गई है)।	
<b>महात्मा गांधी विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
डिप्लोमा इन अनेस्थीसियोलोजी	डी० ए० यह अर्हताएं तभी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी जब 28 जनवरी, 1988 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई हैं।
डाक्टर आफ मेडिसिन (समुदाय आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (समु० आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (श० क्रि० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृ० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बाल० चि० वि०)
डिप्लोमा इन चाइल्ड हैल्थ	डी० सी० एच०
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र वि०)

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डिप्लोमा इन आप्थैलमोलोजी	डी० ओ०
<b>गोवा विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एस० (सामा० श० वि०) 01-08-1989 को या उसके पश्चात् प्रदत्त ।
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०) 01-02-1990 को या उसके पश्चात् प्रदत्त ।
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृ० वि०) 1-2-1990 को या उसके पश्चात् प्रदत्त ।
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विक० वि०) 1-8-1989 को या उसके पश्चात् प्रदत्त ।
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० आयु०) 01-08-1989 को या उसके पश्चात् प्रदत्त ।
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बा० चि० वि०) 01-02-1990 को या उसके पश्चात् प्रदत्त ।
डाक्टर आफ मेडिसिन (यक्ष्मा और वक्षरोग)	एम० डी० (यक्ष्मा और वक्षरोग)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (श० क्रि० वि०)
<b>हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डिप्लोमा इन चाइल्ड हैल्थ	डी० सी० एच०
डाक्टर आफ मेडिसिन (समुदाय आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (समु० आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकिरण निदान)	एम० डी० (विकि० नि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथालोजी	डी० सी० पी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (श० क्रि० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (श० र० वि०)
डिप्लोमा इन ओटोरिनो लारिंगोलोजी	डी० एल० ओ०
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एस० (सामा० श० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (आयु०)
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विक० वि०)
<b>इन्दौर विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (श० क्रि० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषज गुण विज्ञान)	एम० डी० (भ० गु० वि०)

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृ० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (आयु०)
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एस० (सामा० शल्य० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (शरीर० र० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० एस० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बाल चि० वि०)
डिप्लोमा इन आप्थैलमिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	डी० ओ० एम० एस०
डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ	डी० सी० एच०
डिप्लोमा इन टुबरकुलोसिस डिजीजेज	डी० टी० डी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)
डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथालोजी	डी० सी० पी०
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विक० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (कर्ण नासा कंठ)	एम० एस० (क० ना० कं०)
डिप्लोमा इन टुबरकुलोसिस एंड चैस डिजीजेज	डी० टी० सी० डी०
डिप्लोमा इन लारिंगोलाजी एण्ड ओटोलाजी	डी० एल० ओ०
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकिरण निदान)	एम० डी० (विकि० नि०)
डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया	डी० ए०
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
<b>देवी अहिल्या विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (शरीर क्रिया विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषज गुण विज्ञान)	एम० डी० (भेषज गुण विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृति विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (आयुर्विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एस० (सामा० श० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (शरीर रचना विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० एस० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बाल चि० वि०)
डिप्लोमा इन आप्थैलमिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	डी० ओ० एम० एस०
डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ	डी० सी० एच०
डिप्लोमा इन टुबरकुलोसिस डिजीजेज	डी० टी० डी०

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० और नि० आयु०)
डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथालोजी	डी० सी० पी०
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विक० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (कर्ण नासा कंठ)	एम० एस० (क० ना० कं०)
डिप्लोमा इन टुबरकुलोसिस एण्ड चेस्ट डिजीजेज	डी० टी० सी० डी०
डिप्लोमा इन लारिंगोलाजी एण्ड ओटोलाजी	डी० एल० ओ०
डाक्टर आफ मेडिसिन (विक्रिण निदान)	एम० डी० (विक्रि० नि०)
डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया	डी० ए०
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०) उपर्युक्त अर्हताएं, तभी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी जब 26 जनवरी, 1983 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई हैं।
डिप्लोमा इन आब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलाजी	डी० जी० ओ०

#### जबलपुर विश्वविद्यालय

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
मास्टर आफ सर्जरी (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० एस० (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषज गुण विज्ञान)	एम० डी० (भे० गु० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बा० चि० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० और नि० आयु०)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृति विज्ञान)
डिप्लोमा इन चाइल्ड हैल्थ	डी० सी० एच०
मास्टर आफ सर्जरी (कर्ण नासा कंठ)	एम० एस० (क० ना० कं०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (श० क्रि० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शल्य विज्ञान)	एम० एस० (शल्य० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विक्रिण निदान)	एम० डी० (विक्रि० नि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (श० र० वि०) ये अर्हताएं तभी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी जब 25 जनवरी, 1983 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई हैं।

#### रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
मास्टर आफ सर्जरी (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० एस० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सा० आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषजगुण विज्ञान)	एम० डी० (भे० गु० वि०)

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बा० चि० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर रचना विज्ञान)	एम० डी० (श० र० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (निरोधक और सामाजिक आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (निरो० और सामाजिक आयुर्विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृ० वि०)
डिप्लोमा इन चाइल्ड हैल्थ	डी० सी० एच०
मास्टर आफ सर्जरी (कर्ण नासा कंठ)	एम० एस० (क० ना० कं०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (श० क्रि० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शल्य विज्ञान)	एम० एस० (शल्य० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकिरण विज्ञान)	एम० डी० (विकि० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	ये अर्हताएं तभी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी जब 26 जनवरी, 1983 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई हैं। एम० एस० (विक० वि०) यह अर्हता तब मान्यताप्राप्त होगी जब 1 अक्टूबर, 1981 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई है।
डिप्लोमा इन आर्थोपीडिक्स	डी० (आर्थो०) यह अर्हता तब मान्यताप्राप्त होगी जब 1 अक्टूबर, 1980 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई है। एम० एस० (विक० वि० और डी० आर्थो०) यह अर्हता तब मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता होगी जब गवर्नमेंट मेडिकल कालिज, जबलपुर में प्रशिक्षित छात्रों को प्रदान की गई है।
डिप्लोमा इन आब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलाजी	डी० जी० ओ०
<b>जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (श० क्रि० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषज गुण विज्ञान)	एम० डी० (भे० गु० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृ० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (आयु०)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (शरीर रचना वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शल्य विज्ञान)	एम० एस० (शल्य० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० एस० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र वि०)
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलोजी एण्ड इलेक्ट्रोलाजी	डी० एम० आर० ई०
मास्टर आफ सर्जरी (कर्ण नासा कंठ)	एम० एस० (क० ना० कं०)
डिप्लोमा इन लारिंगोलोजी एण्ड आटोलाजी	डी० एल० ओ०

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया	डी० ए०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० और नि० आयु०)
डिप्लोमा इन क्लीनिकल पैथालोजी	डी० सी० पी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बा० चि० वि०)
डिप्लोमा इन चाइल्ड हैल्थ	डी० सी० एच०
डिप्लोमा इन आर्थ्रैल्मिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	डी० ओ० एम० एस०
डिप्लोमा इन आर्थ्रैल्मोलोजी	डी० ओ०
<b>जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
<b>जम्मू विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डिप्लोमा इन एनेस्थीसियालाजी	डी० ए०
डिप्लोमा इन चाइल्ड हैल्थ	डी० सी० एच०
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियो-डायग्नोसिस	डी० एम० आर० डी०
डिप्लोमा इन क्लीनिकल पैथालोजी	डी० सी० पी०
डिप्लोमा इन आर्थोपेडिक्स	डी० आर्थो०
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एस० (सामा० श० वि०)
<b>केरल विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (आयु०)
मास्टर आफ सर्जरी (शल्य विज्ञान)	एम० एस० (शल्य० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
डिप्लोमा इन गाइनाकालोजी एण्ड आब्स्टेट्रिक्स	डी० जी० ओ०
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृ० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (श०क्रि० वि०)
डिप्लोमा इन चाइल्ड हैल्थ	डी० सी० एच०
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर रचना विज्ञान)	एम० डी० (शरीर रचना वि०)
डिप्लोमा इन पब्लिक हैल्थ	डी० पी० एच०
डाक्टर आफ मेडिसिन (जीव रसायन)	एम० डी० (जीव रसा०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषज गुण विज्ञान)	एम० डी० (भेषज गुण विज्ञान)
डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया	डी० ए०
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (शरीर रचना वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विक० वि०)
डिप्लोमा इन आर्थोपीडिक्स	डी० आर्थ०



मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डिप्लोमा इन लारिंगोलाजी एण्ड ओटोलाजी	डी० एल० ओ०
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र वि०)
डिप्लोमा इन इन आफथैल्मोलाजी	डी० ओ०
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बा० चि० वि०)
डिप्लोमा इन साइकोलाजिकल मेडिसिन	डी० पी० एम०
डाक्टर आफ मेडिसिन (न्याय संबंधी आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (न्याय आयु०)
मास्टर आफ सर्जरी (बाल चिकित्सा शल्य विज्ञान)	एम० एस० (बाल चि० श० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० और नि० आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (त्वचा विज्ञान, रतिरोग विज्ञान और कुष्ठ)	एम० डी० (त्वचा० रति० वि० और कुष्ठ)
डाक्टर आफ मेडिसिन (तंत्रिका विज्ञान)	एम० डी० (तंत्रिका वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्लास्टिक शल्य विज्ञान)	एम० एम० डी० (प्ला० श० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकिरण निदान)	एम० डी० (विकि० निदान)
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलोजी-डाग्नोसिस	डी० एम० आर० डी०
<b>कर्नाटक विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषज गुण विज्ञान)	एम० डी० (भेषज गुण विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (श० क्रि० वि०)
डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलोजी	डी० सी० पी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बा० चि० वि०)
डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ	डी० सी० एच०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० आयु०)
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एस० (सामा० श० वि०)
डिप्लोमा इन आब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनाकोलाजी	(डी० जी० ओ०) (जे० एन० मेडिकल कालेज, बेलगांव) 1-1-1980 से प्रदत्त ।
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विक० वि०) (जे० एन० मेडिकल कालेज, बेलगांव) 1-2-1985 से प्रदत्त ।
डिप्लोमा इन आर्थोपीडिक्स	डी० आर्थ० (जे० एन० मेडिकल कालेज, बेलगांव) 1-8-1983 से प्रदत्त ।
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र वि०) (जे० एन० मेडिकल कालेज, बेलगांव) 1-2-1989 से प्रदत्त ।
डिप्लोमा इन आफथैल्मोलाजी	डी० ओ० (जे० एन० मेडिकल कालेज, बेलगांव) 1-8-1983 से प्रदत्त ।
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०) (जे० एन० मेडिकल कालेज, बेलगांव) 1-8-1981 से प्रदत्त ।
डाक्टर आफ मेडिसिन (सूक्ष्म जीव विज्ञान)	एम० डी० (सूक्ष्म जीव वि०) (जे० एन० मेडिकल कालेज, बेलगांव) 1-2-1988 से प्रदत्त ।

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (श० र० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
डिप्लोमा इन एनेस्थीसियोलॉजी	डी० ए०
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृति वि०)
<b>कानपुर विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (आयु०)
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विक० वि०)
डिप्लोमा इन आप्थैलमिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	डी० ओ० एम० एस०
डिप्लोमा इन आर्थोपीडिक्स	डी० आर्थ०
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृ० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (श० क्रि० वि०)
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी एण्ड इलेक्ट्रोलॉजी	डी० एम० आर० ई०
डिप्लोमा इन अनेस्थीसियोलॉजी	डी० ए०
डिप्लोमा इन टुबरकुलोसिस एण्ड चैस्ट डिजीजेज	डी० टी० सी० डी०
डिप्लोमा इन चाइल्ड हैल्थ	डी० सी० एच०
डिप्लोमा इन गाइनाकोलाजी एण्ड आब्स्टेट्रिक्स	डी० जी० ओ०
डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलॉजी	डी० सी० पी०
डिप्लोमा इन ओटोरिनो लारिंगोलॉजी	डी० एल० ओ०
मास्टर आफ सर्जरी (कर्ण नासा कंठ)	एम० एस० (क० ना० कं०)
मास्टर आफ सर्जरी (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० एस० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शल्य विज्ञान)	एम० एस० (श० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकिरण विज्ञान)	एम० डी० (विकि० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर रचना विज्ञान)	एम० डी० (श० र० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषज गुण विज्ञान)	एम० डी० (भे० गु० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बा० चि० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० और निरो० आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (यक्ष्मा और वक्ष रोग)	एम० डी० (यक्ष्मा और वक्ष रोग)
डाक्टर आफ मेडिसिन (हृदय रोग विज्ञान)	एम० डी० (हृदय रोग वि०)
<b>कश्मीर विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (श० क्रि० वि०)

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एस० (सामा० श० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० और निरो० आयु०)
<b>कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ	डी० सी० एच०
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बा० चि० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विकलांग वि०) ये अर्हताएं तभी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी जब 1 अप्रैल, 1976 को या उसके पूर्व प्रदान की गई हैं।
डाक्टर आफ मेडिसिन (त्वचा विज्ञान, जिसके अंतर्गत रतिरोग और कुष्ठ हैं)	एम० डी० (त्वचा० वि० जिसके अन्तर्गत रतिरोग और कुष्ठ हैं)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (कर्ण नासा कंठ)	एम० एस० (क० ना० कं०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
डिप्लोमा इन एनेस्थीसियोलोजी	डी० ए०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० और नि० आयु०)
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एस० (सामा० श० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृति विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (आयुर्विज्ञान)
<b>काकातीय विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलोजी	डी० सी० पी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० आयु०)
डिप्लोमा इन आफथैल्मोलोजी	डी० ओ०
मास्टर आफ सर्जरी (कर्ण नासा कंठ)	एम० एस० (क० ना० कं०)
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एस० (सामा० श० वि०)
डिप्लोमा इन एनेस्थीसियोलोजी	डी० ए०
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (श० र० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (श० क्रि० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृति विज्ञान)
डिप्लोमा इन फोरेन्सिक मेडिसिन	डी० एफ० एम०
डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ	डी० सी० एच०
डिप्लोमा इन टुबरकुलोसिस एंड चेस्ट डिजीजेज	डी० टी० सी० डी०
डिप्लोमा इन गाइनाकोलाजी एंड आब्स्टेट्रिक्स	डी० जी० ओ०

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विक० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (न्यायालय संबंधी आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (न्याय० आयु०)
डिप्लोमा इन डर्माटोलोजी	डी० डी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषज गुण विज्ञान)	एम० डी० (भे० गु० वि०)
<b>लखनऊ विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन	एम० डी०
मास्टर आफ सर्जरी	एम० एस०
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (श० र० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विकलांग विद्या)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० एस० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (कर्ण नासा कंठ)	एम० एस० (क० ना० कं०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (श० क्रि० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषज गुण विज्ञान)	एम० डी० (भे० गु० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृति वि०)
डिप्लोमा इन लारिंगालोजी एण्ड ओटोलोजी	डी० एल० ओ०
डिप्लोमा इन गाइनाकोलोजी एण्ड आब्स्टेट्रिक्स	डी० जी० ओ०
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलोजी एण्ड इलेक्ट्रोलोजी	डी० एम० आर० ई०
डिप्लोमा इन आपथैलमिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	डी० ओ० एम० एस०
डिप्लोमा इन क्लीनिकल पैथालोजी	डी० सी० पी०
डिप्लोमा इन आर्थोपीडिक्स	डी० आर्थो०
डिप्लोमा इन टुबरकुलोसिस डिजीजेज	डी० टी० डी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (यक्ष्मा)	एम० डी० (यक्ष्मा)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० और निरो० आयु०)
डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ	डी० पी० एच०
डिप्लोमा इन अनेस्थीसिया	डी० ए०
डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ	डी० सी० एच०
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकिरण विज्ञान)	एम० डी० (विकिरण वि०)
डिप्लोमा इन टुबरकुलोसिस एण्ड च्हेस्ट डिजीजेज	डी० टी० सी० डी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (प्लास्टिक शल्य विज्ञान)	एम० एस० (प्ला० श० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बाल चि० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर रचना विज्ञान)	एम० डी० (श० र० वि०)

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
मास्टर आफ सर्जरी (न्यूरो सर्जरी)	एम० सीएच० (न्यूरो०) यह अर्हता तभी मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हता होगी जब यह लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ में प्रशिक्षित किए जा रहे विद्यार्थियों की बाबत अनुदत्त की जाए।
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (प्लास्टिक शल्य विज्ञान)	एम० सीएच० (प्ला० श० वि०) यह अर्हता तभी मान्यताप्राप्त अर्हता होगी जब 1970 में या उसके पश्चात् अनुदत्त की जाती है।
मास्टर आफ सर्जरी (शल्य विज्ञान)	एम० एस० (शल्य वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (हृदय रोग विज्ञान)	एम० डी० (हृदय रोग वि०)
<b>ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृ० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (आयुर्विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषज गुण विज्ञान)	एम० डी० (भेषज गुण विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (मनोविज्ञान संबंधी आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (मनो० आ०)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (श० र० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शल्य विज्ञान)	एम० एस० (शल्य वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० एस० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (कर्ण नासा कंठ)	एम० एस० (क० ना० कं०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (न्यायिक आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (न्या० आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बाल चि० वि०)
<b>मद्रास विश्वविद्यालय</b>	
लाइसेंशिएट इन मेडिसिन एण्ड सर्जरी	एल० एम० एस०
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड मासूर आफ सर्जरी	एम० बी० सी० एम०
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन	एम० डी०
मास्टर आफ सर्जरी	एम० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान)	एम० डी० (प्र० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (स्त्री रोग विज्ञान)	एम० एस० (स्त्री रोग वि०)

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डाक्टर आफ मेडिसिन (मुख्यतः विकृति विज्ञान तथा गौणतः जीवाणु विज्ञान)	एम० डी० (मुख्यतः विकृति वि० तथा गौणतः जीवाणु वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (मुख्यतः जीवाणु और गौणतः विकृति विज्ञान)	एम० डी० (मुख्यतः जीवाणु वि० तथा गौणतः विकृति वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (रति रोग)	एम० डी० (रति रोग)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा)	एम० डी० (बाल चिकित्सा)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकिरण विज्ञान)	एम० डी० (विकिरण वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एस० (सामान्य श० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (कर्ण, नासा, कंठ विज्ञान)	एम० एस० (क० ना० कं० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विक० विद्या)
डिप्लोमा इन गाइनिकालोजी एण्ड आब्स्टेट्रिक्स	डी० जी० ओ०
डिप्लोमा इन लारिंगालोजी एण्ड ओटोलोजी	डी० एल० ओ०
डिप्लोमा इन आर्थोपीडिक्स	डी० आर्थ०
डिप्लोमा इन विनिरियालोजी	डी० वी०
डिप्लोमा इन इन डर्माटालोजी	डी० डर्मा०
डिप्लोमा इन चाइल्ड हैल्थ	डी० सी० एच०
डिप्लोमा इन अनेस्थीसिया	डी० ए०
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलोजी-थिरापी	डी० एम० आर० टी०
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलोजी-डायग्नोसिस	डी० एम० आर० डी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषजगुण विज्ञान)	एम० डी० (भेषजगुण वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (तंत्रिका विज्ञान)	डी० एम० (तंत्रिका वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (हृदय रोग विज्ञान)	डी० एम० (हृदय रोग वि०)
डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलोजी	डी० सी० पी०
मास्टर आफ सर्जरी (बाल चिकित्सा शल्य विज्ञान)	एम० एस० (बाल चि० श० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (प्लास्टिक शल्य विज्ञान)	एम० एस० (प्ला० श० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (श० र० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (तंत्रिका शल्य विज्ञान)	एम० एस० (तंत्रिका श० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर रचना विज्ञान मेन और जैव रसायन आनुषंगिक)	एम० डी० (श० र० वि० और जैव रसा०)
मास्टर आफ सर्जरी (जनन मूत्र शल्य विज्ञान)	एम० सी० एच० (जनन मूत्र श० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (वक्ष शल्य विज्ञान)	एम० एस० (व० श० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (त्वचा विज्ञान)	एम० डी० (त्वचा वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकिरण चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (विकि० चि० वि०)
डिप्लोमा इन साइकोलाजिकल मेडिसिन	डी० पी० एम०
डिप्लोमा इन टुबरकुलोसिस एण्ड च्हेस्ट डिजीजेज	डी० टी० सी० डी०

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डाक्टर आफ मेडिसिन (जैव रसायन)	एम० डी० (जैव रसा०)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र वि०)
डिप्लोमा इन आपथैल्मोलोजी	डी० ओ०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० और निरो० आयु०)
मास्टर आफ सर्जरी (तंत्र शल्य विज्ञान)	एम० एस० (तंत्र श० वि०)
डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ	डी० पी० एच०
डिप्लोमा इन फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन	डि० फि० मे० रि०
डाक्टर आफ मेडिसिन (जठरान्त्र रोग विज्ञान)	डी० एम० (ज० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)

#### मदुरै विश्वविद्यालय

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ	डी० सी० एच०
डिप्लोमा इन गाइनिकालोजी एण्ड आब्स्टेट्रिक्स	डी० जी० ओ०
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलोजी एण्ड डायग्नोसिस	डी० एम० आर० डी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
डिप्लोमा इन ओटोरिनो लारिंगोलोजी	डी० एल० ओ०
मास्टर आफ सर्जरी (कर्ण नासा कंठ विज्ञान)	एम० एस० (कर्ण नासा कंठ वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषजगुण विज्ञान)	एम० डी० (भेषजगुण विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (शल्य विज्ञान)	एम० एस० (शल्य वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र वि०)
डिप्लोमा इन आपथैल्मीलाजी	डी० ओ०
डिप्लोमा इन एनेस्थीसियोलोजी	डी० ए०
मास्टर आफ सर्जरी (तंत्र शल्य विज्ञान)	एम० सीएच० (तंत्र श० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृति वि०)
डिप्लोमा इन आर्थोपेडिक्स	डी० आर्थो०
मास्टर आफ सर्जरी (बालचिकित्सा शल्य विज्ञान)	एम० सीएच० (बाल चि० श० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बालचिकित्सा)	एम० डी० (बाल चि०)

#### मदुरै कामराज विश्वविद्यालय

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ	डी० सी० एच०
डिप्लोमा इन गाइनाकोलाजी एंड आब्स्टेट्रिक्स	डी० जी० ओ०
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलोजी डायग्नोसिस	डी० एम० आर० डी०
डिप्लोमा इन लारिंगोलोजी एंड ओटोलोजी	डी० एल० ओ०

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डिप्लोमा इन आपथैल्मोलोजी	डी० ओ०
डिप्लोमा इन एनेस्थीसियोलोजी	डी० ए०
डिप्लोमा इन आर्थोपेडिक्स	डी० आर्थो०
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषजगुण विज्ञान)	एम० डी० (भेषजगुण वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृति विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बाल० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (कर्ण नासा कंठ)	एम० एस० (क० ना० कं०)
मास्टर आफ सर्जरी (शल्य विज्ञान)	एम० एस० (शल्य वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (बालचिकित्सा शल्य विज्ञान)	एम० सीएच० (बाल चि० श० वि०)
डिप्लोमा इन हैल्थ एजुकेशन	डी० एच० ई० (केवल तभी जब आयुर्विज्ञान स्नातक द्वारा धारित हो)।
मास्टर आफ सर्जरी (तंत्रिका शल्य विज्ञान)	एम० सीएच० (तंत्रिका श० वि०)
<b>मणिपुर विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
<b>मंगलोर विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृति वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (जैव रसायन)	एम० डी० (जैव रसा०)
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एस० (सामा० शल्य वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
डिप्लोमा इन एनेस्थीसियोलोजी	डी० ए०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सूक्ष्म जीव विज्ञान)	एम० डी० (सूक्ष्म जीव वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विक० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र वि०)
डिप्लोमा इन आबस्टेट्रिक्स एंड गाइनाकोलाजी	डी० जी० ओ०
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा)	एम० डी० (बाल चि०)
डिप्लोमा इन चाइल्ड हैल्थ	डी० सी० एच०
डाक्टर आफ मेडिसिन (हृदय रोग विज्ञान)	एम० डी० (हृदय रोग वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (जनन मूत्र शल्य विज्ञान)	एम० एस० (जनन मूत्र श० वि०)



मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डाक्टर आफ मेडिसिन (विक्रिण निदान)	एम० डी० (विक्रि० नि०)
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी डायग्नोसिस	डी० एम० आर० डी०
<b>मराठवाड़ा विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृ० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान)	एम० डी० (प्र० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एस० (सामा० शल्य वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बाल चि० वि०)
डिप्लोमा इन चाइल्ड हैल्थ	डी० सी० एच०
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषजगुण विज्ञान)	एम० डी० (भेषजगुण वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
डिप्लोमा इन एनेस्थीसियोलॉजी	डी० ए०
डिप्लोमा इन आबस्टेट्रिक्स एंड गाइनाकोलाजी	डी० जी० ओ०
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (श० र० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (शरीर क्रिया वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र वि०)
डिप्लोमा इन आपथैल्मिक मेडिसिन एंड सर्जरी	डी० ओ० एम० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० और नि० आयु०)
डिप्लोमा इन पब्लिक हैल्थ	डी० पी० एच०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सूक्ष्म रसायन)	एम० डी० (सूक्ष्म रसायन)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सूक्ष्म जीव विज्ञान)	एम० डी० (सूक्ष्म जीव वि०)
	1-10-1976 के पश्चात् प्रदान की गई।
<b>मैसूर विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस० यह अर्हता मान्यताप्राप्त अर्हता तभी होगी जब यह 31 दिसम्बर, 1932 के पश्चात् प्रदान की गई हो।
डिप्लोमा इन साइकोलाजीकल मेडिसिन	डी० पी० एम०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० आयु०)
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एस० (सामा० श० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
डिप्लोमा इन गाइनाकोलाजी एंड आबस्टेट्रिक्स	डी० जी० ओ०
मास्टर आफ सर्जरी (क० ना० क०)	एम० एस० (क० ना० क०)
डिप्लोमा इन ओटो रिनो लारिंगोलॉजी	डी० एल० ओ०
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृ० वि०)
डिप्लोमा इन टुबरकुलोसिस एण्ड चेस्ट डिजीजेज	डी० टी० सी० डी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सूक्ष्म जीव विज्ञान)	एम० डी० (सूक्ष्म जीव वि०)
डिप्लोमा इन आर्थोपेडिक्स	डी० आर्थो०
डाक्टर आफ मेडिसिन (जीव रसायन विज्ञान)	एम० डी० (जीव रसा० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (श० क्रि० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र वि०)
डिप्लोमा इन आपथैल्मिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	डी० ओ० एम० एस०
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विक० वि०)
डिप्लोमा इन एनेस्थीसियोलोजी	डी० ए०
डिप्लोमा इन चाइल्ड हैल्थ	डी० सी० एच०
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बाल चि० वि०)
	जब 1 जून, 1977 को या उसके पश्चात् प्रदान किया गया है।
	जब 1 जून, 1977 को या उसके पश्चात् प्रदत्त।
<b>टिप्पण :—</b> उपर्युक्त अर्हताएं तभी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी जब जे० जे० एम० मेडिकल कालेज दवनगेरे में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों की बाबत मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती हैं।	
डाक्टर आफ मेडिसिन (त्वचा विज्ञान और रतिरोग विज्ञान)	एम० डी० (त्व० वि० और रति० वि०)
डिप्लोमा इन वेनरोलाजी एण्ड डर्माटोलोजी	डी० वी० डी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (विक्रिण निदान)	एम० डी० (विक्रि० नि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (श० र० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बाल चि० वि०)
डिप्लोमा इन चाइल्ड हैल्थ	डी० सी० एच०
<b>मिथिला विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृ० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषजगुण विज्ञान)	एम० डी० (भेष० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (श० क्रि० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (मनोरोग आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (मनो० आयु०)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (श० र० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शल्य विज्ञान)	एम० एस० (शल्य वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० एस० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (कर्ण नासा कंठ)	एम० एस० (क० ना० कं०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (न्याय संबंधी आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (न्या० आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बाल चि०वि०)
<b>मेरठ विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषजगुण विज्ञान)	एम० डी० (भेषजगुण वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृ० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० आयुर्विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एस० (सामा० शल्य वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (श० क्रि० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर रचना विज्ञान)	एम० डी० (श० र० वि०)
	यह अर्हता केवल एक वर्ष के लिए अर्थात् जब यह 30 अप्रैल, 1978 के पूर्व प्रदान की गई है तो मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता होगी।
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० और नि० आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बाल चि०वि०)
डिप्लोमा इन आर्थैल्मोलोजी	डी० ओ० यह अर्हता सभी मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता होगी जब मेरठ विश्वविद्यालय द्वारा एल० एल० आर० एम० मेडिकल कालेज, मेरठ में प्रशिक्षित छात्रों को प्रदान की गई है।
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
डिप्लोमा इन एनेस्थीसियोलोजी	डी० ए०
मास्टर आफ सर्जरी (त्रिकलांग विद्या)	एम० एस० (विक० वि०)
<b>डा० एम० जी० आर० मेडिकल यूनिवर्सिटी, मद्रास</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डिप्लोमा इन आबस्टेट्रिक्स एंड गाइनाकोलाजी	डी० जी० ओ०
डिप्लोमा इन आर्थोपेडिक्स	डी० आर्थो०
डिप्लोमा इन वेनरोलाजी	डी० वी०
डिप्लोमा इन डर्माटोलोजी	डी० डी०
डिप्लोमा इन चाइल्ड हैल्थ	डी० सी० एच०
डिप्लोमा इन आर्थैल्मोलोजी	डी० ओ०
डिप्लोमा इन एनेस्थीसियोलोजी	डी० ए०
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलोजी डाग्नोसिस	डी० एम० आर० डी०
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलोजी-थैरेपी	डी० एम० आर० डी०
डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलोजी	डी० सी० पी०

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डिप्लोमा इन साइकोलाजी	डी० पी०
डिप्लोमा इन ओटो रिनो लारिंगोलाजी	डी० एल० ओ०
डाक्टर आफ मेडिसिन (जठरांत रोग विज्ञान)	डी० एम० (जठ० रो० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० आयु०)
डिप्लोमा इन टुबरकुलोसिस एण्ड चेस्ट डिजीजेज	डी० टी० सी० डी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (रति रोग विज्ञान)	एम० डी० (रति रोग विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बाल चि० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकिरण विज्ञान)	एम० डी० (विकि० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एस० (सामा० श० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (क० ना० कं०)	एम० एस० (क० ना० कं०)
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विक० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषजगुण विज्ञान)	एम० डी० (भेषजगुण वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (तंत्रिका विज्ञान)	एम० डी० (तंत्रिका वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (हृदय रोग विज्ञान)	एम० डी० (हृदय रोग वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (बाल चिकित्सा शल्य विज्ञान)	एम० सीएच० (बाल चि० श० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (प्लास्टिक शल्य विज्ञान)	एम० सीएच० (प्ला० श० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० सीएच० (श० र० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (तंत्रिका शल्य विज्ञान)	एम० सीएच० (तंत्रिका श० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (जनन मूत्र शल्य विज्ञान)	एम० सीएच० (जनन मूत्र श० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (वक्ष शल्य विज्ञान)	एम० सीएच० (व० श० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (त्वचा विज्ञान)	एम० डी० (त्वचा वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (जैव रसायन)	एम० डी० (जैव रसा०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० नि० आयु०)
मास्टर आफ सर्जरी (तंत्रिका शल्य विज्ञान)	एम० एस० (तंत्रिका श० वि०)
डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ	डी० पी० एच०
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्रसूति वि० और स्त्री रोग वि०)
डिप्लोमा इन फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन	डी० पी० एम० एंड आर०
डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेशन	डी० एच० ई०
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकिरण निदान)	एम० डी० (विकि० नि०)
<b>टिप्पण :</b> ये अर्हताएं तभी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी जब निम्नलिखित तारीखों को प्रदान की गई हों :—	
एम० बी० बी० एस० उपाधि	मार्च, 1993 से
स्नातकोत्तर उपाधियां	मार्च, 1990 से
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	मार्च, 1989 से
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृति वि०)

---

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता

रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर

मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)

एम० एस० (नेत्र वि०)

**मगध विश्वविद्यालय**

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी

एम० बी० बी० एस०

यह अर्हता तभी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता होगी जब 30 अप्रैल, 1980 के पूर्व प्रदान की गई है।

**नागपुर विश्वविद्यालय**

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी

एम० बी० बी० एस०

मास्टर आफ साइंस (शरीर रचना विज्ञान)

एम० एस०सी० (शरीर रचना विज्ञान)

डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान)

एम० डी० (आयु०)

डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषज गुण विज्ञान)

एम० डी० (भे० गु० वि०)

डाक्टर आफ मेडिसिन (निरोधक और सामाजिक आयुर्विज्ञान)

एम० डी० (निरोधक और सामाजिक आयुर्विज्ञान)

डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)

एम० डी० (श० क्रि० वि०)

डिप्लोमा इन आफथैलमालोजी

डी० ओ०

मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)

एम० एस० (नेत्र वि०)

डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान और जीवाणु विज्ञान)

एम० डी० (विकृ० वि० और जीवाणु वि०)

मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)

एम० एस० (श० र० वि०)

डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया

डी० ए०

डिप्लोमा इन चाइल्ड हैल्थ

डी० सी० एच०

डिप्लोमा इन टुबरकुलोसिस

डी० टी० डी०

डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)

एम० डी० (प्रसूति वि० और स्त्री रोग वि०)

डिप्लोमा इन आबस्टेट्रिक्स एंड गाइनाकोलाजी

डी० जी० ओ०

मास्टर आफ सर्जरी (प्लास्टिक शल्य विज्ञान)

एम० सीएच० (प्ला० श० वि०)

डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)

एम० डी० (संवे० वि०)

डिप्लोमा इन टुबरकुलोसिस एंड चेस्ट डिजीजेज

डी० टी० सी० डी०

डाक्टर आफ मेडिसिन (सूक्ष्म जीव विज्ञान)

एम० डी० (सूक्ष्म जीव वि०)

मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)

एम० एस० (सामा० श० वि०)

डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)

एम० डी० (विकृ० वि०)

डाक्टर आफ सर्जरी (क० ना० क०)

एम० एस० (क० ना० क०)

डिप्लोमा इन ओटो लारिंगोलाजी

डी० एल० ओ०

डाक्टर आफ मेडिसिन (न्याय संबंधी आयुर्विज्ञान)

एम० डी० (न्याय संबंधी आयु०)

**नागार्जुन विश्वविद्यालय**

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी

एम० बी० बी० एस०

डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)

एम० डी० (सामा० आयु०)

डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान जिसके अंतर्गत जीवाणु विज्ञान है)

एम० डी० (विकृ० वि० और जीवाणु वि०)

डाक्टर आफ मेडिसिन (त्वचा विज्ञान)

एम० डी० (त्वचा वि०)

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्रसूति वि० और स्त्री रोग वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एस० (सामा०शल्य वि०)
डाक्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (श० र० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (क० ना० कं०)	एम० एस० (क० ना० कं०)
डिप्लोमा इन आप्थैल्मोलोजी	डी० ओ०
डिप्लोमा इन एनेस्थीसियोलोजी	डी० ए०
डिप्लोमा इन आबस्टेट्रिक्स एंड गाइनाकोलाजी	डी० जी० ओ०
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियो-डायग्नोसिस	डी० एम० आर० डी०
डिप्लोमा इन डर्माटोलोजी	डी० डी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषजगुण विज्ञान)	एम० डी० (भेषजगुण वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विक० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
डिप्लोमा इन चाइल्ड हैल्थ	डी० सी० एच०

#### नेशनल बोर्ड आफ इग्जामिनेशन, नई दिल्ली

मेम्बर एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज	एम० ए० एम० एस० यह अर्हता तभी पूर्वोक्तानुसार मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता होगी जब वह 1 अप्रैल, 1976 को या उसके पश्चात् राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली द्वारा (उक्त तारीख से पूर्व या पश्चात्) आयोजित परीक्षा के परिणामस्वरूप है न कि तब जब वह मानद उपाधि के रूप में प्रदान की गई है।
मेम्बर एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० ए० एम० एस० (शरीर क्रिया वि०)
मेम्बर एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम० ए० एम० एस० (सामा० आयु०)
मेम्बर एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० ए० एम० एस० (सामा० शल्य वि०)
मेम्बर एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० ए० एम० एस० (प्रसूति वि० और स्त्री रोग विज्ञान)
मेम्बर एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (नेत्र विज्ञान)	एम० ए० एम० एस० (नेत्र वि०)
मेम्बर एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० ए० एम० एस० (संवेदनाहरण वि०)
मेम्बर एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम० ए० एम० एस० (सामा० और निरोधक आयु०)
मेम्बर एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (मनोरोग विज्ञान)	एम० ए० एम० एस० (मनोरोग० वि०)
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० एन० ए० एम० एस० (शरीर क्रिया वि०)
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम० एन० ए० एम० एस० (सामा० आयु०)
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एन० ए० एम० एस० (सामा० श० वि०)

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (प्रसूति विज्ञान और स्त्रीरोग विज्ञान)	एम० एन० ए० एम० एस० (प्रसूति वि० और स्त्रीरोग विज्ञान)
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (नेत्र विज्ञान)	एम० एन० ए० एम० एस० (नेत्र वि०)
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० एन० ए० एम० एस० (संवेदनाहरण वि०)
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम० एन० ए० एम० एस० (सामाजिक और निरो० आयु०)
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (मनोरोग विज्ञान)	एम० एन० ए० एम० एस० (मनोरोग वि०) यह अर्हता तभी मान्यताप्राप्त पूर्वोक्तानुसार आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी जब 3 अप्रैल, 1977 को या उसके पश्चात् नेशनल बोर्ड आफ इग्जामिनेशन (राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड) नई दिल्ली की ओर से नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी) नई दिल्ली द्वारा (उक्त तारीख से पूर्व या पश्चात्) आयोजित परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रदान की गई है न कि तब जब मानद उपाधि के रूप में प्रदान की गई है।
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० एन० ए० एम० एस० (बाल चि० वि०)
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (विकलांग विद्या)	एम० एन० ए० एम० एस० (विकलांग वि०)
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (विकिरण निदान)	एम० एन० ए० एम० एस० (विकिरण निदान)
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (विकिरण निदान)	एम० एन० ए० एम० एस० (वि० नि०)
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (स्वास्थ्य प्रशासन)	एम० एन० ए० एम० एस० (स्वास्थ्य प्रशा०)
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (कर्ण नासा कंठ)	एम० एन० ए० एम० एस० (क० ना० कं०)
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (त्वचा विज्ञान और रतिरोग)	एम० एन० ए० एम० एस० (त्वचा वि० और रतिरोग)
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (विकृति विज्ञान)	एम० एन० ए० एम० एस० (विकृति वि०)
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (श्वसन रोग)	एम० एन० ए० एम० एस० (श्वसन रोग)
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (हृदय वक्ष शल्य विज्ञान)	एम० एन० ए० एम० एस० (हृदय वक्ष शल्य वि०)
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (प्लास्टिक शल्य विज्ञान)	एम० एन० ए० एम० एस० (प्लास्टिक शल्य वि०)
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (जननमूत्र शल्य विज्ञान)	एम० एन० ए० एम० एस० (जननमूत्र शल्य वि०)
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (तंत्रिका शल्य विज्ञान)	एम० एन० ए० एम० एस० (तंत्रिका शल्य वि०)

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (तंत्रिका विज्ञान)	एम० एन० ए० एम० एस० (तंत्रिका वि०)
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (बाल चिकित्सा शल्य विज्ञान)	एम० एन० ए० एम० एस० (बाल चिकित्सा शल्य वि०)
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (मातृ और बाल स्वास्थ्य)	एम० एन० ए० एम० एस० (मातृ और बाल स्वास्थ्य)
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (वृक्क विज्ञान)	एम० एन० ए० एम० एस० (वृक्क वि०)
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (काय आयुर्विज्ञान और पुनर्वास)	एम० एन० ए० एम० एस० (काय आयु० और पुनर्वास)
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (हृदय रोग विज्ञान)	एम० एन० ए० एम० एस० (हृदय रोग)
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (न्याय संबंधी आयुर्विज्ञान)	एम० एन० ए० एम० एस० (न्याय संबंधी आयु०)
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (जठरांत्र विज्ञान)	एम० एन० ए० एम० एस० (जठरांत्र वि०)
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (सूक्ष्मजीव विज्ञान)	एम० एन० ए० एम० एस० (सूक्ष्मजीव वि०)
<b>नेशनल बोर्ड आफ इग्जामिनेशन्स</b>	
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (परिवार आयुर्विज्ञान)	एम० एन० ए० एम० एस० (परिवार आयुर्विज्ञान)
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (जैव रसायन)	एम० एन० ए० एम० एस० (जैव रसायन)
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (परमाणवीय आयुर्विज्ञान)	एम० एन० ए० एम० एस० (परमाणवीय आयु०)
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (लक्षणिक भेषजगुण विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र)	एम० एन० ए० एम० एस० (लक्षणिक भेषजगुण वि० और चिकित्सा शास्त्र)
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (भेषजगुण विज्ञान)	एम० एन० ए० एम० एस० (भेषजगुण विज्ञान)
मेम्बरशिप आफ दि नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज (स्वास्थ्य प्रशासन, जिसके अंतर्गत अस्पताल प्रशासन है)	एम० एन० ए० एम० एस० (स्वास्थ्य प्रशा० जिसके अंतर्गत अस्पताल प्रशासन है)
	नेशनल बोर्ड आफ इग्जामिनेशन्स (राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड) नई दिल्ली द्वारा विभिन्न विद्याओं में एम० एन० ए० एम० एस० द्वारा प्रदत्त अर्हताएं जैसी इस अनुसूची में समाविष्ट हैं ; तभी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी जब 30 अगस्त, 1982 को या उसके पूर्व प्रदान की गई हैं ।
	नेशनल बोर्ड आफ इग्जामिनेशन्स (राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड) नई दिल्ली द्वारा विभिन्न विद्याओं में प्रदत्त डिप्लोमा एन० बी० अर्हताएं तभी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी जब 30 अगस्त, 1982 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई हैं ।
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (शरीर क्रिया विज्ञान)	डिप्लोमेट एन० बी० (शरीर क्रिया वि०)
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (सामान्य आयुर्विज्ञान)	डिप्लोमेट एन० बी० (सामान्य आयु०)



मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (सामान्य शल्य विज्ञान)	डिप्लोमेट एन० बी० (सामान्य शल्य वि०)
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (प्रसूति और स्त्रीरोग विज्ञान)	डिप्लोमेट एन० बी० (प्रसूति और स्त्रीरोग)
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (नेत्र विज्ञान)	डिप्लोमेट एन० बी० (नेत्र विज्ञान)
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (संवेदनाहरण विज्ञान)	डिप्लोमेट एन० बी० (संवेदनाहरण वि०)
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	डिप्लोमेट एन० बी० (सामाजिक और निरो० आयु०)
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (मनोरोग विज्ञान)	डिप्लोमेट एन० बी० (मनो० वि०)
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (बाल चिकित्सा विज्ञान)	डिप्लोमेट एन० बी० (बाल० वि०)
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (विकलांग विद्या)	डिप्लोमेट एन० बी० (विक० वि०)
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (विकिरण निदान)	डिप्लोमेट एन० बी० (विकिरण नि०)
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (विकिरण चिकित्सा)	डिप्लोमेट एन० बी० (विकिरण चि०)
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (स्वास्थ्य प्रशासन, जिसके अंतर्गत अस्पताल प्रशासन है)	डिप्लोमेट एन० बी० (स्वास्थ्य प्रशासन, जिसके अंतर्गत अस्पताल प्रशासन है)
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (कर्ण नाशा कंठ)	डिप्लोमेट एन० बी० (कं० ना० क०)
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (त्वचा विज्ञान और रतिरोग)	डिप्लोमेट एन० बी० (त्वचा वि० और रतिरोग)
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (विकृति विज्ञान)	डिप्लोमेट एन० बी० (विकृति वि०)
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (श्वसन रोग)	डिप्लोमेट एन० बी० (श्वसन रोग)
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (तंत्रिका शल्य विज्ञान)	डिप्लोमेट एन० बी० (तंत्रिका शल्य वि०)
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (बाल शल्य विज्ञान)	डिप्लोमेट एन० बी० (बाल शल्य वि०)
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (तंत्रिका विज्ञान)	डिप्लोमेट एन० बी० (तंत्रिका वि०)
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (प्लास्टिक शल्य विज्ञान)	डिप्लोमेट एन० बी० (प्ला० शल्य वि०)
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (जननमूत्र शल्य विज्ञान)	डिप्लोमेट एन० बी० (जननमूत्र शल्य वि०)
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (हृदय वक्ष शल्य विज्ञान)	डिप्लोमेट एन० बी० (हृदय वक्ष शल्य वि०)
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (कायिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास)	डिप्लोमेट एन० बी० (कायिक आयु० और पुनर्वास)
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (न्याय संबंधी आयुर्विज्ञान)	डिप्लोमेट एन० बी० (न्याय० आयु०)
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (मातृ और बाल स्वास्थ्य)	डिप्लोमेट एन० बी० (मातृ और बाल स्वास्थ्य)
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (वृक्क विज्ञान)	डिप्लोमेट एन० बी० (वृक्क विज्ञान)
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (हृदय रोग)	डिप्लोमेट एन० बी० (हृदय रोग)
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (जठरांत्र विज्ञान)	डिप्लोमेट एन० बी० (जठरांत्र विज्ञान)
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (सूक्ष्मजीव विज्ञान)	डिप्लोमेट एन० बी० (सूक्ष्मजीव विज्ञान)
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (परिवार आयुर्विज्ञान)	डिप्लोमेट एन० बी० (परिवार आयु०)
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (जीव रसायन)	डिप्लोमेट एन० बी० (जीव रसायन)
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (परमाणवीय आयुर्विज्ञान)	डिप्लोमेट एन० बी० (परमाणवीय आयु०)
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (लाक्षणिक भेषजगुण विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र)	डिप्लोमेट एन० बी० (लाक्षणिक भेषजगुण वि० और चिकित्सा शास्त्र)
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (भेषजगुण विज्ञान)	डिप्लोमेट एन० बी० (भेषजगुण वि०)

## उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय, सिलिगुड़ी

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी

एम० बी० बी० एस०

यह अर्हता तभी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता होगी जब 30 अप्रैल, 1980 के पूर्व प्रदान की गई है।

## उस्मानिया विश्वविद्यालय

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी

एम० बी० बी० एस०

डिप्लोमा इन अनेस्थीसियोलोजी

डी० ए०

डिप्लोमा इन मेडिकल नेडियोलोजी

डी० एम० आर०

मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)

एम० एस० (सामा० शल्य वि०)

मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)

एम० एस० (नेत्र विज्ञान)

डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)

एम० डी० (सामा० आयु०)

डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)

एम० डी० (विकृति वि०)

डाक्टर आफ मेडिसिन (सूक्ष्मजीव विज्ञान)

एम० डी० (सूक्ष्मजीव विज्ञान)

डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)

एम० डी० (शरीर क्रिया विज्ञान)

डाक्टर आफ मेडिसिन (जीव रसायन विज्ञान)

एम० डी० (जीव रसायन विज्ञान)

डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषजगुण विज्ञान)

एम० डी० (भे० गु० वि०)

डाक्टर आफ मेडिसिन (न्याय संबंधी आयुर्विज्ञान)

एम० डी० (न्याय संबंधी आयुर्विज्ञान)

डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण)

एम० डी० (संवेदनाहरण)

डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ

डी० पी० एच०

डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा)

एम० डी० (बाल चि०)

डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ

डी० सी० एच०

मास्टर आफ सर्जरी (कर्ण नासा कंठ)

एम० एस० (क० ना० कं०)

डिप्लोमा इन ओटारिनो लारिंगोलोजी

डी० एल० ओ०

डिप्लोमा इन आपथैल्मोलोजी

डी० ओ०

मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)

एम० एस० (श० र० वि०)

डिप्लोमा इन वेनरालोजी

डी० वी०

डाक्टर आफ मेडिसिन (विकिरण चिकित्सा)

एम० डी० (विकि० चि०)

डिप्लोमा इन फोरेन्सिक मेडिसिन

डी० एफ० एम०

मास्टर आफ सर्जरी (बाल चिकित्सा शल्य विज्ञान)

एम० एस० (बाल चि० श० वि०)

मास्टर आफ सर्जरी (तंत्रिका शल्य विज्ञान)

एम० एस० (तंत्रिका श० वि०)

डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)

एम० डी० (प्रसूति वि० और स्त्री रोग वि०)

डिप्लोमा इन आबस्टेट्रिक्स एंड गाइनाकोलाजी

डी० जी० ओ०

डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)/समुदाय आयुर्विज्ञान

एम० डी० (सामा० और नि० आय०/समुदाय आयु०)

मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)

एम० एस० (विक० वि०)

डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलोजी

डी० सी० पी०

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डाक्टर आफ मेडिसिन (त्वचा विज्ञान)	एम० डी० (त्वचा वि०)
डिप्लोमा इन डर्माटोलोजी	डी० डी०

#### पंजाब विश्वविद्यालय

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृ० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (शरीर क्रिया वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (ने० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शल्य विज्ञान)	एम० एस० (शल्य वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (श० र० वि०)
डिप्लोमा इन आफथैलमिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	डी० ओ० एम० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषज गुण विज्ञान)	एम० डी० (भेषज गुण विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (संवेदनाहरण)	एम० एस० (संवेदनाहरण)
डिप्लोमा इन अनेस्थीसिया	डी० ए०
डिप्लोमा इन टुबरकुलोसिस डिजीजेज	डी० टी० डी० (इस अनुसूची के अंतर्गत यह अर्हता मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता तभी होगी जब यह इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अन्य आयुर्विज्ञान अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति के पास हो।)
मास्टर आफ सर्जरी (कर्ण नासा कंठ)	एम० एस० (क० ना० कं०)
डिप्लोमा इन चैस्ट डिजीजेज	डी० सी० डी०
डिप्लोमा इन टुबरकुलोसिस एंड चैस्ट डिजीजेज	डी० टी० सी० डी०
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलोजी	डी० एम० आर०
डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ	डी० सी० एच०
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विक० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा)	एम० डी० (बाल चि०)
डिप्लोमा इन गाइनाकोलाजी एंड आबस्टेट्रिक्स	डी० जी० ओ०
मास्टर आफ सर्जरी (प्लास्टिक शल्य विज्ञान)	एम० एस० (प्ला० श० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकिरण निदान)	एम० डी० (विकि० नि०) जब 1-5-1975 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई हो।

#### पटना विश्वविद्यालय

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन	एम० डी०
मास्टर आफ सर्जरी	एम० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषज गुण विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र)	एम० डी० (भे० गु० वि० और चिकित्सा शास्त्र)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (ने० वि०)

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (श० क्रि० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विज्ञान)	एम० एस० (विक० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (प्लास्टिक शल्य विज्ञान)	एम० एस० (प्लास्टिक शल्य वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृति वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (कर्ण, नासा कंठ विज्ञान)	एम० एस० (क० ना० कं० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (आयुर्विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० एस० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बाल चिकित्सा वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (त्वचा विज्ञान)	एम० डी० (त्वचा वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकिरण विज्ञान)	एम० डी० (विकिरण वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शल्य विज्ञान)	एम० एस० (शल्य वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० एस० (संवेदना वि०)
डिप्लोमा इन आब्स्टेट्रिक्स एंड गाइनाकोलाजी	डी० जी० ओ०
डिप्लोमा इन चाइल्ड हैल्थ	डी० सी० एच०
डिप्लोमा इन एनेस्थीसियोलोजी	डी० ए०
डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलोजी	डी० सी० सी०
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलोजी	डी० एम० आर०
डाक्टर आफ मेडिसिन (जैव रसायन)	एम० डी० (जैव रसा०)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (शरीर रचना वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
<b>पुणे विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विद्या)	एम० डी० (प्र० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृति वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषज गुण विज्ञान)	एम० डी० (भे० गु० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शल्य विज्ञान)	एम० एस० (शल्य वि०)
डाक्टर आफ फिलासफी (विकृति विज्ञान)	पी० एच० डी० (विकृति विज्ञान)
डिप्लोमा इन पब्लिक हैल्थ	डी० पी० एच०
डिप्लोमा इन क्लीनिकल पैथालोजी	डी० सी० पी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० और नि० आयु०)
मास्टर आफ सर्जरी (क० ना० कं०)	एम० एस० (क० ना० कं०)
डिप्लोमा इन लारिंगोलोजी एंड ओटोलोजी	डी० एल० ओ०
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
डिप्लोमा इन एनेस्थीसियोलोजी	डी० ए०

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डिप्लोमा इन बेनरलाजी एण्ड डर्माटोलोजी	डी० बी० डी०
मास्टर आफ साइंस (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस०सी० (श० र० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (श० र० वि०)
मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बा० चि० वि०)
डिप्लोमा इन चाइल्ड हैल्थ	डी० सी० एच०
डिप्लोमा इन साइकोलालिकल मेडिसिन	डी० पी० एम०
डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हैल्थ	डी० आई० एच०
डिप्लोमा इन चेस्ट डिजीजेज	डी० सी० डी०
डिप्लोमा इन टुबरकुलोसिस एण्ड चेस्ट डिजीजेज	डी० टी० सी० डी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विक्रिण निदान)	एम० डी० (विक्रि० नि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (श० क्रि० वि०)
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस	डी० एम० आर० डी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (यक्ष्माफूर्त और श्वसन/वक्ष रोग)	एम० डी० (यक्ष्मा और श्व०/वक्ष रोग)
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विज्ञान)	एम० एस० (विकलांग वि०)
डिप्लोमा इन आफथैल्मिक मेडिसिन एंड सर्जरी	डी० ओ० एम० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सूक्ष्म जीव विज्ञान)	एम० डी० (सूक्ष्म जीव वि०)
डिप्लोमा इन मेडिकल विरोलाजी	डी० एम० वि०
मास्टर आफ सर्जरी (हृदय-वक्ष शल्य विज्ञान)	एम० एस० (हृदय-वक्ष श० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (प्लास्टिक शल्य विज्ञान)	एम० एस० (प्ला० श० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (त्वचा विज्ञान और रतिरोग विज्ञान)	एम० डी० (त्वचा वि० और रतिरोग वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (मनोरोग विज्ञान)	एम० डी० (मनोरोग वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्रसूति वि० और स्त्री रोग वि०)
डिप्लोमा इन हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन	डी० एच० ए०
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान और सूक्ष्मजीव विज्ञान)	एम० डी० (विकृति वि० और सूक्ष्म वि०)
मास्टर आफ हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन	एम० एच० ए० यह अर्हता तभी मान्यताप्राप्त होगी जब 1-7-1989 के पूर्व प्रदत्त की गई है।
डाक्टर आफ मेडिसिन (चिकित्सारूपी प्रशासन)	एम० डी० (चिकि० प्रशा०) यह अर्हता तभी मान्यताप्राप्त होगी जब 30 जून, 1989 के पश्चात् प्रदान की गई है। एम० एच० ए० और एम० डी० (चिकित्सीय प्रशासन) की आयुर्विज्ञान अर्हताएं सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे में प्रशिक्षण पा रहे ऐसे छात्रों की बाबत जो भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 में समाविष्ट आधिकारिक आयुर्विज्ञान अर्हता रखते हैं।

---

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता

रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर

डिप्लोमा इन गाइनाकोलाजी एंड आब्स्टेट्रिक्स

डी० जी० ओ०

**पांडिचेरी विश्वविद्यालय**

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी

एम० बी० बी० एस०

डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)

एम० डी० (सामा० आयु०)

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता

रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर

डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा और स्त्री रोग विज्ञान)

एम० डी० (बाल० और स्त्री रोग वि०)

डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषजगुण विज्ञान)

एम० डी० (भेषजगुण वि०)

डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)

एम० डी० (संवे० वि०)

डाक्टर आफ मेडिसिन (त्वचा विज्ञान)

एम० डी० (त्वचा वि०)

डाक्टर आफ मेडिसिन (जैव रसायन विज्ञान)

एम० डी० (जैव रसायन वि०)

मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)

एम० एस० (सामा० श० वि०)

मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)

एम० एस० (नेत्र वि०)

मास्टर आफ सर्जरी (कर्ण नासा कंठ)

एम० एस० (क० ना० कं०)

मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)

एम० एस० (श० र० वि०)

डिप्लोमा इन चाइल्ड हैल्थ

डी० सी० एच०

डिप्लोमा इन आफथैल्मोलाजी

डी० ओ०

डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियो-डायग्नोसिस

डी० एम० आर० डी०

डिप्लोमा इन डर्माटोलाजी

डी० डर्म०

डिप्लोमा इन पब्लिक हैल्थ

डी० पी० एच०

डिप्लोमा इन गाइनाकोलाजी एंड आब्स्टेट्रिक्स

डी० जी० ओ०

डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलाजी

डी० सी० पी०

मास्टर आफ सर्जरी (जनन मूत्र शल्य विज्ञान)

एम० एस० (जनन मूत्र श० वि०)

डाक्टर आफ मेडिसिन (सूक्ष्म जीव विज्ञान)

एम० डी० (सूक्ष्म जीव वि०)

डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)

एम० डी० (विकृति वि०)

डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)

एम० डी० (बाल चिकित्सा विज्ञान)

डाक्टर आफ मेडिसिन (समुदाय आयुर्विज्ञान)

एम० डी० (समुदाय आयु०)

**पंजाबी विश्वविद्यालय**

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी

एम० बी० बी० एस०

डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान)

एम० डी० (आयुर्विज्ञान)

डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)

एम० डी० (श० क्रि० वि०)

मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)

एम० एस० (सामा० श० वि०)

डाक्टर आफ मेडिसिन (नेत्र विज्ञान)

एम० डी० (नेत्र वि०)

डिप्लोमा इन आफथैल्मिक मेडिसिन एंड सर्जरी

डी० ओ० एम० एस०

मास्टर आफ सर्जरी (संवेदनाहरण विज्ञान)

एम० एस० (संवेदना वि०)

डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)

एम० डी० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डिप्लोमा इन आब्स्टेट्रिक्स एंड गाइनाकालोजी	डी० जी० ओ०
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विज्ञान)	एम० एस० (विकलांग वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बाल चि० वि०)
डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ	डी० सी० एच०
मास्टर आफ सर्जरी (कर्ण कंठ विज्ञान)	एम० एस० (कर्ण कं० वि०)
मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (श० र० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान)	एम० डी० (विकृति वि० और सूक्ष्म वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० और नि० आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (त्वचा विज्ञान और रतिरोग विज्ञान)	एम० डी० (त्वचा वि० और रतिरोग वि०)
डिप्लोमा इन एनेस्थीसियोलोजी	डी० ए०
डाक्टर आफ मेडिसिन (मनोविकार चिकित्सा)	एम० डी० (मनो० चि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषजगुण विज्ञान)	एम० डी० (भेषजगुण वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकिरण विज्ञान)	एम० डी० (विकि० वि०)
	यह अर्हता तभी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता होगी जब 16-5-1983 को या उससे पूर्व प्रदान की गई है।
डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन	डी० एस० एम०

#### स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, चंडीगढ़

स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम, 1966 (1966 का 51) की धारा 24 के अनुसार स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित आयुर्विज्ञान अर्हताएं भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी और अधिनियम की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित की गई समझी जाएंगी :—

1. एम० डी०  
आयुर्विज्ञान, बाल चिकित्सा, मनोविकार चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान, विकिरण निदान, विकिरण चिकित्सा, विकृति विज्ञान, सूक्ष्मजीव विज्ञान, भेषजगुण विज्ञान, जैव रसायन, संवेदनाहरण विज्ञान और त्वचा विज्ञान।
2. एम० एस०  
शल्य विज्ञान, विकलांग शल्य विज्ञान, नेत्र विज्ञान, कर्ण नासा विज्ञान।
3. डी० एम०  
हृदयरोग, जठरान्त्र रोग विज्ञान, वृक्क विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, अंतःस्राविकी और लाक्षणिक भेषजगुण विज्ञान।
4. एम० सीएच०  
हृदय-वक्ष शल्य विज्ञान, प्लास्टिक शल्य विज्ञान, बाल चिकित्सा शल्य विज्ञान, तंत्रिका शल्य विज्ञान और मूत्रपथ विज्ञान।
5. पी० एच० डी०  
संवेदनाहरण विज्ञान, सामान्य आयुर्विज्ञान, प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान, बाल चिकित्सा, मनोविकार चिकित्सा, विकिरण निदान, विकिरण चिकित्सा, सामान्य शल्य विज्ञान, विकलांग शल्य विज्ञान, नेत्र विज्ञान और कर्ण नासा कंठ विज्ञान।

\*स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ का डाक्टर आफ फिलासफी।

## मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता

## रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर

पी० एच० डी०

शरीर रचना विज्ञान, जैव रसायन, जैव भौतिकी, चिकित्सा मनोविकार विज्ञान, प्रायोगिक आयुर्विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, भेषजगुण विज्ञान और विकृति विज्ञान ।

**टिप्पण :**—यह उपदर्शित करता है कि इन अर्हताओं को तब आयुर्विज्ञान अर्हता समझा जाएगा जब वे ऐसे व्यक्तियों को प्रदान की गई हैं जो भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के अधीन मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता धारण करते हैं ।

## राजपूताना विश्वविद्यालय

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एस० (सामा० शल्य वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान और चिकित्साशास्त्र)	एम० डी० (आयु० और चिकित्साशास्त्र)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान और जीवाणु विज्ञान)	एम० डी० (विकृ० वि० और जीवाणु वि०)
मास्टर आफ साइंस (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० एससी० (शरीर क्रिया विज्ञान)
मास्टर आफ साइंस (आयुर्विज्ञान भेषजगुण विज्ञान)	एम० एससी० (आयु० भे० गु० वि०)
मास्टर आफ साइंस (आयुर्विज्ञानीय शरीर रचना विज्ञान)	एम० एससी० (आयुर्विज्ञानीय शरीर रचना विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र वि०)

## राजस्थान विश्वविद्यालय

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एस० (सामा० शल्य वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान और चिकित्साशास्त्र)	एम० डी० (आयु० और चि० शा०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान और जीवाणु विज्ञान)	एम० डी० (विकृ० वि० और जीवाणु वि०)
मास्टर आफ साइंस (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० एससी० (शरीर क्रिया विज्ञान)
मास्टर आफ साइंस (आयुर्विज्ञान भेषज गुण विज्ञान)	एम० एससी० (आयु० वि०) (भे० गु० वि०)
मास्टर आफ साइंस (आयुर्विज्ञान शरीर रचना विज्ञान)	एम० एससी० (आयुर्विज्ञान) (शरीर रचना विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र वि०) ये अर्हताएं मान्यताप्राप्त अर्हताएं तभी होंगी जब ये 1 जुलाई, 1957 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई हों ।
मास्टर आफ सर्जरी (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० एस० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
मास्टर आफ साइंस (आयुर्विज्ञानीय विकृति विज्ञान)	एम० एससी० (आयु० विकृ० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विक० विद्या)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बा० चि० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलोजी एण्ड इलेक्ट्रोलोजी	डी० एम० आर० ई०
डिप्लोमा इन अनेस्थीसियोलोजी	डी० ए०
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषज गुण विज्ञान)	एम० डी० (भे० गु० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (श० र० वि०)
डिप्लोमा इन टुबरकुलोसिस एण्ड चैस्ट डिजीजेज	डी० टी० सी० डी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (श० क्रिया० वि०)



मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
मास्टर आफ सर्जरी (कर्ण नासा कंठ)	एम० एस० (क० ना० कं०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० एस० (संवेदना० वि०)
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलोजिकल डायग्नोसिस	डी० एम० आर० डी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकिरण विज्ञान)	एम० डी० (विकि० वि०) यह अर्हता तभी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता होगी जब 30 अप्रैल, 1979 के पहले प्रदान की गई है।
डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ	डी० पी० एच०
डिप्लोमा इन आब्स्टेट्रिक्स एंड गाइनाकोलाजी	डी० जी० ओ०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० आयु०)
मास्टर आफ सर्जरी (जनन मूत्र शल्य विज्ञान)	एम० सी० एच० (जनन मूत्र श० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (मनोविकार विज्ञान)	एम० डी० (मनोविकार वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकिरण निदान)	एम० डी० (विकि० नि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (त्वचा विज्ञान और रतिरोग विज्ञान और कुष्ठ)	एम० डी० (त्वचा, रति रोग और कुष्ठ)
मास्टर आफ सर्जरी (तंत्रिका शल्य विज्ञान)	एम० सी० एच० (तंत्रिका श० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० सी० एच० (बाल चि० वि०)
मास्टर आफ साइंस इन मेडिकल बायोकेमिस्ट्री (आयुर्विज्ञान जैव रसायन)	एम० एस० सी० (आयुर्विज्ञान जैव रसायन)
<b>रांची विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डिप्लोमा इन साइकोलाजिकल मेडिसिन	डी० पी० एम०
डाक्टर आफ मेडिसिन (जैव रसायन)	एम० डी० (जैव रसायन)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (कर्ण नासा कंठ)	एम० एस० (क० ना० कं०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (श० क्रि० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विक० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (श० र० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृति वि०) यह अर्हता तभी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता होगी जब 30 अप्रैल, 1979 से पूर्व प्रदान की गई है।
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बाल० चि० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषजगुण विज्ञान)	एम० डी० (भेषजगुण वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एस० (सामा० श० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (त्वचा विज्ञान, रतिरोग और कुष्ठ) तथा डी० वी० डी०	एम० डी० (त्वचा वि०, रतिरोग और कुष्ठ) तथा डी० वी० डी०

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डिप्लोमा इन एनेस्थीसियोलॉजी	डी० ए०
डाक्टर आफ मेडिसिन (मनोविकार विज्ञान)	एम० डी० (मनोविकार वि०)
<b>रविशंकर विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषजगुण विज्ञान)	एम० डी० (भेषजगुण वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० आयु०)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (श० र० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृति वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (श० क्रि० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एस० (सामा० शल्य वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बाल चि० वि०)
डिप्लोमा इन आर्थोपेडिक्स	डी० आर्थो० 1-7-1980 को या उसके पश्चात् प्रदत्त ।
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विकलांग वि०) 1-7-1982 को या उसके पश्चात् प्रदत्त ।
डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ	डी० सी० एच०
<b>रोहतक विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ	डी० सी० एच०
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विक० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बाल चि० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (त्वचा विज्ञान जिसके अंतर्गत रतिरोग और कुष्ठ हैं)	एम० डी० (त्वचा वि० जिसके अंतर्गत रतिरोग और कुष्ठ हैं)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (क० ना० कं०)	एम० एस० (क० ना० कं०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
डिप्लोमा इन एनेस्थीसियोलॉजी	डी० ए०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० और नि० आयु०)
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एस० (सामा० श० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृति वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (आयुर्विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विक्रिण निदान)	एम० डी० (विक्रि० नि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (श० क्रि० वि०)
डिप्लोमा इन आफथैल्मिक मेडिसिन एंड सर्जरी	डी० ओ० एम० एस०
डिप्लोमा इन वेनारोलॉजी डिजीजेज	डी० वी० डी०

**महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय**

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डिप्लोमा इन चाइल्ड हैल्थ	डी० सी० एच०
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विक० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बाल चि० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (त्वचा विज्ञान जिसके अंतर्गत रतिरोग और कुष्ठ हैं)	एम० डी० (त्वचा वि० जिसके अंतर्गत रतिरोग और कुष्ठ हैं)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (क० ना० कं०)	एम० एस० (क० ना० कं०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
डिप्लोमा इन एनेस्थीसियोलॉजी	डी० ए०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० और नि० आयु)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृति वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (आयुर्विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एस० (सामा० शल्य वि०)
डिप्लोमा इन आर्थोपेडिक्स	डी० आर्थो०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सूक्ष्म जीव विज्ञान)	एम० डी० (सूक्ष्म जीव वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकिरण निदान)	एम० डी० (विकि० नि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (श० क्रि० वि०)
डिप्लोमा इन आफथैल्मिक मेडिसिन एंड सर्जरी	डी० ओ० एम० एस०
डिप्लोमा इन वेनारोलॉजी डिजीजेज	डी० वी० डी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (जैव रसायन)	एम० डी० (जैव रसायन)
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियो डायग्नोसिस	डी० एम० आर० डी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (यक्ष्मा और श्वसन रोग)	एम० डी० (यक्ष्मा और श्वसन रोग)
डिप्लोमा इन टुबरकुलोसिस एंड चेस्ट डिजीजेज	डी० टी० सी० डी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (यक्ष्मा और वक्ष रोग)	एम० डी० (यक्ष्मा और वक्ष रोग)

10-8-1990 को या उससे पहले प्रदत्त ।

**बंगाल राज्य आयुर्विज्ञान संकाय**

मेम्बरशिप आफ दि स्टेट मेडिकल फैकल्टी आफ बंगाल	एम० एम० एफ० यह अर्हता मान्यताप्राप्त अर्हता तभी होगी जब यह 15 अगस्त, 1947 के पूर्व प्रदान की गई हो ।
---	---

**पश्चिमी बंगाल राज्य आयुर्विज्ञान संकाय**

मेम्बरशिप आफ दि स्टेट मेडिकल फैकल्टी आफ वेस्ट बंगाल	एम० एम० एफ०
---	-------------

**सौराष्ट्र विश्वविद्यालय**

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
---------------------------------------	-----------------

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान और जीवाणु विज्ञान)	एम० डी० (विकृति वि० और जीवाणु वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शल्य विज्ञान)	एम० एस० (शल्य वि०)
डिप्लोमा इन आफथैल्मिक मेडिसिन एंड सर्जरी	डी० ओ० एम० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
डिप्लोमा इन एनेस्थीसियोलोजी	डी० ए०
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बाल चि० वि०)
डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ	डी० सी० एच०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सूक्ष्म जीव विज्ञान)	एम० डी० (सूक्ष्म जीव वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० डी० (नेत्र वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विकलांग वि०)
<b>सम्बलपुर विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (श० क्रि० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० आयु०)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (श० र० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृति वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एस० (सामा० श० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (कर्ण नासा कंठ)	एम० एस० (क० ना० कं०)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषजगुण विज्ञान)	एम० डी० (भेषजगुण वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विक० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बाल चि० वि०)
<b>शिवाजी विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान और जीवाणु विज्ञान)	एम० डी० (विकृति वि० और जीवाणु वि०)
डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलोजी	डी० सी० पी०
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एस० (सामा० श० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० डी० (श० र० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषजगुण विज्ञान)	एम० डी० (भेषजगुण वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
डिप्लोमा इन आबस्टेट्रिक्स एण्ड गाइनाकोलाजी	डी० जी० ओ०
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (श० क्रि० वि०)

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बाल चि० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सूक्ष्म जीव विज्ञान)	एम० डी० (सूक्ष्म जीव वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृति वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
डिप्लोमा इन एनेस्थीसियोलोजी	डी० ए०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० आयु०)
<b>सागर विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
<b>दक्षिणी गुजरात विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (साम० और नि० आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बाल चि० वि०)
डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ	डी० सी० एच०
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एस० (सामा० शल्य वि०) यह अर्हता तभी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता होगी जब दक्षिणी गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा उन छात्रों की बाबत प्रदान की गई है जो सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, सूरत में प्रशिक्षित हुए हैं।
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र वि०) 1-3-1986 को या उसके पश्चात् प्रदत्त।
डिप्लोमा इन आफथैल्मोलोजी	डी० ओ० 1-12-1984 को या उसके पश्चात् प्रदत्त।
डिप्लोमा इन एनेस्थीसियोलोजी	डी० ए०
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृति वि०)
डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलोजी	डी० सी० पी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान)	एम० डी० (प्रसूति वि० और स्त्री रोग वि०)
डिप्लोमा इन गाइनाकोलाजी एण्ड आब्स्टेट्रिक्स	डी० जी० ओ०
<b>श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय</b>	
बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० आयु०)
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एस० (सामा० श० वि०)
डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलोजी	डी० सी० पी०
डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ	डी० सी० एच०
डिप्लोमा इन आटो-रिनो लारिंगोलोजी	डी० एल० ओ०
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (श० क्रि० वि०)

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
मास्टर आफ साइंस (शरीर क्रिय विज्ञान)	एम० एससी० (शरीर क्रिया वि०)
मास्टर आफ साइंस (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एससी० (श० र० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (श० र० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सूक्ष्म रसायन विज्ञान)	एम० डी० (सूक्ष्म रसायन वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषजगुण विज्ञान)	एम० डी० (भेषजगुण वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृति वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	*एम० डी० (प्रसूति वि० और स्त्री रोग वि०) *यह अर्हता तभी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता होगी जब 30 अप्रैल, 1978 से पहले प्रदान की गई है।
डिप्लोमा इन एनेस्थीसियोलॉजी	डी० ए०

**शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज,  
श्रीनगर (शेरे कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान, श्रीनगर)**

डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० आयु०)
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एस० (सामा० श० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०)
उपर्युक्त अर्हताएं तभी मान्यताप्राप्त अर्हताएं होंगी जब 1 जुलाई, 1986 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई हैं।	

**द्रावनकोर विश्वविद्यालय**

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
---------------------------------------	-----------------

**उत्कल विश्वविद्यालय**

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषज गुण विज्ञान)	एम० डी० (भे० गु० वि०)
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी एण्ड डायग्नोसिस	डी० एम० आर० डी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (त्वचा विज्ञान और रतिरोग)	एम० डी० (त्वचा विज्ञान और रतिरोग)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृ० वि०)
डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलॉजी	डी० सी० पी०
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (श० क्रि० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० आयु०)
मास्टर आफ सर्जरी (कर्ण, नासा, कंठ विज्ञान)	एम० एस० (क० ना० कं० वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शल्य विज्ञान)	एम० एस० (शल्य वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (जैव रसायन)	एम० डी० (जैव रसायन)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (श० र० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बाल चि० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० और नि० आयु०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकिरण निदान)	एम० डी० (विकि० नि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (न्याय संबंधी आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (न्याय आयु०)

मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकिरण चिकित्सा)	एम० डी० (विकि० चि०)
डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया	डी० ए०
डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ	डी० सी० एच०
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विद्या)	एम० एस० (विक० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवे० वि०) 1-9-1972 को या उसके पश्चात् प्रदत्त ।
डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)

#### विक्रम विश्वविद्यालय

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एम० बी० बी० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषज गुण विज्ञान)	एम० डी० (भे० गु० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)	एम० डी० (विकृ० वि०)
डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (शरीर क्रिया विज्ञान)
डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (आयुर्विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान)	एम० एस० (नेत्र वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम० एस० (सामा० शल्य वि०)
मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (शरीर रचना विज्ञान)
मास्टर आफ सर्जरी (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	एम० एस० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०)
डिप्लोमा इन टुबरकुलोसिस डिजीजेज	डी० टी० डी०
डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ	डी० सी० एच०
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी एण्ड इलेक्ट्रोलॉजी	डी० एम० आर० ई०
डिप्लोमा इन आपथैलमिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	डी० ओ० एम० एस०
डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बाल चिकित्सा विज्ञान)

#### श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फार मेडिकल साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, त्रिवेंद्रम

श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिवेंद्रम अधिनियम, 1980 (1980 का 52) के अनुसार श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेंद्रम द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित आयुर्विज्ञान अर्हताएं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी और उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित समझी जाएंगी ।

1. डी० एम० हृदय चिकित्सा और तंत्रिका विज्ञान
2. एम० सी० एच० हृदयवाहिका और वक्ष शल्य विज्ञान, तंत्रिका शल्य विज्ञान
3. पी० एच० डी० जैव रसायन विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, विकृति विज्ञान

**टिप्पण :**—ये सभी उपाधियां भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के अधीन मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं धारण करने वाले व्यक्तियों को प्रदत्त आयुर्विज्ञान उपाधियां समझी जाएंगी ।

द्वितीय अनुसूची  
(धारा 12 देखिए)

भारत से बाहर की आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं

देश	उपाधि	डिप्लोमाओं में वर्णित अर्हता का स्वरूप	संक्षेपाक्षर
<b>यूनाइटेड किंगडम</b>			
बरमिंघम विश्वविद्यालय	एम० बी०, सी० एच० बी०	बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	बरमिं० वि
	एम० डी०	डाक्टर आफ मेडिसिन	
	सी० एच० एम०	मास्टर आफ सर्जरी	
ब्रिस्टल विश्वविद्यालय	एम० बी०, सी० एच० बी०	बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	ब्रिस्ट० वि०
	एम० डी०	डाक्टर आफ मेडिसिन	
	सी० एच० एम०	मास्टर आफ सर्जरी	
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय	एम० बी० चिर०	बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	कैम्ब्रि० वि०
	एम० डी०	डाक्टर आफ मेडिसिन	
	एम० चिर०	मास्टर आफ सर्जरी	
डरहम विश्वविद्यालय	एम० बी० बी० एस०	बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	डरहम वि०
	एम० डी०	डाक्टर आफ मेडिसिन	
	एम० एस०	मास्टर आफ सर्जरी	
लीड्स विश्वविद्यालय	एम० बी०, सी० एच० बी०	बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	लीड्स० वि०
	एम० डी०	डाक्टर आफ मेडिसिन	
	सी० एच० एम०	मास्टर आफ सर्जरी	
लिवरपूल विश्वविद्यालय	एम० बी०, सी० एच० बी०	बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एल० पूल० वि०
	एम० डी०	डाक्टर आफ मेडिसिन	
	सी० एच० एम०	मास्टर आफ सर्जरी	
	एम० सी० एच० आर्थ०	मास्टर आफ आर्थोपीडिक सर्जरी	
लन्दन विश्वविद्यालय	एम० बी० बी० एस०	बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	लन्दन वि०
	एम० डी०	डाक्टर आफ मेडिसिन	
	एम० एस०	मास्टर आफ सर्जरी	



देश	उपाधि	डिप्लोमाओं में वर्णित अर्हता का स्वरूप	संक्षेपाक्षर
मैनचेस्टर विश्वविद्यालय	एम० बी०, सी० एच० बी०	बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	मैन्चे० वि०
	एम० डी०	डाक्टर आफ मेडिसिन	
	सी० एच० एम०	मास्टर आफ सर्जरी	
आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय	एम० बी०, बी० सी० एच०	बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	आक्सफोर्ड वि०
	एम० डी०	डाक्टर आफ मेडिसिन	
	सी० एच० एम०	मास्टर आफ सर्जरी	
शेफील्ड विश्वविद्यालय	एम० बी०, सी० एच० बी०	बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	शैफ० वि०
	डी० एम०	डाक्टर आफ मेडिसिन	
	एम० सी० एच०	मास्टर आफ सर्जरी	
वेल्स विश्वविद्यालय	एम० बी०, बी० सी० एच०	बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	वेल्स वि०
	एम० डी०	डाक्टर आफ मेडिसिन	
	सी० एच० एम०	मास्टर आफ सर्जरी	
अबर्डीन विश्वविद्यालय	एम० बी०, सी० एच० बी०	बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	अबर्डी० वि०
	एम० डी०	डाक्टर आफ मेडिसिन	
	सी० एच० एम०	मास्टर आफ सर्जरी	
एडिनबरा विश्वविद्यालय	एम० बी०, सी० एच० बी०	बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	एडिन० वि०
	एम० डी०	डाक्टर आफ मेडिसिन	
	सी० एच० एम०	मास्टर आफ सर्जरी	
	डिप० साइक०	डिप्लोमा इन साइकोलाजी	
	डी० पी० एम०	डिप्लोमा इन साइकोलाजिकल मेडिसिन	
ग्लासगो विश्वविद्यालय	एम० बी०, सी० एच० बी०	बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	ग्लासगो वि०
	एम० डी०	डाक्टर आफ मेडिसिन	
	सी० एच० एम०	मास्टर आफ सर्जरी	
सेन्ट एन्ड्रयूज विश्वविद्यालय	एम० बी०, सी० एच० बी०	बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	से० एण्ड वि०
	एम० डी०	डाक्टर आफ मेडिसिन	
	सी० एच० एम०	मास्टर आफ सर्जरी	

देश	उपाधि	डिप्लोमाओं में वर्णित अर्हता का स्वरूप	संक्षेपाक्षर
बेल्फास्ट विश्वविद्यालय	क्वीन्स एम० बी० बी०, सीएच	बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	बेल्फ० वि०
	एम० डी०	डाक्टर आफ मेडिसिन	
	एम० सी० एच०	मास्टर आफ सर्जरी	
	एम० ए० ओ०	मास्टर आफ आब्स्टेट्रिक्स	
रायल कालेज आफ फिजिशियन्स आफ लन्दन	एल० आर० सी० पी०	लाइसेन्शियेट	आर० सी० पी० लंदन
	एम० आर सी० पी०	मेम्बर	
	एफ० आर० सी० एस०	फेलो	
रायल कालेज आफ सर्जन्स आफ इंग्लैण्ड	एम० आर० सी० एस०	मेम्बर	आर० सी० एस० इंग्लैण्ड
	एफ० आर० सी० एस०	फेलो	
रायल कालेज आफ सर्जन्स आफ इंग्लैण्ड	**एफ० एफ० ए० आर० सी० एस०	फेलो	(फैकल्टी आफ एनेस्थीसिया) **परंतु तब जब कि यह अर्हता किसी परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् प्रदान की गई है।
सोसाइटी आफ अपाथकरीज आफ लन्दन	एल० एम० एस० एस० ए०	लाइसेन्शियेट इन मेडिसिन एण्ड सर्जरी	एस० ए० लंदन
	एल० एस० ए०	लाइसेन्शियेट	
रायल कालेज आफ फिजिशियन्स आफ एडिनबरा	एल० आर० सी० पी०	लाइसेन्शियेट	आर० सी० पी० एडिन०
	एम० आर० सी० पी०	मेम्बर	
	एफ० आर० सी० एस०	फेलो	
रायल कालेज आफ सर्जन्स आफ एडिनबरा	एल० आर० सी० एस०	लाइसेन्शियेट	आर० सी० एस० एडिन
	एफ० आर० सी० एस०	फेलो	
रायल कालेज आफ फिजिशियन्स एण्ड सर्जन्स आफ ग्लासगो	एल० आर० सी० पी० एस०	लाइसेन्शियेट	आर० सी० पी० एस० ग्लासगो
	एम० आर० सी० पी०	मेम्बर	
	एफ० आर० सी० पी०	फेलो	
ग्लासगो	एफ० आर० सी० एस०	फेलो	
	एफ० आर० सी० पी० एस०	फेलो	
	एफ० आर० सी० पी० एस०	फेलो	
न्यू कैसिल-अपानटाइन विश्वविद्यालय	एम० बी० ; सीएच० बी०	बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	न्यू कैसिल वि०
	एम० डी०	डाक्टर आफ मेडिसिन	
	सीएच० एम०	मास्टर आफ सर्जरी	

देश	उपाधि	डिप्लोमाओं में वर्णित अर्हता का स्वरूप	संक्षेपाक्षर
डन्डी विश्वविद्यालय	एम० बी० ; सीएच० बी०	बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	डन्डी वि०
	एम० डी०	डाक्टर आफ मेडिसिन	
	सीएच० एम०	मास्टर आफ सर्जरी	
रायल कालेज आफ फिजिशियन्स आफ यूनाइटेड किंगडम	एम० आर० सी० पी०	मेम्बर	आर० सी० पी० ; यू० के०
रायल कालेज आफ आब्स्टेट्रिशियन्स एंड गाइनोकालाजिस्ट्स, लंदन	एम० आर० सी० ओ० जी०	मेम्बर	आर० सी० ओ० जी० ; लंदन
रायल कालेज आफ पैथोलोजिस्ट्स, लंदन	एम० आर० सी० (पैथ)	मेम्बर	आर० सी० पी०** (लंदन)
	एफ० आर० सी० (पैथ) फैलो	**परंतु तब जब कि यह अर्हता किसी परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् प्रदान की गई है।	
रायल कालेज आफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, लंदन	डी० ओ० एम० एस०	डिप्लोमा इन आफथैल्मिक मेडिसिन एंड सर्जरी	आर० सी० पी० एंड एस० (लंदन)
	डी० ओ०	डिप्लोमा इन आफथैल्मोलोजी	
	डी० पी० एम०	डिप्लोमा इन साइकोलाजिकल मेडिसिन	
रायल कालेज आफ साइकियाट्रिस्ट्स, लंदन	एम० आर० सी० नाइक	मेम्बर	आर० सी० साइक** लंदन परंतु तब जब यह अर्हता किसी परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् प्रदान की गई है। यूनाइटेड किंगडम में प्रदान की गई उपरोक्त अर्हताएं तभी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी जब 11 नवम्बर, 1975 को या उसके पूर्व प्रदान की गई हैं।

### रजिस्टर करने योग्य अर्हताएं

#### आस्ट्रेलिया

#### न्यू साउथ वेल्स

सिडनी विश्वविद्यालय (ग)

एम० बी० एम० डी०

मेडिसिन एण्ड सर्जरी

सिडनी वि०

सीएच० एम० बी० एस०

देश	उपाधि	डिप्लोमाओं में वर्णित अर्हता का स्वरूप	संक्षेपाक्षर
<b>साउथ आस्ट्रेलिया</b>			
एडिलेड (क)(ग)	विश्वविद्यालय एम० बी० बी० एस० एम० डी० एम० एस०	मेडिसिन एण्ड सर्जरी	एडिलेड वि०
<b>विक्टोरिया</b>			
मेलबोर्न विश्वविद्यालय	एम० बी० बी० एस० एम० डी० एम० एस०	मेडिसिन एण्ड सर्जरी	मेलबोर्न वि०
<b>बर्मा</b>			
रंगून विश्वविद्यालय	एम० बी० बी० एस०	मेडिसिन एण्ड सर्जरी	रंगून वि०
<b>कनाडा</b>			
<b>एलबर्ट</b>			
कालेज आफ फिजिशियन्स एण्ड सर्जन्स आफ दि प्राविन्स आफ एलबर्ट (ख०)	मेम्बर	यथोक्त	सी० पी० एण्ड एस० एलबर्ट
एलबर्ट विश्वविद्यालय (ख०)	एम० डी०	मेडिसिन एण्ड सर्जरी	एलबर्ट वि०
<b>मनिटोबा</b>			
कालेज आफ फिजिशियन्स एण्ड सर्जन्स आफ दि प्राविन्स आफ मनिटोबा (ख)	मेम्बर	मेडिसिन एण्ड सर्जरी	सी० पी० एण्ड एस० मनि०
मनिटोबा विश्वविद्यालय	एम० डी० एम० डी०, सी० एम०	मेडिसिन एण्ड सर्जरी	मनि० वि०
<b>नार्थ वेस्ट टैरीटरीज</b>			
कालेज आफ फिजिशियन्स एण्ड सर्जन्स आफ दि प्राविन्स आफ नार्थ वेस्ट टैरीटरीज (ख) (जब यह उपाधि प्राविन्स आफ सेसकचवान या प्राविन्स आफ एलबर्ट के कालेज आफ फिजिशियन्स एण्ड सर्जन्स की अनुज्ञप्ति के साथ धारण की जाए)।	मेम्बर	मेडिसिन एण्ड सर्जरी	सी० पी० एण्ड एस० एन० डब्ल्यू० टैरी०
<b>नोवा स्कोशिया</b>			
नोवा स्कोशिया प्राविंशियल मेडिकल बोर्ड (क) (ग)	एल० एम० एस०	मेडिसिन एण्ड सर्जरी	एन० स्कोशिया, पी० एम० बोर्ड
डलहोजी विश्वविद्यालय (क) (ग)	एम० डी० सी० एम०	मेडिसिन एण्ड सर्जरी	डलहोजी वि०

देश	उपाधि	डिप्लोमाओं में वर्णित अर्हता का स्वरूप	संक्षेपाक्षर
<b>प्रिन्स एडवर्ड आईलैंड</b>			
प्रिन्स एडवर्ड आईलैंड मेडिकल काउन्सिल (ख)	एल० एम० एस०	मेडिसिन एण्ड सर्जरी	एम० को०, पी० ई० आई०
<b>सीलोन</b>			
सीलोन मेडिकल कालेज (क) (ग)	एल० एम० एस०	मेडिसिन एण्ड सर्जरी	सीलोन एम० कालेज
<b>हांगकांग</b>			
हांगकांग विश्वविद्यालय (क) (ग)	एम० बी० बी० एस० एम० डी० एम० एस०	मेडिसिन एण्ड सर्जरी	हांगकांग वि०
<b>इटली</b>			
सभी रायल इटेलियन विश्वविद्यालय (घ)	एम० डी०	मेडिसिन एण्ड सर्जरी	
<b>जापान</b>			
सभी इम्पीरियल विश्वविद्यालय (ङ)	एम० बी० (इगाकुशी) एम० डी० (इगाकुहाकुशी)	मेडिसिन एण्ड सर्जरी	
जापान के शिक्षा मंत्री द्वारा अभिहित कोई सरकारी या प्रीफेक्चरल विशेष कालेज (ङ)	एम० बी० (इगाकुशी)	मेडिसिन एण्ड सर्जरी	
<b>माल्टा</b>			
माल्टा रायल विश्वविद्यालय	एम० डी०	मेडिसिन एण्ड सर्जरी	माल्टा वि०
<b>न्यू फाउन्डलैंड</b>			
न्यू फाउन्डलैंड मेडिकल बोर्ड (ख)	एल० एम० एस०	मेडिसिन एण्ड सर्जरी	न्यू फाउन्डलैंड एम० बोर्ड
<b>न्यूजीलैंड</b>			
न्यूजीलैंड विश्वविद्यालय (च)	एम० बी० सीएच० बी० सी० एच० एम० एम० डी०	मेडिसिन एण्ड सर्जरी	न्यूजीलैंड वि०
ओटागो विश्वविद्यालय	एम० बी०, सीएच० बी० सीएच० एम० एम० डी०	मेडिसिन एण्ड सर्जरी	ओटागो वि० ये अर्हताएं मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं तभी होंगी जब ये 1 जनवरी, 1962 या 31 दिसंबर, 1968 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई हों। यह शर्त उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां ये अर्हताएं 29 अप्रैल, 1972 को या उसके पूर्व पहले से मान्यता प्राप्त है।

देश	उपाधि	डिप्लोमाओं में वर्णित अर्हता का स्वरूप	संक्षेपाक्षर
<b>पाकिस्तान</b>			
पंजाब विश्वविद्यालय (छ)	एल० एम० एस० एम० बी० एम० बी० बी० एस० एम० डी० एम० एस०	मेडिसिन एण्ड सर्जरी	वेस्ट पंजाब वि०
पंजाब राज्य आयुर्विज्ञान संकाय	एल० एम० एस०	लाइसेंसिएट इन मेडिकल एण्ड सर्जरी	यह अर्हता मान्यताप्राप्त अर्हता तभी होगी जब यह 15 अगस्त, 1947 के पूर्व प्रदान की गई हो, परंतु यह तब जब उसके धारक आयुर्विज्ञान अध्ययन प्रारंभ करने के पूर्व एफ० एससी० की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हों।
<b>बंगलादेश</b>			
चितगांव विश्वविद्यालय	एम० बी० बी० एस०	बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	चितगांव वि०
ढाका विश्वविद्यालय	एम० बी० बी० एस०	बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	ढाका वि०
राजशाही विश्वविद्यालय	एम० बी० बी० एस०	बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	राजशाही वि०
<b>दक्षिणी अफ्रीका संघ</b>			
दक्षिणी अफ्रीका विश्वविद्यालय (ख०)	एम० बी०, सीएच० बी०	मेडिसिन एण्ड सर्जरी	दक्षिणी अफ्रीका वि०
केप टाउन विश्वविद्यालय (क) (ग)	एम० बी०, सीएच० बी० एम० डी०, सीएच० एम०	मेडिसिन एण्ड सर्जरी	केप टाउन वि०
विटवासरैन्ड विश्वविद्यालय जोहान्सबर्ग (क) (ग)	एम० बी०, सीएच० बी० एम० डी० सीएच० एम०	मेडिसिन एण्ड सर्जरी	विटवासरैन्ड वि०
<b>स्टेट्स सेटिलमेण्ट एण्ड फैडरेटेड मलय स्टेट्स</b>			
किंग एडवर्ड सेवेन्थ कालेज आफ मेडिसिन, सिंगापुर (क) (ग)	एल० एम० एस०	लाइसेन्शिएट इन मेडिकल एण्ड सर्जरी	सिंगापुर मे० कालेज
<b>रिपब्लिक आफ आयरलैंड</b>			
डबलिन विश्वविद्यालय (ज)	एम० बी०, बी० सीएच० एल० ऐड० एल० सीएच०	बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी लाइसेन्शिएट इन मेडिकल लाइसेन्शिएट इन सर्जरी	डबलिन वि०

देश	उपाधि	डिप्लोमाओं में वर्णित अर्हता का स्वरूप	संक्षेपाक्षर
राष्ट्रीय विश्वविद्यालय आयरलैंड (ज)	एम० डी०	डाक्टर आफ मेडिसिन	
	एम० सीएच०	मास्टर आफ सर्जरी	
	एम० ए० ओ०	मास्टर इन आब्स्टेट्रिक्स साइंस	
	एम० बी० बी० सीएच०	बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी	रा० वि० आयरलैंड
	एम० डी०	डाक्टर आफ मेडिसिन	
	एम० सीएच०	मास्टर आफ सर्जरी	
रायल कालेज आफ फिजिशियन्स आयरलैंड (ज)	एम० ए० ओ०	मास्टर आफ आब्स्टेट्रिक्स	
	एल० आर० सी० पी०	लाइसेन्शिएट	आर० सी० पी० आयरलैंड
	एल० एम०	लाइसेन्शिएट इन मिडवाइफरी	
	एम० आर० सी० पी०	मेम्बर	
रायल कालेज आफ सर्जन्स इन आयरलैंड (ज)	एफ० आर० सी० पी०	फेलो	
	एल० आर० सी० एस०	लाइसेन्शिएट	आर० सी० एस०, आयरलैंड
	एल० एम०	लाइसेन्शिएट इन मिडवाइफरी	
एपाथिकैरिज हाल डबलिन (ज)	एम० आर० सी० एस०	फेलो	
	एल० ए० एच०	लाइसेन्शिएट	ए० एच० डबलिन

- (क) अर्हता युनाइटेड किंगडम की जनरल मेडिकल काउंसिल द्वारा समय-समय पर प्रकाशित ब्रिटिश मेडिकल रजिस्टर की सारणी (एफ) में सम्मिलित होनी चाहिए।
- (ख) जब 31 अक्टूबर, 1937 को या उसके पूर्व प्रदान की गई है।
- (ग) जब 31 मार्च, 1942 को या उसके पूर्व प्रदान की गई है।
- (घ) जब 10 अक्टूबर, 1940 को या उसके पूर्व प्रदान की गई है।
- (ङ) जब 8 दिसंबर, 1941 को या उसके पूर्व प्रदान की गई है।
- (च) जब 31 दिसंबर, 1961 को या उसके पूर्व प्रदान की गई है।
- (छ) जब 15 अगस्त, 1947 को या उसके पूर्व प्रदान की गई है। यह शर्त उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां ये अर्हताएं 12 मार्च, 1965 को या उसके पूर्व पहले से ही मान्यताप्राप्त हैं।
- (ज) जब 17 जून, 1964 को या उसके पूर्व प्रदान की गई है। यह शर्त उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां ये अर्हताएं 2 जनवरी, 1967 को या उसके पूर्व पहले से ही मान्यताप्राप्त हैं।

तृतीय अनुसूची  
(धारा 13 देखिए)

भाग 1

आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई वे मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं जिन्हें प्रथम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है

आयुर्विज्ञान संस्था या अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाले प्राधिकारी का नाम	मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	संक्षेपाक्षर
कालेज आफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुम्बई	लाइसेंसिएट आफ दि कालेज आफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुम्बई प्रसूति विद्या और स्त्री रोग विज्ञान, नेत्र विज्ञान में फेलोशिप आफ दि कालेज आफ फिजिशियन्स एण्ड सर्जन्स, मुम्बई तथा विकृति विज्ञान और जीवाणु विज्ञान, स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान और बाल स्वास्थ्य में उक्त कालेज के डिप्लोमे	एल० सी० पी० एस० (मुम्बई) एफ० सी० पी० एस० (प्र० वि० और स्त्री रोग वि०), एफ० सी० पी० एस० (ने० वि०), डी० पी० वी० (विकृ० वि० और जी० वि० में डिप०) डी० जी० ओ० (स्त्री रोग वि० और प्र० वि० में डिप०), डी० सी० एच० (बाल स्वास्थ्य में डिप०) इस अनुसूची के अंतर्गत ये अर्हताएं मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं तभी होंगी जब वे इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य आयुर्विज्ञान अर्हता धारण करने वाले व्यक्तियों के पास हों।
राज्य आयुर्विज्ञान संकाय, मुम्बई	लाइसेंसड मेडिकल प्रैक्टिशनर	एल० एम० पी० (मुम्बई)
राज्य आयुर्विज्ञान संकाय, बंगाल	लाइसेंसिएट आफ दि मेडिकल फेकल्टी, बंगाल	एल० एम० एफ० (बंगाल) यह अर्हता मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता तभी होगी जब यह 15 अगस्त, 1947 के पूर्व प्रदान की गई हो।
राज्य आयुर्विज्ञान संकाय, पश्चिमी बंगाल	लाइसेंसिएट आफ दि मेडिकल फेकल्टी, वेस्ट बंगाल	एल० एम० एफ० (वेस्ट बंगाल)
	लाइसेंसिएट आफ दि मेडिसिन एंड सर्जरी (नेट०) वेस्ट बंगाल	एल० एम० एस० (नेट०) वेस्ट बंगाल
	राज्य आयुर्विज्ञान संकाय, पश्चिमी बंगाल के स्टेट्यूटों के अनुच्छेद 6ग के अधीन राज्य आयुर्विज्ञान संकाय द्वारा अर्हता का प्रमाणपत्र	अनुच्छेद 6ग के अधीन प्रमाणपत्र (प० ब०)
	राज्य आयुर्विज्ञान संकाय पश्चिमी बंगाल के स्टेट्यूटों के अनुच्छेद 6घ या 6ङ के अधीन राज्य आयुर्विज्ञान संकाय द्वारा अर्हता का प्रमाणपत्र	अनुच्छेद 6घ या 6ङ के अधीन प्रमाणपत्र (प० ब०)



आयुर्विज्ञान संस्था या अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाले प्राधिकारी का नाम	मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	संक्षेपाक्षर
बंगाल सरकार	लाइसेंसड मेडिकल प्रैक्टीशनर, (कैम्पबेल मेडिकल स्कूल)	एल० एम० पी० (कैम्पबेल मेडिकल स्कूल)
	डिप्लोमा आफ मेडिकल कालेज, (बंगाल)	डिप्लोमा मेड० काले० बंगाल
	लाइसेंसड मेडिकल प्रैक्टीशनर (ढाका मेडिकल स्कूल)	एम० एम० पी० (ढाका मेड० स्कूल०)
	डिप्लोमा आफ मेडिकल कालेज, कलकत्ता	डिप्लोमा मेडि० का०, कलकत्ता
राज्य आयुर्विज्ञान संकाय, उत्तर प्रदेश	फेलो आफ दि स्टेट मेडिकल फैकल्टी (यू० पी०)	एफ० एस० एम० एफ० (यू० पी०)
	मेम्बर आफ दि स्टेट मेडिकल फैकल्टी	एम० एस० एल० एफ० (यू० पी०)
	लाइसेंसिएट आफ दि स्टेट मेडिकल फैकल्टी	एल० एस० एम० एफ० (यू० पी०)
आयुर्विज्ञान परीक्षा राज्य बोर्ड, उ० प्र० पूर्वी पंजाब राज्य आयुर्विज्ञान संकाय	लाइसेंसड मेडिकल प्रैक्टीशनर (यू० पी०)	एल० एम० पी० (यू० पी०)
	लाइसेंसिएट इन मेडिसिन एंड सर्जरी	एल० एम० एस०, ईस्ट बंगाल यह अर्हता मान्यताप्राप्त अर्हता तभी होगी जब यह प्रथम अनुसूची में पूर्वी पंजाब राज्य आयुर्विज्ञान संकाय से संबद्ध प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को 15 अगस्त, 1947 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई हो, परन्तु यह तब जब वह प्री-मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो।
पंजाब राज्य आयुर्विज्ञान संकाय	लाइसेंसिएट इन मेडिसिनि एंड सर्जरी	एल० एम० एस० (पंजाब) यह अर्हता मान्यताप्राप्त अर्हता तभी होगी जब यह प्रथम अनुसूची में पंजाब राज्य आयुर्विज्ञान संकाय से संबद्ध प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को प्रदान की गई हो, परन्तु यह तब जब वह प्री-मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो।
पंजाब राज्य आयुर्विज्ञान संकाय	फेलो आफ दि स्टेट मेडिकल फैकल्टी (पंजाब) मेम्बर आफ दि स्टेट मेडिकल फैकल्टी (पंजाब)	एफ० एस० एम० एफ० (पंजाब) एम० एस० एम० एफ० (पंजाब)
	लाइसेंसिएट आफ दि स्टेट मेडिकल फैकल्टी	एल० एस० एम० एफ० (पंजाब)
पंजाब सरकार	लाइसेंसड मेडिकल प्रैक्टीशनर (लाहौर)	एल० एम० पी० (लाहौर) यह मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता तभी होगी जब यह 15 अगस्त, 1947 के पूर्व प्रदान की गई हो।

आयुर्विज्ञान संस्था या अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाले प्राधिकारी का नाम	मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	संक्षेपाक्षर
हैदराबाद सरकार	लाइसेन्शिण्ट इन मेडिकल एण्ड सर्जरी (उस्मानिया)	एल० एम० एण्ड एस० (उस्मानिया)
मैसूर सरकार	लाइसेन्स मेडिकल प्रैक्टीशनर (हैदराबाद)	एल० एम० पी० (हैदराबाद)
मैसूर मेडिकल स्कूल	लाइसेन्स मेडिकल प्रैक्टीशनर (मैसूर मेडिकल स्कूल)	एल० एम० पी० (मैसूर मेडिकल स्कूल)
आन्ध्र विश्वविद्यालय	लाइसेन्शिण्ट इन मेडिसिन एण्ड सर्जरी (आन्ध्र यू०)	एल० एम० एंड एस० (आन्ध्र यू०)
आसाम आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड	लाइसेन्स मेडिकल प्रैक्टीशनर (आसाम)	एल० एम० पी० (आसाम)
परीक्षक बोर्ड, मेडिकल कालेज, मद्रास	लाइसेन्स मेडिकल प्रैक्टीशनर, वी० डब्ल्यू० मेडिकल स्कूल (डिब्रूगढ़)	एल० एम० पी० (वी० डब्ल्यू० मेडिकल स्कूल, डिब्रूगढ़)
सी० पी० (या एम० पी०) आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड	लाइसेन्स मेडिकल प्रैक्टीशनर (सी० पी० या एम० पी०)	एल० एम० पी० (सी० पी० या एम० पी०)
उड़ीसा आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड	लाइसेन्स मेडिकल प्रैक्टीशनर (उड़ीसा)	एल० एम० पी० (उड़ीसा)
बिहार और उड़ीसा आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड	लाइसेन्स मेडिकल प्रैक्टीशनर (बिहार एंड उड़ीसा)	एल० एम० पी० (बिहार और उड़ीसा)
किंग एडवर्ड हास्पिटल मेडिकल स्कूल, इन्दौर	लाइसेन्स मेडिकल प्रैक्टीशनर, टेम्पल मेडिकल स्कूल, (पटना)	एल० एम० पी० (टेम्पल मेडिकल स्कूल, पटना)
रंगून विश्वविद्यालय	डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन मेडिसिन और/या सर्जरी	डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन मेडिसिन और/या सर्जरी
बर्मा आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड	लाइसेन्स मेडिकल प्रैक्टीशनर	एल० एम० एंड एस० (रंगून यू०)
अलीगढ़ विश्वविद्यालय	डिप्लोमा इन आफथैलमालोजी	यह अर्हता मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता तभी होगी जब यह 1 अप्रैल, 1937 के पूर्व प्रदान की गई हो। एल० एम० पी० (बर्मा) यह अर्हता मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान तभी होगी जब यह 1 अप्रैल, 1937 के पूर्व प्रदान की गई हो। डी० ओ० (डिप्लोमा इन आफथैलमालोजी) इन अनुसूची के अन्तर्गत यह अर्हता मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता तभी होगी जब यह इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य आयुर्विज्ञान अर्हता धारण करने वाले व्यक्ति के पास हो।

आयुर्विज्ञान संस्था या अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाले प्राधिकारी का नाम	मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता	संक्षेपाक्षर
पंजाब विश्वविद्यालय	डिप्लोमा इन टुबरकुलोसिस डिजीजेज	डी० टी० डी० (पंजाब) इस अनुसूची के अंतर्गत यह अर्हता मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता तभी होगी जब यह इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य आयुर्विज्ञान अर्हता धारण करने वाले व्यक्ति के पास हो।
इकोले डी० मेडिसिन, पांडिचेरी	डिप्लोमा डी० इकोले मेडिसिन, पांडिचेरी	डी० ई० एम० पी०
मेडिको-सर्जिकल कालेज, नौवा-गोवा, पंजिम	डिप्लोमा आफ लाइसेन्शिअट आफ दि मेडिको-सर्जिकल कालेज, नौवा-गोवा	मेडिको-सर्जन, गोवा
इकोले डी० मेडिसिन डी० पांडिचेरी	डिप्लोमा आफ 'आफिसर डी० सान्ते'	डिप्लो० 'आफिसर डी० सान्ते'
मद्रास सरकार	डिप्लोमा इन मेडिसिन एंड सर्जरी	डी० एम० एस० (मद्रास) यह अर्हता मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता तभी होगी जब यह 31 दिसम्बर, 1970 को या इसके पूर्व प्रदान की गई हो।
पूर्वी पंजाब राज्य आयुर्विज्ञान संकाय	लाइसेन्शिअट आफ दि ईस्ट पंजाब स्टेट मेडिकल फैकल्टी	एल० एस० एम० एफ० (पूर्वी पंजाब) यह अर्हता मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता तभी होगी जब यह 15 अगस्त, 1947 के पश्चात् प्रदान की गई हो।
उड़ीसा सरकार	डिप्लोमा इन माडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी	डी० एम० एस० एम० (उड़ीसा)
केरल सरकार	डिप्लोमा इन मेडिसिन एंड सर्जरी	डी० एम० एस० (केरल)
गुजरात राज्य आयुर्विज्ञान संकाय	लाइसेंसड मेडिकल प्रैक्टीशनर	एल० एम० पी० (गुजरात)
आन्ध्र प्रदेश सरकार	डिप्लोमा इन मेडिसिन एंड सर्जरी	डी० एम० एस०, आन्ध्र

## भाग 2

भारत के बाहर की आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई वे मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं, जिन्हें द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है

- एम० डी० (बर्लिन)
- एम० डी० (पेरिस)
- एम० डी० (एमस्टर्डम)
- एम० डी० (फ्रीबर्ग, जर्मनी)
- एम० डी० (विएना)
- एम० डी० (टोरन्टो, कनाडा)
- एम० डी० (हीडेलबर्ग)
- एम० बी०, बी० एस० (ढाका)
- एम० डी० (बोन)
- एम० बी०, बी० एस० (सीलोन)
- एम० डी० (म्यूनिख)
- एम० बी०, बी० एस० (कराची)

- एम० बी०, बी० एस० (सिडनी—न्यू साउथ वेल्स—आस्ट्रेलिया)
- एम० डी० (मिनेसोटा—अमरीका)
- एम० डी० (जेनेवा—स्विटजरलैंड)
- डाक्टोरिज इन मेडिसीना एट चिरुगिया (डिप्लोमा) (सांटा टामस यूनिवर्सिटी, मनीला, फिलिपाइंस)
- लासेंशिएट आफ दि मैडिकल फैकल्टी, पूर्वी पाकिस्तान—एल० एम० एफ० (पूर्वी पाकिस्तान)
- एम० डी० (वैस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी, क्लीवलैण्ड, ओहियो, संयुक्त राज्य अमेरिका)
- एम० डी० (रायल हंगेरियन यूनिवर्सिटी आफ सांइसेज आफ पीटर पाजमनी, बुडापेस्ट, हंगरी)
- एम० डी० (सेम्मेलवेइस) मेडिकल यूनिवर्सिटी, बुडापेस्ट, हंगरी
- एल० एम० एफ० (पूर्वी बंगाल)
- एम० डी० (डूसेडफेल)
- एम० डी० (एरलेनजेन)
- एम० डी० (फ्रैंकफर्ट एम० मेन)
- एम० डी० (गीसेन)
- एम० डी० (गोटिंगन)
- एम० डी० (कील)
- एम० डी० (कोल्ल)
- एम० डी० (हैमबर्ग)
- एम० डी० (मैंज)
- एम० डी० (मारबर्ग)
- एम० डी० (मूएंसटर)
- एम० डी० (टुबिनजेन)
- एम० डी० (बुअर्जबर्ग)
- एम० डी० (साबुरुकेन)
- डाक्टर-एन मेडिसीना वाई० चिरुगिया (यूनिवर्सिटी आफ मैडरीड, स्पेन)
- एम० डी० (हनेमन्ना मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल आफ फिलाडेलफिया, पेनसिलवेनिया, अमेरिका)
- एम० डी० (टेम्पल यूनिवर्सिटी, फिलाडेलफिया, अमेरिका)
- एम० डी० (पदोवा, इटली)
- एम० डी० (रोम, इटली)
- एम० डी० (मिलान, इटली)
- एम० डी० (पारमा, इटली)
- जनरल फिजिशियन (मास्को मेडिकल इंस्टिट्यूट, फर्स्ट एंड सेकण्ड मास्को)
- जनरल फिजिशियन (पैट्रिस लुमुम्बा फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी, मास्को)
- एम० बी० बी० एस० (इंस्टिट्यूट आफ मेडिसिन-I, रंगून)
- एम० बी० बी० एस० (इंस्टिट्यूट आफ मेडिसिन, मांडले)
- एम० बी० बी० एस० (सिंध—पश्चिमी पाकिस्तान)
- एम० बी० बी० एस० (राजशाही—पूर्वी पाकिस्तान)
- एम० डी० (जेयेवा-इटली)

एम० डी० (लीपजिग)

डिप्लोमा आर्ट्स (फिजिशियन)—निजमेगन यूनिवर्सिटी (नीदरलैंड्स)

एल० एम० एंड एस० (रंगून यूनिवर्सिटी)—यह अर्हता मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता तभी होगी जब यह 1 अप्रैल, 1937 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई हो

एल० एम० पी० (बर्मा)—यह अर्हता मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता तभी होगी जब यह 1 अप्रैल, 1937 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई हो।

एम० बी० बी० एस० (माण्डले)

एम० डी० (यूनिवर्सिटी आफ इंसब्रुक, आस्ट्रिया)

एम० डी० (टुलेन यूनिवर्सिटी, सं० रा० अमेरिका)

एल० एस० एम० बी० (बर्मा)

एम० डी० (यूनिवर्सिटी कैथोलिक डी० लिल्ले, फ्रांस)

एम० डी० (यूनिवर्सिटी आफ नेपोली) (नेपल्स) ; इटली

एम० बी०, सी०एच० बी० (मेकरेरे यूनिवर्सिटी कालेज आफ ईस्ट अफ्रीका)

एम० बी०, बी० सी०एच० (यूनिवर्सिटी आफ एलेक्जान्ड्रिया, यू० ए० आर०)

एम० डी० (यूनिवर्सिटी आफ ग्राज, आस्ट्रिया)

एम० डी० (लोयोला यूनिवर्सिटी, स्ट्रीच स्कूल आफ मेडिसिन, शिकागो, अमेरिका)

एम० बी० बी० एस० (पंजाब विश्वविद्यालय, पश्चिमी पाकिस्तान)

एम० डी० (यूनिवर्सिटी आफ केटोलिका, रोम, इटली)

एम० डी० (लूबेन ; बेलजियम)

एम० डी० (मनिला ; फिलिपीन)

सी० एम० एस० (लाइसेंशिएट आफ दि स्टेट मेडिकल फेकल्टी, सिंध, पश्चिमी पाकिस्तान)

एल० एम० एस० (सीलोन)

एम० डी० (यूनिवर्सिटी आफ ईस्ट फिलीपीन)

एम० डी० (आचेन यूनिवर्सिटी) जर्मनी फेडरल रिपब्लिक

एम० डी० (हनोवर मेडिकल होशयूल यूनिवर्सिटी) जर्मनी फेडरल रिपब्लिक

एम० डी० (बोचूम यूनिवर्सिटी) जर्मनी फेडरल रिपब्लिक

एम० डी० (यूनिवर्सिटी आफ यू० एल० एम०) जर्मनी फेडरल रिपब्लिक

एम० डी० (सेंट लुइस यूनिवर्सिटी, सं० रा० अमेरिका)

एम० डी० (यूनिवर्सिटी आफ बेसेल) स्विट्जरलैंड

एम० डी० (यूनिवर्सिटी आफ फिलिपीन) मनिला

एम० डी० (यूनिवर्सिटी आफ मोडेना) मोडेना, इटली

एफ० आर० सी० एस० (कनाडा)

**सं० रा० अमेरिका के निम्नलिखित अनुमोदित परीक्षा बोर्डों के प्रमाणपत्र/डिप्लोमा**

अमेरिकन बोर्ड आफ पैडियाट्रिक्स

अमेरिकन बोर्ड आफ साइकियाट्री एंड न्यूरोलाजी

अमेरिकन बोर्ड आफ आर्थोपेडिक सर्जरी

अमेरिकन बोर्ड आफ डर्माटोलाजी

अमेरिकन बोर्ड आफ रेडियोलोजी

अमेरिकन बोर्ड आफ यूरोलाजी

अमेरिकन बोर्ड आफ आक्सटैट्रिक्स एंड गाइनाकोलाजी

अमेरिकन बोर्ड आफ इंटरनल मेडिसिन

अमेरिकन बोर्ड आफ पैथोलोजी

अमेरिकन बोर्ड आफ आफथैलमोलोजी

अमेरिकन बोर्ड आफ ओटोलारिंगोलोजी

अमेरिकन बोर्ड आफ सर्जरी

अमेरिकन बोर्ड आफ अनेस्थीसियोलोजी

अमेरिकन बोर्ड आफ प्लास्टिक सर्जरी

अमेरिकन बोर्ड आफ न्यूरोलाजिकल सर्जरी

अमेरिकन बोर्ड आफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन

अमेरिकन बोर्ड आफ प्रिवेंटिव मेडिसिन

बोर्ड आफ थॉरेसिक सर्जरी (अमेरिकन बोर्ड आफ सर्जरी का संबद्ध बोर्ड)

इंस्टीट्यूट आफ थेरापी आफ दि एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज आफ यू० एस० एस० आर० द्वारा प्रदान की गई कैंडिडेट आफ मेडिकल साइंस (यू० एस० एस० आर०) इन मेडिसिन

फाचार्ज फ्यूअर गाइनाकोलोजी (स्पेशलिस्ट इन गाईनाकोलाजी) (पश्चिमी जर्मनी)

फाचार्ज फ्यूअर इन्नेरा फ्रेंखेटेन (स्पेशलिस्ट इन इंटरनल मेडिसिन) (पश्चिमी जर्मनी)

एफ० आर० ए० सी० एस० (फैलोशिप आफ दि रायल आस्ट्रेलियन कालेज आफ सर्जन्स)

एम० सी० पी० ए० (मेम्बरशिप आफ दि कालेज आफ पैथोलिजिस्ट्स आफ आस्ट्रेलिया)

डिप्लोमा आफ सर्टिफिकेट 'डी' इट्यूडेस स्पेशलिस्ट 'डी' आफ मेडिसिन

इलैक्ट्रो-रेडियोलोजी (सर्टिफिकेट आफ स्पेशल स्टडीज आफ मेडिकल इलैक्ट्रो-रेडियोलोजी) (पेरिस-फ्रांस)

एफ० आर० सी० पी० (कनाडा)

डिप्लोमा इन साइकियाट्री (मैकगिल यूनि०) मांट्रियल, कनाडा

हंगेरियन एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज, बुडापेस्ट द्वारा प्रदान की गई कैंडिडेट आफ साइंस (डाक्टर आफ फिलासफी) इन मेडिसिन ब्रांच प्लास्टिक सर्जरी

फाचार्ज फ्यूअर किंडरहेलकुंडे (चिल्ड्रेन स्पेशलिस्ट) पश्चिमी जर्मनी

एम० एफ० ए० आर० सी० एस० (रायल कालेज आफ सर्जन्स इन आयरलैंड)—यह अर्हता तभी मान्यताप्राप्त होगी जब परीक्षा के पश्चात् प्रदान की गई हो

एम० डी० (यूनिवर्सिटी आफ बर्न, स्विट्जरलैंड)

एल० एल० एम० आर० सी० पी० (रायल कालेज आफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, आयरलैंड)

एल० एल० एम० आर० सी० एस० (रायल कालेज आफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, आयरलैंड)

“स्टाओएक्जेमेन” (यूनिवर्सिटी आफ ट्यूबिन्जेन, पश्चिमी जर्मनी)

एम० डी० (फार ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, मनीला फिलिपिन)

एम० डी० (यूनिवर्सिटी आफ ओटावा, कनाडा)

एम० बी० सीएच० बी०

एम० डी०

सी० एच० एम०

}

(यूनिवर्सिटी आफ बर्मिंगम, यू० के०)

एम० बी० सीएच० बी० एम० डी० सी० एच० एम०	}	(यूनिवर्सिटी आफ ब्रिस्टल, यू० के०)
एम० बी० चिर० एम० डी० एम० चिर०	}	(यूनिवर्सिटी आफ कैम्ब्रिज, यू० के०)
एम० बी० बी० एस० एम० डी० एम० एस०	}	(यूनिवर्सिटी आफ डरहम, यू० के०)
एम० बी० सीएच० बी० एम० डी० सीएच० एम०	}	(यूनिवर्सिटी आफ लीड्स, यू० के०)
एम० बी० सीएच० बी० एम० डी० सी० एच० एम० एमसीएच० आर्थ	}	(यूनिवर्सिटी आफ लिवरपूल, यू० के०)
एम० बी० बी० एस० एम० डी० एम० एस०	}	(यूनिवर्सिटी आफ लंदन, यू० के०)
एम० बी० सीएच० बी० एम० डी० सीएच० एम०	}	(यूनिवर्सिटी आफ मानचेस्टर, यू० के०)
एम० बी० बी० सीएच० एम० डी० एम० सीएच०	}	(यूनिवर्सिटी आफ आक्सफोर्ड, यू० के०)
एम० बी० सीएच० बी० एम० डी० सीएच० एम०	}	(यूनिवर्सिटी आफ शैफील्ड, यू० के०)

एम० बी० बी० सीएच० एम० डी० एम० सीएच०	}	(यूनिवर्सिटी आफ वेल्स, यू० के०)
एम० बी० सीएच० बी० एम० डी० सीएच० एम०	}	(यूनिवर्सिटी आफ एबर्डीन, यू० के०)
एम० बी० सीएच० बी० एम० डी० सी० एच० एम०	}	(यूनिवर्सिटी आफ एडिनबर्ग, यू० के०)
एम० बी० सीएच० बी० एम० डी० सीएच० एम०	}	(यूनिवर्सिटी आफ ग्लासगो, यू० के०)
एम० बी० सीएच० बी० एम० डी० सीएच० एम०	}	(यूनिवर्सिटी आफ एंड्रियूज सेंट, यू० के०)
एम० बी० बी० सीएच० एम० डी० एम० सीएच० एम० ए० ओ०	}	(क्वीन्स यूनिवर्सिटी आफ बेल्फास्ट, यू० के०)
एल० आर० सी० पी० एम० आर० सी० पी० एफ० आर० सी० पी०	}	(रायल कालेज आफ फिजिशियन्स आफ लंदन, यू० के०)
एम० आर० सी० एस० एफ० आर० सी० एस०	}	(रायल कालेज आफ सर्जन्स आफ इंग्लैंड, यू० के०)
एम० एम० एस० एस० ए० एल० एस० ए०	}	(सोसाइटी आफ अपोयेकेरीज आफ लंदन, यू० के०)
एल० आर० सी० पी० एम० आर० सी० पी० एफ० आर० सी० पी०	}	(रायल कालेज आफ फिजिशियन्स आफ एडिनबर्ग, यू० के०)



एल० आर० सी० एस० एफ० आर० सी० पी० एस०	}	(रायल कालेज आफ फिजिशियन्स आफ एडिनबर्ग, यू० के०)
एल० आर० सी० पी० एस० एम० आर० सी० पी० एफ० आर० सी० पी० एफ० आर० सी० एस० एफ० आर० सी० पी० एस०	}	(रायल कालेज आफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स आफ ग्लासगो, यू० के०)
एम० बी० सीएच० बी० एम० डी० सीएच० एम०	}	(यूनिवर्सिटी आफ न्यू कैसिल अपाने-टाइने, यू० के०)
एम० बी० सीएच० बी० एम० डी० सीएच० एम०	}	(यूनिवर्सिटी आफ डुन्डी, यू० के०)
एम० आर० सी० पी०		(रायल कालेज आफ फिजिशियन्स आफ यूनाइटेड किंगडम)
डिप० साइक० डी० पी० एम०	}	(यूनिवर्सिटी आफ एडिनबर्ग, यू० के०)
एम० आर० सी० ओ० जी०		(रायल कालेज आफ आब्स्टेट्रिशियन्स एंड गाइनाकोलाजिस्ट्स, लंदन, यू० के०)
एम० आर० सी० (पैथ) एफ० आर० सी० (पैथ)	}	(रायल कालेज आफ पैथोलाजिस्ट्स, लंदन, यू० के०)**

\*\*परंतु तब जब यह अर्हता किसी परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् प्रदान की गई है।

डी० ओ० एम० एस० डी० ओ० डी० पी० एम०	}	(रायल कालेज आफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, लंदन, यू० के०)
एफ० एफ० ए० आर० सी० एम०		(रायल कालेज आफ सर्जन्स, इंग्लैंड)**

\*\*परंतु तब जब यह अर्हता किसी परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् प्रदान की गई है।

एम० आर० सी० साइक०		(रायल कालेज आफ साइकाइट्रिस्ट्स, लंदन, यू० के०)**
-------------------	--	--

**टिप्पण**—यूनाइटेड किंगडम में प्रदत्त ये अर्हताएं तभी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी जब 11 नवम्बर, 1978 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई हैं।

- एम० बी० बी० सीएच० (नेशनल यूनिवर्सिटी आफ आयरलैंड)
- एम० डी० (यूनिवर्सिटी आफ फ्लोरेंस, इटली)
- एम० बी० बी० एस० (यूनिवर्सिटी आफ वेस्ट इंडीज, मोना, किंग्स्टन, जमैका)
- एम० डी० (यूनिवर्सिटी आफ बेलग्रेड, यूगोस्लाविया)
- एम० डी० (फैकल्टी आफ मेडिसिन एंड स्टोमैटोलॉजी, जुबलिजाना, यूगोस्लाविया)
- एम० डी० (मेडिकल फैकल्टी, निस, यूगोस्लाविया)
- एम० डी० (मेडिकल फैकल्टी, नोवी साद, यूगोस्लाविया)
- एम० डी० (मेडिकल फैकल्टी, रिजेका, यूगोस्लाविया)
- एम० डी० (मेडिकल फैकल्टी, यूनिवर्सिटी आफ सराजेवो, यूगोस्लाविया)
- एम० डी० (मेडिकल फैकल्टी, यूनिवर्सिटी आफ स्कोप्लजे, यूगोस्लाविया)
- एम० डी० (मेडिकल फैकल्टी, यूनिवर्सिटी आफ जगरेब, यूगोस्लाविया)
- एम० बी० बी० सीएच० (यूनिवर्सिटी आफ आईन शाम, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक)
- एम० बी० बी० सीएच० (यूनिवर्सिटी आफ केयरो, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक)
- एप्रोवेशन अल्स आर्ट कार्लमार्क्स यूनिवर्सिटी, लिपजिग, पूर्वी जर्मनी
- एम० डी० (पहलवी यूनिवर्सिटी, शिराज, ईरान)
- एम० डी० (अनेस्थीसिया, पहलवी यूनिवर्सिटी, शिराज, ईरान)
- डिप्लोमा इन मेडिसिन एंड सर्जरी (फैकल्टी आफ मेडिसिन आफ दि सर्वेन्को हाई इन्स्टीच्यूट आफ मेडिसिन, सोफिया बुल्गारिया)
- “फिजिशियन” मेडिकल एकेडेमी, सोफिया (हायर इन्स्टीच्यूट एजुकेशन, सोफिया)
- “फिजिशियन” मेडिकल एकेडेमी, सोफिया (हायर मेडिकल इन्स्टीच्यूट प्लोवडिव)
- “फिजिशियन” मेडिकल एकेडेमी, सोफिया (हायर मेडिकल इन्स्टीच्यूट, वारना)
- एम० बी० बी० एस० (चित्तगांव यूनिवर्सिटी, बंगलादेश)
- एम० ए० एन० जेड० सी० पी० (मेम्बरशिप एक्जामिनेशन आफ दि कालेज आफ साइकियाट्रिस्ट्स आफ आस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड)
- एम० डी० (यूनिवर्सिटी आफ कोलीन, कोलीन, पश्चिमी जर्मनी)
- एम० डी० (चार्ल्स यूनिवर्सिटी, प्रेग, कटेरिशा, चैकोस्लोवाकिया)
- एम० डी० (यूनिवर्सिटी आफ बोलोगना, इटली)
- एम० पी० एच० (जान हापकिन्स यूनिवर्सिटी, सं० रा० अमेरिका)
- एम० पी० एच० (हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सं० रा० अमेरिका)
- एम० पी० एच० (कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, सं० रा० अमेरिका)
- एम० पी० एच० (कोलंबिया यूनिवर्सिटी, सं० रा० अमेरिका)
- एम० बी० बी० एस० [यू० इन्स्टीच्यूट आफ मेडिसिन (II) रंगून बर्मा]
- एम० डी० (यूनिवर्सिटी आफ अजरबैदेगान, तब्रिज, ईरान)
- एम० डी० (मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी, हाले, पूर्वी जर्मनी)
- एम० पी० एच० (यूनिवर्सिटी आफ नार्थ कोरोलिना, चैपेल हिल, सं० रा० अमेरिका)
- डिप्लोमा फिजिशियन (यूनिवर्सिटी आफ ज्यूरिख, स्विटजरलैंड)
- “डाक्टर आफ मेडिसिन” (यूनिवर्सिटी आफ कोमन्सकी, ब्राटिसलवा, चैकोस्लोवाकिया)
- (31-12-1991 को या उसके पूर्व प्रदान की गई)

प्रथम नाम	परिवर्तित नाम
एम० डी० “फिजिशियन” (पेट्रिस लुमुम्बा फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी, मास्को) यू० एस० एस० आर०	
एम० डी० “फिजिशियन” (फर्स्ट मास्को मेडिकल इन्स्टीच्यूट) यू० एस० एस० आर०	एम० डी० “फिजिशियन” (दि सेचनोव फर्स्ट मास्को मेडिकल इन्स्टीच्यूट) यू० एस० एस० आर०
एम० डी० “फिजिशियन” (फर्स्ट लेनिनगार्ड मेडिकल इन्स्टीच्यूट) यू० एस० एस० आर०	एम० डी० “फिजिशियन” (फर्स्ट आई० पी० पावलोव मेडिकल इन्स्टीच्यूट आफ लेनिनगार्ड) यू० एस० एस० आर०
एम० डी० “फिजिशियन” (क्रिमिया मेडिकल इन्स्टीच्यूट इन सिफेरीपोल) यू० एस० एस० आर०	एम० डी० “फिजिशियन” (दि क्रिमिया स्टेट मेडिकल इन्स्टीच्यूट) यू० एस० एस० आर०
एम० डी० “फिजिशियन” (विटेब्रक मेडिकल इन्स्टीच्यूट) यू० एस० एस० आर०	
एम० डी० “फिजिशियन” (वोल्गोग्राड मेडिकल इन्स्टीच्यूट) यू० एस० एस० आर०	
एम० डी० “फिजिशियन” (रोस्टोव मेडिकल इन्स्टीच्यूट) यू० एस० एस० आर०	एम० डी० “फिजिशियन” (दि आर्डर आफ पियूपल्स फ्रेंडशिप रोस्टोव स्टेट मेडिकल इन्स्टीच्यूट) यू० एस० एस० आर०
एम० डी० “फिजिशियन” (स्टोवरोपोल मेडिकल इन्स्टीच्यूट) यू० एस० एस० आर०	
एम० डी० “फिजिशियन” (कालिनिन मेडिकल इन्स्टीच्यूट) यू० एस० एस० आर०	एम० डी० “फिजिशियन” (ट्वेर स्टेट मेडिकल इन्स्टीच्यूट) यू० एस० एस० आर०
एम० डी० “फिजिशियन” (कुवान मेडिकल इन्स्टीच्यूट इन क्रेस्नादार) यू० एस० एस० आर०	
एम० डी० “फिजिशियन” (इर्कुस्टक मेडिकल इन्स्टीच्यूट) यू० एस० एस० आर०	
एम० डी० “फिजिशियन” (बोरोशाइलोवग्राड मेडिकल इन्स्टीच्यूट) यू० एस० एस० आर०	एम० डी० “फिजिशियन” (दि लुगांस्क मेडिकल इन्स्टीच्यूट) यू० एस० एस० आर०
एम० डी० “फिजिशियन” (डोनेस्टक मेडिकल इन्स्टीच्यूट) यू० एस० एस० आर०	
एम० डी० “फिजिशियन” (जापोरोझी मेडिकल इन्स्टीच्यूट) यू० एस० एस० आर०	
एम० डी० “फिजिशियन” (ल्वोव मेडिकल इन्स्टीच्यूट) यू० एस० एस० आर०	
एम० डी० “फिजिशियन” (विनित्सा मेडिकल इन्स्टीच्यूट) यू० एस० एस० आर०	
एम० डी० “फिजिशियन” (मिक्स मेडिकल इन्स्टीच्यूट) यू० एस० एस० आर०	
एम० डी० “फिजिशियन” (ओडेसा मेडिकल इन्स्टीच्यूट) यू० एस० एस० आर०	एम० डी० “फिजिशियन” (ओडेसस पिरोगोव मेडिकल इन्स्टीच्यूट) यू० एस० एस० आर०
एम० डी० “फिजिशियन” (ताशकंद मेडिकल इन्स्टीच्यूट) यू० एस० एस० आर०	एम० डी० “फिजिशियन” (सेकण्ड ताशकंद मेडिकल इन्स्टीच्यूट) यू० एस० एस० आर०
एम० डी० “फिजिशियन” (टेडजिक मेडिकल इन्स्टीच्यूट इन डुशोवा) यू० एस० एस० आर०	

प्रथम नाम	परिवर्तित नाम
एम० डी० “फिजिशियन” (अल्मा-अटा मेडिकल इन्स्टीच्यूट) यू० एस० एस० आर०	
एम० डी० “फिजिशियन” (ब्रेवान मेडिकल इन्स्टीच्यूट) यू० एस० एस० आर०	
एम० डी० “फिजिशियन” (खारकोव मेडिकल इन्स्टीच्यूट) यू० एस० एस० आर०	
एम० डी० “फिजिशियन” (अजरबेजान मेडिकल इन्स्टीच्यूट इन बकन) यू० एस० एस० आर०	
एम० डी० “फिजिशियन” (स्टेट मेडिकल इन्स्टीच्यूट, कीव) यू० एस० एस० आर०	
एम० डी० “फिजिशियन” (सेकण्ड मास्को मेडिकल इन्स्टीच्यूट) यू० एस० एस० आर०	एम० डी० “फिजिशियन” (सेकण्ड मास्को स्टेट पिरोगोव मेडिकल इन्स्टीच्यूट) यू० एस० एस० आर०
एम० बी० सी० एच० बी० (यूनिवर्सिटी आफ जांबिया), लुसाका	
“स्टेटक्जामान” (यूनिवर्सिटी आफ कोलोन, पश्चिमी जर्मनी)	
“मेडिकोसिरूजानो” (यूनिवर्सिटी नेटोनल आटोनेम डी-मेक्सिको)	
आर्जट फुएर अनेस्थीसिया और अनेस्थेसिल्ट, पश्चिमी जर्मनी	
‘बेस्टालंग-अल्सआल्ट’ (यूनिवर्सिटी आफ कील, पश्चिमी जर्मनी)	
ये आयुर्विज्ञान अर्हताएं 31 दिसम्बर, 1992 तक की अवधि के लिए मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी।	
“डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ (डी० सी० जी०) काबुल यूनिवर्सिटी”	
“एम० बी० बी० एस० (यूनिवर्सिटी आफ लंदन, यू० के०)”	
यह आयुर्विज्ञान अर्हता तभी मान्यताप्राप्त अर्हता होगी जब 12 नवंबर, 1978 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई हो।	
एम.बी.सी.एच.बी. (यूनिवर्सिटी आफ शेफील्ड, यूनिवर्सिटी यू.के)	
यह अर्हता तभी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता होगी जब 10 नवंबर, 1978 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई है।	
एम० बी० बी० एस० (यूनिवर्सिटी आफ मलाया), मलेशिया (31-12-1992 को या उसके पूर्व प्रदत्त)	
एम० डी० “फिजिशियन” ल्वोव दि आर्डर आफ पीपुल्स फ्रेंडशिप स्टेट मेडिकल इंस्टीच्यूट, यू० एस० एस० आर०	
“एम० डी०” (डवावो मेडिकल स्कूल फाउंडेशन) डवावो सिटी, फिलिपीन्स	
(अटोनिओ डी डवावो यूनिवर्सिटी, डवावो सिटी, फिलिपीन्स)	
एम० डी० (फिजिशियन) लेनिनग्रेड सेनिटरी हाइजीन इंस्टीच्यूट	
एम० डी० (फिजिशियन) डेगेस्टन, मेडिकल इंस्टीच्यूट	
एम० डी० (फिजिशियन) मास्को मेडिकल स्टोमैटोलॉजिकल इंस्टीच्यूट	
“एम० बी० बी० एस०” (कालेज आफ मेडिसिन, यूनिवर्सिटी आफ लागोस, लागोस, नाइजेरिया)	
“एम० बी० बी० एस०” (अहमदू बैलो यूनिवर्सिटी, जारिया, नाइजेरिया)	
“एम० बी० बी० एस०” (कालेज आफ मेडिकल साइंसेज, यूनिवर्सिटी आफ बेनिन, बेनिन सिटी, नाइजेरिया)	
“एम० बी० बी० एस०” (कालेज आफ मेडिसिन, यूनिवर्सिटी आफ इबादान, इबादान, नाइजेरिया)	